सत्य धर्म

शैख़
अब्दुर्रहमान बिन हम्माद आलु उमर
1473 - 1354 हिजरी

مــن إصدارات

مؤسسة عبدالرحمن بن حماد العمر الوقفية
ABDULRAHMAN H. AL OMAR CHARITABLE FOUNDATION

جمعية خدمة المحتوى
الإسـلامـي باللغـات

هندي

بسم الله الرحمن الرحيم

ح جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمر ، عبدالرحمن بن حماد

دين الحق - باللغة الهندية. / عبدالرحمن بن حماد العمر - ط١. . - ، الرياض ،١٤٤٣هـ

١٩٥ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٤-١٦٨٩-٩

١- الاسلام أ. العنوان

ديوي ٢١٠ ١٤٤٣ / ١١٣٠٤

شركاء التنفيذ:

دار الإسلام

جمعية الربوة

رواد الترجمة

المحتوى الإسلامي

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.

Tel: +966 50 244 7000
info@islamiccontent.org
Riyadh 13245- 2836
www.islamhouse.com

अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयावान एवं अत्यंत कृपालु है

भूमिका और समर्पण

सारी प्रशंसाएं अल्लाह तआला ही के लिए उचित हैं जो सारे संसार का रब है। एवं दुरूद व सलाम की धारा बरसे अल्लाह के तमाम रसूलों परः

यह मुक्ति की ओर एक आवाहन है जिसे मैं संसार के हर एक बुद्धिमान (पुरूष हो या महिला) के सामने रख रहा हूँ, शक्ति एवं ऊंचाई वाले अल्लाह से आशा करता हूँ कि जो उस के मार्ग से भटका गया हो, उसे वह इसके माध्यम से भाग्यशाली बनाए, और मुझे तथा जिसने इस के प्रचार एवं प्रसार में भाग लिया हो उसे उत्तम पुण्य से सम्मानित करे। अतः अल्लाह की मदद से कहता हूँः

ऐ बद्धिमान इंसान! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मुक्ति एवं कल्याण इस जीवन में हो या (आखिरत) के जीवन में, वह इस बात पर निर्भर है कि तुम अपने रब को पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया, उस पर ईमान (विश्वास) ले आओ, उसी की उपासना (इबादत) करो, तथा उस नबी को पहचानो जिसे तुम्हारे रब ने तुम्हारी एवं

संसार के सारे लोगों की ओर भेजा है, उस पर ईमान ले आओ तथा उसी के रास्ते पर चलो एवं उस सत्य धर्म को पहचानो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें आदेश दिया है, उस पर ईमान ले आओ एवं उसी के नियमानुसार कार्य करो।

यह पुस्तक " सत्य धर्म " जो आप के सामने है इसमें उन्हीं मुख्य बातों की चर्चा है जिसकी खोज करना तथा उस पर चलना अति आवश्यक है | मैंने टिप्पणी में ज़रूरत के अनुसार कुछ शब्दों की व्याख्या एवं कुछ नियमों का स्पष्टीकरण कर दिया है | और इन सारी चीजों के वर्णन में मैं केवल अल्लाह की बात तथा अल्लाह के रसूल की हदीसों पर निर्भर रहा हूँ, इसलिए कि इस सत्य धर्म का यही एक मात्र मूल सूत्र हैं, जिसके अतिरिक्त अल्लाह तआला कोई और धर्म स्वीकार नहीं करेगा।

मैंने अनुचित अनुसरण (अंधी तक़लीद) को छोड़ दिया है जिसने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट किया है बल्कि मैंने कुछ पथभ्रष्ट सम्प्रदायों की भी चर्चा की है जो सत्य पर होने का दावा तो करते हैं किन्तु उनका सत्य से कोई नाता नहीं, ताकि सीधे - सादे लोग इनसे

बचे रहें, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है तथा वही उत्तम कार्य को सफल करने वाला है।

अल्लाह तआला की क्षमा का मोहताज

शैख़ अब्दुर्रहमान बिन हम्माद आलु उमर

।।।

पहला अध्यायः अल्लाह(1) की जानकारी जो महान सृष्टा है।

ऐ बुद्धिमान इंसान! तुझे ज्ञात होना चाहिए कि जिस रब ने तुझे वजूद बखशा तथा बहुत सारी नेमतों (अनुग्रहों) के द्वारा तेरा पालन-पोषण किया, वही अल्लाह सारे संसार का रब है, अल्लाह तआला[1] पर विश्वास करने वाले बुद्धिमानों ने उसे अपनी आँखों से देखा तो नहीं है किन्तु उस के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली निशानियों को अवश्य देखा है, जिन से यह साबित होता है कि अल्लाह तआला ही उत्पत्तिकर्ता तथा आकाश एवं पृथ्वी के कुशल प्रबन्धक है, और इन प्रमाणों के माध्यम से उन्होंने उसे पहचाना है, कुछ निशानियाँ निम्नलिखित हैं:

[1] तआलाः एक शब्द जिस से अल्लाह के सम्मान एवं उस की प्रशंसा का पता चलता है और जिस में अल्लाह की बुलंदी तथा उस की पवित्रता का वर्णन है।

तर्क 1: जगत, जीवन एवं मानव, यह विनाश होने वाली चीजें हैं, जिन का आरम्भ एवं अंत है और यह सब किसी दूसरे की मुहताज हैं।

तथा जो दूसरे का मुहताज हो वह सृष्टि ही होगा, तथा सृष्टि का कोई न कोई उत्पत्तिकर्ता तो होगा ही, तथा वह महान उत्पतिकर्ता अल्लाह तआला है। अल्लाह ने ही हमें यह सूचना दी है कि वह जगत का उत्पत्तिकर्ता भी है एवं कुशल प्रबन्धक भी है और यह सूचना अल्लाह ने अपने रसूलों पर उतारी गई किताबों में दी है।

निस्संदेह रसूलों ने अल्लाह की बात जूं का तूं लोगों तक पहुँचा दी है तथा लोगों को उस पर विश्वास करने और उसी की उपासना करने का निमन्त्रण भी दिया है। अल्लाह तआला अपनी किताब कुरआन करीम में फरमाते हैंः तुम्हारा पालनहार वही अल्लाह है, जिसने आकाशों तथा धरती को छः दिनों में बनाया[1], फिर अर्श (सिंहासन) पर बुलंद हो गया। वह रात से दिन को इस प्रकार से ढक देता है कि रात उसे जलदी से आ लेती है, सूर्य तथा चाँद और तारे उसकी आज्ञा के अधीन हैं। सुन लो! वही

उत्पत्तिकार है और वही शासक[2]है। वही अति शुभ अल्लाह संसार का पालनहार है। सुरा अल-आराफ: 54

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

अल्लाह तआला तमाम लोगों को सूचित कर रहा है कि वही उन का रब है जिस ने उन्हें पैदा किया है तथा आकाशों एवं धरती को छः दिनों में[1] पैदा किया है और वह अपने अर्श पर बुलंद है[2]।

---

[1] ऐसा उस ने किसी हिकमत के मद्दे नज़र किया वरना वह तो पूरी कायनात को पलक झपकने से पहले पैदा कर सकता है। क्योंकि जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है तो उस से केवल कहता हैः हो जा, और वह हो जाती है।

[2] अरबी भाषा -अर्थात कुरआन की भाषा- में استوى على الشيء का अर्थ हैः किसी चीज़ पर बुलंद होना। और अल्लाह तआला अपने अर्श के ऊपर बुलंद है जैसे उस के लायक़ है, परन्तु किस तरह? उस के सिवा कोई नहीं जानता। इस का अर्थ मालिक होना तथा सत्ता हासिल करना नहीं है जैसा कि कुछ पथभ्रष्ट समुदायों का कहना है। यह लोग अल्लाह तआला के उन गुणों का इनकार करते हैं जिन से उस ने खुद को तथा उस के रसूलों ने उसे विशेषित किया है, इन का खयाल है कि यदि वे अल्लाह के गुणों की

अल्लाह तआला उस सिंहासन के ऊपर उच्च है, तथा अपने ज्ञान, श्रवण शक्ति एवं प्रेक्षा के द्वारा सारी सृष्टि के साथ है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, अल्लाह ने सूचना दी है कि उस ने रात को उस के अंधकार के द्वारा दिन को ढांकने का साधन बनाया है, वह तीव्रता के साथ उसके पीछे आती है, तथा उसने सूरज, चाँद एवं सितारे पैदा किये, इन सबको अपने अधीन कर रखा है, वह अपनी - अपनी कक्षा में चलते हैं, उतपत्ति एवं आदेश देने का वह एक अकेला पात्र है, वह अपने अस्तित्व एवं विशेषताओं में महान एवं

वास्तविकता को स्वीकार कर लें तो वे अल्लाह को उस की सृष्टि के सदृश ठहराने वाले हो जोएंगे। मगर यह खयाल बेबुनियाद है, क्योंकि सदृश ठहराना तब होगा जब कहा जाए कि अल्लाह तआला का कोई गुण सृष्टि के किसी गुण के जैसा है। लेकिन यदि इन गुणों को अल्लाह तआला के लिए उसी प्रकार साबित किया जाए जैसे उस के लायक़ है, सदृश न ठहराया जाए, उदाहरण न दिया जाए, कैफ़ियत न बयान की जाए, न इनकार किया जाए और न ही उन के अर्थ बदले जाएं तो यही रसूलों का रास्ता है जिस पर सहाबा एवं उन के अनुयायी चलते रहे और यही सत्य है जिसे मोमिन को अपनाना चाहिए यद्यपि अधिकतर लोग इसे न मानें।

संपूर्ण है वह हमेशा खूब उपकार एवं भलाई करता है, वह सारे संसार का रब है, जिसने उन्हें बनाया और नेमतों के द्वारा उनका पालन - पोषण किया।

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: तथा उसकी निशानियों में से है रात्रि, दिवस, सूर्य तथा चन्द्रमा, तुम सज्दा न करो सूर्य तथा चन्द्रमा को और सज्दा करो उस अल्लाह को, जिसने पैदा किया है उनको, यदि तुम उसी (अल्लाह) की इबादत (वंदना) करते हो।[1] [सुरा फ़ुस्सिलत: 37]

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

उपरोक्त आयत में सूचना दी जा रही है कि अल्लाह तआला को प्रमाणित करने वाली निशानियों में रात - दिन, चाँद एवं सूरज हैं । चाँद एवं सूरज को सजदा करने से अल्लाह तआला रोक रहा रहा है, क्योंकि वह दोनों भी दूसरे जनितों की तरह जनित हैं तथा जनित की उपासना (इबादत) किसी भी दशा में सही नहीं है, सजदा करना इबादत है, अल्लाह तआला ने लोगों को इस आयत में तथा इस के अतिरिक्त दूसरी आयतों में आदेश दिया है कि केवल एक अल्लाह

ही को सजदा करो इसलिए कि वही पैदा करने वाला एवं कुशल प्रबन्धक है और उपासना के योग्य है

तर्क २:

अल्लाह ने पुरुष एवं स्त्री को पैदा किया है, पुरूषों एवं स्त्रियों का पाया जाना अल्लाह के अस्तित्व का प्रमाण है।

तर्क ३:

ज़बानों और रंगों का भिन्न होना, दो व्यक्ति एक ही आवाज़ वाले पाये जाते हैं न एक ही रंग वाले | बल्कि दोनों में अवश्य कुछ न कुछ अंतर होता है।

तर्क ४:

भाग्यों की विविधताः एक अमीर दूसरा गरीब, कोई प्रमुख तो कोई अनुगामी जबकि हरेक के पास ज्ञान एवं बुद्धि है और सभी को दौलत, इज़्ज़त तथा सुंदर बीवी की आकांक्षा होती है। फिर भी इनसान अपनी किसमत से ज़्यादा पा नही सकता।

एवं इन सब के पीछे एक बड़ी हिकमत है जो अल्लाह सुबहानहु[1] चाहता है, और वह हैः लोगों की एक दूसरे के माध्यम से परीक्षा लेना और उन का एक दूसरे की सेवा करना ताकि किसी का कोई नुकसान न हो।

यदि अल्लाह ने इस संसार में किसी को कुछ न दिया हो तो अल्लाह ने सूचना दी है कि वह स्वर्ग (जन्नत) में उसकी नेमतों में अधिकता करेगा इस शर्त पर कि उस की मृत्यु ईमान पर हुई हो, इसके अतिरिक्त अल्लाह ने निर्धन को कुछ ऐसी विशेषताएं प्रदान की हैं जिन से वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से लाभांवित होता है जिन से बहुत से धनवान वंचित होते हैं, यह अल्लाह की हिकमत एवं न्याय का दर्शन है।

तर्क ५:

[1] सुबहानहः अर्थात अल्लाह तआला हर प्रकार की त्रुटियों एवं कमियों से पवित्र है।

नींद तथा सच्चा सपना जिस के द्वारा अल्लाह तआला सोने वालों को कुछ परोक्ष की सूचना शुभ समाचार या चेतावनी हेतु दे देता है।

तर्क ६:

आत्मा (रूह) जिसकी वास्तविकता अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता।

तर्क ७:

मानव, तथा उसके शरीर में उपस्थित इंद्रियाँ, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क एवं पाचन शक्ति का क्रम आदि |

तर्क ८:

बंजर जमीन पर अल्लाह तआला वर्षा बरसाते हैं तथा अनेक प्रकार के फल - फूल तथा पेड़- पौधे उगाते हैं। यह कुछ तर्क उन सैकड़ों तर्कों में से है जिनकी चर्चा अल्लाह तआला ने कुरआन में की है, यह तर्क उस के अस्तित्व, उसके उत्पत्तिकर्ता होने एवं सारे संसार का कुशल प्रबंधक होने को प्रमाणित करते हैं।

तर्क ९:

स्वाभाविक; जिस पर अल्लाह ने लोगों को बनाया है, अल्लाह के अस्तित्व तथा उसके उत्पत्तिकर्ता और प्रबंधक होने की गवाही देता है, जो इसको नहीं मानता है वह अपने आप को भ्रम में फंसा कर अभागा बना लेता है, कम्युनिस्ट[1] इस संसार में अभागापन का जीवन व्यतीत करता है, इसलिए कि मृत्यु के बाद उसका ठिकाना नरक (जहन्नम) में होगा, जिस अल्लाह ने उसे अनस्तित्व से अस्तित्व प्रदान किया और विभिन्न प्रकार की नेमतों से उसको सम्मानित किया उसे झुठलाने का यही अंजाम है। और अगर उसे इस परिणाम से बचना हो तो वह ' तौबा ' कर ले तथा अल्लाह और उसके रसूलों पर एवं उस के धर्म (दीन) पर ईमान ले आये।

तर्क १०:

[1] और कम्युनिस्ट की तरह नास्तिक भी है।

बरकतः यानी कुछ प्राणि वर्गों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है जैसे भेड़, बकरी | इसके विपरीत कुछ में ऐसी वृद्धि नहीं होती है जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ।

☆ ☆ ☆

अल्लाह तआला का एक गुण हैः

प्रथम, उसका कोई आरंभ नहीं | जीवित है सदा से, सदा के लिए, उसके लिए न मृत्यु है न कोई अंत | वह निःस्पृह (बेनियाज़) है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वह एक एवं अकेला है उसका कोई भागीदार नहीं है | अल्लाह तआला फरमाते हैं: आप कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है (1)। अल्लाह निःस्पृह है (2) न उस ने (किसी को) जना, और न (किसी ने) उसको जना (3)। और न उसके बराबर कोई है (4)। सूरतुल इख़लास: 1-4

सूरह की व्याख्याः

कुफ़्फार ने जब अंतिम नबी से अल्लाह की विशेषताओं के संबन्ध में सवाल किया तो अल्लाह तआला ने यह सूरह उतारी जिसमें अल्लाह ने आप को यह फ़रमाने का आदेश दिया कि:

अल्लाह अकेला है जिसका कोई साझी नहीं है, वह सदा जीवित रहने वाला और उपाय करने वाला है, संसार की हर वस्तु पर उसका शासन है, लोगों को अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए केवल उसी की ओर लौटना चाहिए।

उसका न कोई पिता है न बेटा, तथा न ही यह उचित है कि उसके बेटा - बेटी और माता - पिता हों, बल्कि उसने अपने संबंध में इनका सख़ती से इनकार किया है, इस सूरह में तथा इसके अतिरिक्त दूसरी सूरतों में भी। वंश एवं जन्म की निरंतरता सृष्टि की विशेषता है। और नसारा जो मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं अल्लाह ने उन का विरोध किया है और यहूदियों की इस बात का खंडन किया है कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है एवं उन लोगों की बातों को भी गलत तथा बेबुनियाद ठहराया है जिन्होंने यह दावा किया कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं।

और अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने अपनी शक्ति से ईसा عليه السلام को बिना पिता के पैदा किया जिस प्रकार मानव जाति के पिता हज़रत आदम عليه السلام को मिट्टी से पैदा किया तथा हव्वा मानव जाति की माता को आदम عليه السلام की

पसली से पैदा किया फिर आदम عليه السلام की संतान को पुरूष एवं महिला के पानी (वीर्य) से पैदा किया। हर वस्तु को वह अनस्तित्व से अस्तित्व में लाया तथा अपने सारे प्राणि वर्गों के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, कोई भी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, वही जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है,

जैसाकि उसने ईसा عليه السلام को बिना पिता के पैदा किया तथा उन्हें बात करने की क्षमता दी जबकि वह अभी अपनी माता की गोद ही में थे, जैसाकि उसने मूसा عليه السلام की छड़ी को दौड़ता हुआ साँप बना दिया और जब उन्होंने समुद्र में उसे मारा तो समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया, समुद्र के बीच रास्ता बन गया जिससे वह और उनकी कौम बाहर निकल आए, जैसाकि उसने अंतिम नबी हज़रत मुहम्मद صلى الله عليه وسلم के लिए चाँद के दो टुकड़े कर दिए तथा वृक्ष को यह आदेश दिया कि वह आप صلى الله عليه وسلم को सलाम करे, तथा पशु को आदेश दिया कि वह आप صلى الله عليه وسلم की दूतत्व (रिसालत)

की गवाही उच्च आवाज में दे कि लोग सुन सकें, वह कहता था: मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तथा आप ने " बुराक़ " पर ' मसजिदे हराम से मसजिदे अक़्सा तक की यात्रा की, फिर आप को " आकाश की ओर ले जाया गया, आप صلی الله علیه وسلم के साथ फरिश्ता जिब्राईल علیه السلام थे, यहाँ तक कि आप आकाशों के ऊपर पहुँच गये, अल्लाह ने आप से बात की, आप صلی الله علیه وسلم पर नमाजें अनिवार्य कीं . फिर आप صلی الله علیه وسلم धरती पर (मस्जिदे हराम) लौट आये | रास्ते में आप صلی الله علیه وسلم ने हर आकाश के निवासियों का दर्शन किया, यह सारी घटना एक ही रात में फज्र से पहले घटी, " इस्रा " व " मेराज " की घटना क़ुरआन एवं हदीसों में तथा इस्लामी इतिहास की पुस्तकों में प्रसिद्ध है।

☆ ☆ ☆

और अल्लाह तआला की कई और पवित्र विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1- सुनना, देखना, ज्ञान, शक्ति एवं संकल्प, हर वस्तु को वह देखता है, सुनता है, उसके सुनने और देखने में कोई चीज़ बाधा नहीं डाल सकती।

गर्भाशय में जो कुछ है उसका उसे ज्ञान है, सीने जिसको छुपाते हैं उससे वह अवगत है, जो हो चुका अथवा जो होने वाला है उसकी भी उसे खबर है, वह शक्तिमान है, जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है " कुन " (हो जा) और वह हो जाती है।

2- कलाम (बात करना) भी उस का एक गुण है, वह जब चाहे जो चाहे कलाम फरमाता है। मूसा عليه السلام तथा अंतिम नबी हजरत मुहम्मद صلى الله عليه وسلم से उसने कलाम किया है, कुरआन का प्रत्येक शब्द उसका कलाम है जिसे उसने अपने प्यारे नबी मुहम्मद صلى الله عليه وسلم पर उतारा, यह उसकी

विशेषताओं में से एक विशेषता है, और मखलूक नहीं, जैसाकि गुमराह " मोतजिला "[1] का विश्वास है।

3- चेहरा, दो हाथ, (अर्श के ऊपर बुलंद होना), उतरना[2], प्रसन्न होना एवं क्रोधित होनाः वह अपने मोमिन बंदों से प्रसन्न होता है और काफिरों पर तथा जो उसके प्रकोप के योग्य कार्य करते हैं उन पर क्रोधित होता है | प्रसन्नता एवं प्रकोप भी अल्लाह तआला की बाकी विशेषताओं की तरह सृष्टि की विशेषताओं से भिन्न हैं| इसलिए इन के अर्थ भी नहीं बदले जाएंगे और न ही इन

---

[1] मोतज़िलाः पथभ्रष्ट मुसलमानों का एक गुट जिस ने अल्लाह तआला के प्यारे नामों को बिगाड़ा और उन के ऐसे अर्थ बताए जो अल्लाह तथा उस के रसूल के उद्देश्य के ख़िलाफ़ हैं।

[2] उतरने का प्रमाण यह हदीस है जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जब रात के तीन भागों में से अंतिम तीसरा भाग बाक़ी रहता है हमारा रब पहले आसमान की तरफ उतरता है और लोगों को आवाज़ देता हैः कौन मुझे पुकारता है कि मैं उस की पुकार सुनूँ? कौन मुझ से मांगता है कि मैं उसे प्रदान करूँ? और कौन मुझ से क्षमा चाहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ?" (बुख़ारी (7494), मुसलिम (758), तिरमिज़ी (3498))।

की कैफ़ियत (यानी कैसे प्रसन्न या क्रोधित होता है उस का वर्णन) बयान की जाएगी।

कुरआन एवं हदीस से यह सिद्ध है कि मोमिनीन स्वर्ग में तथा कियामत के मैदान में अल्लाह को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखेंगे, कुरआन एवं हदीस में अल्लाह की विशेषताओं का सविस्तार चर्चा है।

☆☆☆

इंसानों एवं जिन्नों की उत्पत्ति का उद्देश्य

जब आपको मालूम हो गया कि अल्लाह आप का रब है जिसने आप को पैदा किया, तो यह भी जान लीजिए कि उसने आप को बिना उद्देश्य के पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी उपासना (इबादत) के लिए पैदा किया | इसका तर्क स्वयं उसका यह कथन हैः "मैंने जिन्नों और इन्सानों को मात्र इसी लिए पैदा किया है कि वे केवल मेरी इबादत करें।" [6] मैं नहीं चाहता हूँ उनसे कोई जीविका और न चाहता हूँ कि वे मुझे खिलायें। अवश्य अल्लाह ही जीविका दाता, शक्तिशाली, बलवान् है। सूरह अज़्ज़ारियातः 56-58

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

पहली आयत में अल्लाह तआला ने सूचित किया कि उस ने इनसानों तथा जिन्नों[1] को केवल इस लिए पैदा किया कि वे उस की इबादत करें और दूसरी तथा तीसरी आयत में फरमाया कि वह अपने बनदों से बेनियाज़ है, न उन से जीविका चाहता है न खाना क्योंकि वही जीविका दाता,शक्तिशाली है, सब को उसी के पास से रोज़ी मिलती है। वही बारिश बरसाता है एवं ज़मीन से जीविका निकालता है।

और दूसरी जो रचनाएं धरती पर हैं अल्लाह ने उन्हें इनसान के लिए बनाया है ताकि वह अल्लाह के आज्ञापालन में उन का उपयोग करे और अल्लाह की शरीयत (विधान) के अनुसार उन के साथ व्यवहार करे। और इस संसार में जो कुछ भी है सब की रचना अल्लाह तआला ने किसी हिकमत के मद्दे नज़र की है जिस का वर्णन कुरआन में है और जिसे उलमा अपने अपने इल्म (ज्ञान) के

---

[1] जिन्नः बुद्धिमान सृष्टि, जिन्हें अल्लाह ने इनसानों ही की तरह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वे इसी धरती पर इनसानों के साथ रहते हैं परन्तु इनसान उन्हें देख नहीं पाते।

अनुसार जानते हैं। आयु तथा जीविका का कम अथवा ज़्यादा होना और घटनाएं तथा आपदाएं सब अल्लाह की अनुमति के अनुसार ही होती हैं ताकि वह अपने बुद्धिमान बंदों की परीक्षा ले। अतः जो अल्लाह की तक़दीर स्वीकार कर उस पर संतुष्ट होगा और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेगा उस पर अल्लाह राज़ी होगा एवं दुनिया तथा आखिरत में उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो अल्लाह की तक़दीर न मान कर उस पर असंतुष्ट होगा उसे अल्लाह की ओर से भी नाराज़ी मिलेगी ओर दुनिया तथा आखिरत में वह बदकिस्मत होगा।

हम अल्लाह तआला से उसकी संतुष्टि की प्रार्थना करते हैं और उसकी नाराज़ी से उसकी शरण मांगते हैं।

☆ ☆ ☆

मृत्यु के पश्चात जीवन, लेखा - जोखा, कर्मों का फल एवं स्वर्ग-नरक

ऐ बुद्धिमान व्यक्ति, जब आप ने यह समझ लिया कि अल्लाह तआला ने आप को अपनी उपासना के लिए पैदा किया है तो अब यह भी जान लें कि अल्लाह तआला ने अपनी सारी

पुस्तकों में, जो उस ने अपने रसूलों पर उतारी हैं, यह सूचना दी है कि वह आप को मृत्यु के बाद दोबारा जीवित करेगा एवं आप को आप के कर्मों का फल प्रदान करेगा। क्योंकि इनसान को जब मौत आती है तो वह इस नश्वर जीवन तथा कर्म स्थल से निकल कर ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे बदला दिया जाएगा और कभी मौत नहीं आएगी। जब इनसान की आयु, जो अल्लाह ने उस के लिए तै की है, समाप्त हो जाती है अल्लाह तआला मौत के फरिश्ते को आदेश देता है, वह उस की रूह निकालता है और इनसान मौत का मज़ा चखने के बाद मर जाता है।

रूह यदि मोमिन हो तो अल्लाह तआला उसे " दारुन नईम " स्वर्ग में रखता है, यदि वह काफिर एवं अवज्ञाकारी हो, अंतिम दिन को झुठलाने वाली हो तो उसे " दारूल अजाब " आग में रखता है | यहाँ तक कि महाप्रलय (कियामत का समय) आ जाये | जब सारी सृष्टि की मृत्यु हो जायेगी सिवाय अल्लाह के कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह तआला सारी दुनिया को दोबारा जीवित करेगा तथा रूह शरीर में लौटा देगा और शरीर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आएगा जैसाकि पहली बार अल्लाह ने उसे पैदा

किया था। ताकि पुरुष, स्त्री, प्रमुख, अनुगामी, अमीर ओर गरीब सब को उन के कर्मों के फल प्रदान करे। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। मज़लूम के लिए ज़ालिम से प्रतिशोध लिया जाएगा। बल्कि जानवरों से भी एक दूसरे के लिए बदला लिया जाएगा फिर अल्लाह तआला उन से कहेगाः मिट्टी हो जा, क्योंकि वह स्वर्ग अथवा नरक में प्रवेश नहीं करेंगे।

जिन्न और इंसान में से हर व्यक्ति को उस के कर्मों का फल प्रदान करेगा, मोमिनों को, जिन्हों ने उस की बात मानी एवं उस के रसूलों का अनुसरण किया, स्वर्ग में प्रवेश प्रदान करेगा चाहे वे सबसे गरीब हों, तथा काफिरों को, चाहे वे संसार में कितने ही धनवान एवं उच्च पद के मालिक क्यों न रहे हों, नरक में डालेगा। अल्लाह तआला का कथन हैः अल्लाह के निकट तुम में सब से अधिक प्रतिष्ठावान वह है जो सब से ज़्यादा तक़वा (अल्लाह का आज्ञापालन) रखता हो। अल्लाह तआला सब कुछ जानने वाला सब से सूचित है। [सूरा अल-हुजुरात: 13]

जन्नत (स्वर्ग): यह नेमतों (हर प्रकार के आनंद) का स्थान है, उस में इतनी सारी नेमतें हैं कि कोई उनका बखान नहीं कर सकता, उसमें सौ श्रेणियाँ हैं, हर श्रेणी में लोग अपने - अपने ईमान एवं कर्म के हिसाब से रहेंगे। स्वर्ग की अंतिम श्रेणी के लोगों को जो नेमतें प्राप्त होंगी वे संसार के सबसे अधिक समृद्ध बादशाह को मिली दौलत से भी कई गुना अधिक होंगी[1]।

[1] इस बात का प्रमाण मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अनहु की यह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछाः ऐ अल्लाह, जन्नत में सबसे नीचे अस्तर का व्यक्ति कैसा होगा? कहाः वह व्यक्ति जो जन्नतियों के जन्नत में प्रवेश करने के बाद अंत में आएगा, उसे जन्नत में प्रवेश करने को कहा जाएगा, तो वह कहेगाः ऐ मेरे रब, कैसे, जबकि लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अपने अपने हिस्से ले चुके हैं? उससे कहा जाएगाः यदि तुझे दुनिया के किसी बादशाह के बराबर संपत्ति मिले तो क्या तू राज़ी होगा? तो वह कहेगाः ऐ मेरे रब, मैं राज़ी हो गया। अल्लाह तआला उससे कहेगाः तुझे उतनी दौलत दी जाती है, फिर उतनी और, फिर उतनी और। पाँचवीं बार वह कहेगाः ऐ मेरे रब, मैं राज़ी हो गया। अल्लाह तआला फरमाएगाः तुझे इतनी और इससे भी

आग (नरक): अल्लाह हमें इससे बचाये, मृत्यु के पश्चात परलोक में यह यातना (अज़ाब) का स्थान है, इसमें इतने प्रकार की यातनायें हैं कि उनकी चर्चा से ही हृदय काँप जाता है तथा आंखें रो पड़ती हैं।

यदि परलोक में मौत पाई जाती तो नरक वाले उसे देखते ही मर जाते। लेकिन मौत तो एक ही बार आती है जिससे इनसान परलोक पहुंचता है। कुरआन में मौत, पुनर्जीवन, हिसाब एवं स्वर्ग-नरक का संपूर्ण वर्णन है। हमने यहां केवल कुछ इशारे किए।

मृत्यु के पश्चात दोबारा जीवित होने और लेखा - जोखा से संबंधित कुरआन में बहुत सारे तर्क हैं, अल्लाह तआला ने

दस गुनी अधिक संपत्ति दी जाती है और तुझे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तेरा दिल चाहे और जिससे तेरी आँखों को ठंढक पहुंचे। वह कहेगाः ऐ मेरे रब, मैं राज़ी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछाः ऐ मेरे रब, सबसे ऊंचे स्तर के व्यक्ति का क्या हाल होगा? अल्लाह तआला ने फ़रमायाः यह मेरे चुने हुए बंदे हैं, ... (मैं ने जो उन के लिए तैयार कर रखा है) वह न किसे आँख ने देखा है, न किसी कान तक पहुंचा है और न ही किसी इनसान के दिल ने उसकी कभी कल्पना की है।

फ़रमायाः हम ने तुम्हें इसी से (ज़मीन से) पैदा किया। तथा मृत्यु के पश्चात इसी में लौटा देंगे तथा फिर इसी से तुम्हें दोबारा अंतिम दिन निकालेंगे | सूरा ताहा: 55 एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: तथा उसने हमारे लिए उदाहरण पेश किया तथा अपनी पैदाइश भूल गया, कहने लगा भला इन सड़ी - गली हड्डियों को कौन जीवित कर सकता है? सूरा यासीनः (78-79)

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फ़रमाया: काफिरों का यह विचार है कि वह कभी मृत्यु के पश्चात उठाये नहीं जायेंगे, कह दीजिए क्यों नहीं! शपथ है मेरे रब की तुम्हें दोबारा उठाया जायेगा तथा तुम्हारी करतूतों की तुम्हें सूचना दी जायेगी और यह कार्य अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है। सूरा अत्-तग़ाबुन: 7

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

पहली आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि उसने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया | वह ऐसे कि उसने उनके पिता आदम को मिट्टी से बनाया, तथा मृत्यु के पश्चात वह उन्हें कब्रों में लौटा देता है जिसमें उनकी प्रतिष्ठा है, वह दोबारा उन्हें उससे उठायेगा और वह

जीवित होंगे, जब सारे लोग जीवित हो जायेंगे तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दिया जायेगा।

दूसरी आयत में अल्लाह तआला काफिरों का विरोध कर रहे हैं जो दोबारा जीवित होने को झुठलाते हैं तथा विनाश के पश्चात जीवन को विश्वास योग्य नहीं समझते, अल्लाह तआला कहते हैं कि वह उन्हें जीवित करेगा जैसा कि उसने उन्हें प्रथम बार अनास्तित्व से अस्तित्व में लाया था।

तीसरी आयत में भी काफिरों के विचार का खंडन है जो मृत्यु के पश्चात जीवन का इंकार करते थे, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को आदेश दिया कि वह मज़बूत क़सम खाकर बयान करें कि अल्लाह तआला उन्हें शीघ्र ही दोबारा उठायेगा तथा उन्हें उन के कर्मों का फल देगा और यह सारा काम अल्लाह के लिए बहुत ही सरल है।

एक और आयत में अल्लाह ने सूचना दी है कि वह जब ऐसे लोगों को दोबारा उठाएगा जो दूसरे जीवन एवं आग की यातना का इंकार करते हैं तो उन्हें आग में डालेगा और उन से कहा जाएगाः लो नरक की यातना का स्वाद चखो जिसको तुम झुठलाते थे | सूरा अस-सजदहः 20

इंसान की कथनी एवं करनी का सुरक्षित होनाः

अल्लाह ने यह सूचना दे दी है कि इनसान जो कुछ भी कहेगा या करेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, गुप्त हो या अगोपन उसे सब मालूम है, और उस ने यह सारी बातें आसमान, ज़मीन और इनसान आदि की रचना से पहले ही अपने पास लौह ए महफ़ूज़ में लिख रखी हैं। इस के अलावा उसने हर इनसान के साथ दो फरिश्ते नियुक्त कर रखे हैं, एक दाएँ जो नेकियाँ लिखता है और दूसरा बाएँ जो बुराइयाँ लिखता है, कुछ भी नहीं छोड़ते। और अल्लाह तआला ने स्पष्ट कर दिया है कि क़यामत के दिन हर इनसान को उसकी किताब दी जाएगी जिस में उसकी सारी बातें और समस्त कर्म लिखे होंगे। वह अपनी किताब पढ़ेगा तथा उस में लिखी किसी भी चीज़ का इनकार न कर सकेगा। किन्तु जो इनकार करेगा अल्लाह तआला उसके कान, आँख, हाथ, पैर तथा चमड़े से उस के ख़िलाफ़ गवाही दिलवाएगा।

कुरआन ए करीम में इन बातों का सविस्तार वर्णन मौजूद है, अल्लाह तआला ने फ़रमायाः वह जब भी कोई शब्द मुंह से निकालता है एक निरीक्षक उस के पास तैयार होता है। सूरा क़ाफ़ः

18 एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने फरमाया है: और निस्संदेह तुम पर सम्मानित लिखने वाले निरीक्षक नियुक्त हैं। जो कुछ तुम करते हो वे जानते हैं। सूरतुल इनफ़ितारः (10-12)

आयतों की व्याख्याः

अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि उन्होंने हर इंसान के साथ दो फरिश्तों को लगा दिया है, एक दाएँ है जो नेकियाँ लिखता है एक बाएँ है जो बुराइयाँ लिखता है | उसने इंसानों के साथ प्रतिष्ठित फरिश्तों को लगा रखा है, वह उनके सारे कामों को लिखते हैं । अल्लाह तआला ने उन्हें यह शक्ति दी है कि वह उन के सारे कामों का ज्ञान रखते हैं और उन्हें लिखते हैं। और अल्लाह ने भी इन चीज़ों को इनसान की रचना से पहले " ही लौह ए महफ़ूज़ " में लिख रखा है और इन से अवगत भी है।

शहादत (गवाही)

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य (माबूद) नहीं है तथा मुहम्मद صلى الله عليه وسلم अल्लाह के रसूल हैं तथा मैं गवाही देता हूँ कि स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है और

प्रलय आने ही वाला है उसमें कोई संदेह नहीं | अल्लाह तआला कब्र वालों को लेखा - जोखा के लिए दोबारा जीवित करेगा, अल्लाह ने अपनी किताब में और प्यारे रसूल صلى الله عليه وسلم के माध्यम से जिस चीज़ की भी सूचना दी है वह सत्य है।

ऐ बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हें भी इसी गवाही पर ईमान लाने, इसका ऐलान करने तथा इसके अनुसार कार्य करने का आह्वान करता हूँ, यही मुक्ति का मार्ग है।

दूसरा अध्यायः अपने नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहचानना

जब तुम को यह पता चल गया कि अल्लाह तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है तथा वह तुम्हें दोबारा जीवित करेगा ताकि तुम्हारे कर्मों का फल दे तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसने लोगों की हिदायत (मार्गदर्शन) के लिए एक रसूल को भेजा है, जिसके आज्ञापालन एवं अनुसरण का तुम्हें आदेश दिया है, तथा उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सटीक उपासना (इबादत) की पहचान का कोई मार्ग नहीं है सिवाय रसूल तथा वह जो शरीयत (विधान) देकर भेजे गए हैं उसके अनुसरण के।

वह रसूल जिन पर ईमान लाना एवं उनकी पैरवी करना सारे लोगों पर आवश्यक है वह अंतिम रसूल हजरत मुहम्मद صلى الله عليه وسلم हैं जो सारे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल हैं, वह अनपढ़ नबी मुहम्मद صلى الله عليه وسلم हैं जिनकी शुभ सूचना मूसा عليه السلام एवं ईसा عليه السلام ने 'तौरेत' एवं 'इंजील'

में चालीस से अधिक स्थानों पर दी है | यहूद और नसारा इन किताबों में उलट - फेर से पहले इस सूचना को पढ़ा करते थे[1]।

हजरत मुहम्मद صلى الله عليه وسلم पर अल्लाह ने दूतत्व (रिसालत) को समाप्त किया, तथा उन्हें सारे लोगों केलिए नबी बनाकर भेजा | वह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हाशमी एवं कुरैशी हैं | वह इस संसार के सबसे प्रतिष्ठित एवं सच्चे इंसान हैं और सबसे ऊँचे गोत्र से ताल्लुक रखते हैं। वह अल्लाह के नबी इस्माईल बिन इब्राहीम عليه السلام की नसल से हैं । आप का जन्म मक्का में ५७० ई . में हुआ, जिस रात आप का जन्म हुआ तथा जिस पवित्र छण आप मा के पेट से इस संसार में तशरीफ़ ला रहे थे एक महा प्रकाश ने सारे संसार को उज्जवल किया, लोग स्तब्ध हो गये तथा इतिहास की पुस्तकों ने इसे रिका ॅर्ड किया,

---

[1] नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबंधित यह शुभ सूचनाओं के लिए देखें: इबने तैमिया की पुस्तक "अल-जवाबुस्सहीह लिमन बद्दल दीनल मसीह" भाग 1, इबनुल क़ैइम की "हिदायतुल हयारा", इबने हिशाम की "अस-सीरह" तथा "तारीख इबने कसीर" आदि।

काबा शरीफ़ के पास रखी मूर्तियां अधोमुख हो गयीं, फ़ारस के बादशाह किसरा के महल में कंपन हुआ तथा दस से अधिक कंगूरे गिर गये, पारसियों की आग जिसकी वह पूजा करते थे बुझ गई जबकि वह दो हजार वर्ष से नहीं बुझी थी।

यह सारी घटनायें वास्तव में अल्लाह की ओर से पृथ्वी वालों के लिए अंतिम नबी के आगमन का ऐलान थीं कि वह सारे बुतों के टुकड़े - टुकड़े कर देगा जिनकी पूजा की जाती है, फारस एवं रोम को एक अल्लाह की उपासना और उसके सत्य धर्म में प्रवेश करने का निमंत्रण देगा, यदि न मानें तो अपने अनुकर्ताओं के संग उनसे धार्मिक युद्ध (जिहाद) करेगा तथा अल्लाह तआला उसकी सहायता फरमायेगा | इस्लाम धर्म को फैलायेगा जो अल्लाह की रोशनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ठीक ऐसा ही हुआ।

अंतिम रसूल मुहम्मद صلى الله عليه وسلم को अल्लाह ने कुछ विशेषताओं से सम्मानित किया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैंः

1- वह अंतिम रसूल हैं उनके बाद न कोई रसूल होगा न नबी।

2- उन्हें सारे लोगों की ओर रसूल बना कर भेजा गया। यूँ सारे लोग मुहम्मद की उम्मत (जाति) हैं, जो उनका अनुसरण करेगा जन्नत में प्रवेश करेगा और जो अवज्ञा करेगा नरक में जाएगा। यहां तक कि यहूदी और ईसाई पर भी उनका अनुसरण अनिवार्य है। यदि कोई उनके रास्ते पर नहीं चलता तो वह मूसा, ईसा और बाक़ी सारे नबियों का इनकार करने वाला होगा। मूसा, ईसा या किसी भी नबी का उस व्यक्ति से कोई नाता नहीं जो मुहम्मद की पैरवी न करे, इसलिए कि अल्लाह तआला ने सारे नबियों को आदेश दिया था कि वे मुहम्मद के आगमन की शुभ सूचना दें तथा अपनी उम्मतों को उनके अनुसरण की ओर आह्वान करें। दूसरा कारण यह है कि आप जो धर्म (दीन) लाये हैं यह वही धर्म है जो सारे नबी अपनी कौमों के पास लाये थे और अल्लाह ने उसे पूर्ण एवं सरल अंतिम रसूल मुहम्मद के समय में किया | मुहम्मद के भेजे जाने के बाद इस्लाम के अतिरिक्त किसी और धर्म को अपनाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है इसलिए कि यही पूर्ण धर्म है जिसके द्वारा अल्लाह

ने सारे धर्मों को निरस्त कर दिया है तथा वही सत्य एवं सुरक्षित धर्म है।

मगर यहूदियत और ईसाइयत परिवर्तित धर्म हैं, अब यह वैसे नहीं रहे जैसे अल्लाह ने इन्हें उतारा था। अतः हर वह व्यक्ति जो मुसलमान हो और मुहम्मद का अनुसरण करने वाला हो उसे मूसा, ईसा और सारे नबियों का अनुगामी माना जाएगा और जो इसलाम से बाहर हो वह मूसा, ईसा और तमाम नबियों का इनकार करने वाला माना जाएगा वह चाहे जितना दावा करे कि वह मूसा या ईसा को मानने वाला है।

इसी कारण यहूद एवं नसारा के कुछ बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय विद्वानों ने मुहम्मद صلى الله عليه وسلم पर ईमान लाने तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने में अग्रसरता की।

☆ ☆ ☆

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजेज़े[1]

---

[1] कुरआन में मोजेज़ा को आयत (निशानी) कहा गया है, और वही अधिक सटीक है मगर यहाँ शब्द मोजेज़ा का उल्लेख हुआ क्योंकि यह शब्द विशेष

नबी की जीवनी लिखने वाले विद्वानों ने मुहम्मद صلى الله عليه وسلم के चमत्कारों की गणना की है जो आप के सच्चे नबी होने के प्रमाण हैं तो उनकी संख्या एक हजार से भी अधिक हुई है।

१ . मुहरे नबूवत, जिसे अल्लाह ने आप के मोढ़ों के बीच बनाया था और जहाँ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह लिखा था, हलके उभरे हुए मांस के आकर में थी[1]।

२ . तेज़ धूप में आप चलते तो बादल आप पर छाया कर देता।

३ . आप के हाथ में कंकरियों का " तस्बीह " पढ़ना तथा वृक्ष का आप को सलाम करना।

४ . अंतिम काल में घटित होने वाली घटनाओं की सूचना देना तथा वह धीरे - धीरे बिल्कुल सत्य साबित हो रही हैं।

रूप से चमत्कारों के लिए बोला जाता है (और नीचे उन्हीं चीज़ों का बयान है)।

[1] यह मुहर चाँद के आकार में थी और कबुतरी के अंडे के समान थी।

और इन गैब (परोक्ष) की बातों की, जो अंतिम नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की मृत्यु के बाद पृथ्वी के समाप्त होने तक घटित होंगी और जिन की सूचनी अल्लाह ने आप को दी थी, हदीस की किताबों तथा क़यामत की निशानियों पर लिखी गई पुस्तकों जैसे इबने कसीर की "अन-निहायह", "अल-अखबारुल मुशाअह फ़ी अशरातिस्साअह" एवं फितने तथा युद्ध संबंधित अध्यायों में चर्चा की गई है। नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के यह चमत्कार आप से पहले आने वाले नबियों के चमत्कार के समान ही हैं।

लेकिन अल्लाह तआला ने आप को एक विशेष बौद्धिक चमत्कार भी प्रदान किया है जो इस संसार के अंत तक बाकी रहेगा और ऐसा चमत्कार किसी और नबी को प्राप्त नहीं हुआ। और वह हैः कुरआने करीम -अल्लाह के शब्द- जिसकी रक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं अल्लाह ने ली है इसी लिए कोई उसे बदल नहीं सकता और यदि कोई एक अक्षर भी बदलने की कोशिश करेगा तो यह बात छिपी नहीं रहेगी। देखें मुसलमानों के पास कुरआने करीम की लाखों कापियां हैं लेकिन उन में एक अक्षर का भी अंतर नहीं है।

मगर तौरात और इनजील के प्रकाशन भिन्न हैं और उन में अंतर भी पाया जाता है क्योंकि यहूदियों तथा ईसाइयों ने अपनी इन पुस्तकों के साथ खिलवाड़ किया और उनकी रक्षा नहीं की। मगर कुरआन की रक्षा का दायित्व किसी और को नहीं दिया गया बल्कि खुद अल्लाह तआला ने उसकी रक्षा की। अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः निःसंदेह हमने ही क़ुरआन को उतारा है तथा हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। [सूरा अल-हिज्रः 9]

कुरआन अल्लाह का कलाम है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात के बौद्धिक तर्क एवं कुरआनी प्रमाण।

न्याय शास्त्र के अनुसार इस बात के बहुत से बौद्धिक तर्क हैं, जिनमें से एक यह है कि मक्का के काफिरों ने जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया और कुरआन के अल्लाह का कलाम होने का इंकार किया तो अल्लाह ने उन्हें खुला चैलेंज दिया कि वह इस जैसा कुरआन ले आयें, किन्तु वह विवश हो गये हालांकि वह उनकी भाषा थी, वह मिष्टभाषी लोग थे, उनके पास बड़े - बड़े साहित्यकार एवं व्याख्याकार और उच्च स्तर के कविगण थे, किनतु वह विवश हो गये | फिर अल्लाह ने उन्हें

चैलेंज किया कि कम से कम कुरआन जैसी दस सूरतें ही गढ़ कर बता दें, फिर भ वह विवश रहे | फिर अल्लाह ने उन्हें एक ही सूरत समानता में पेश करने का चैलेंज किया, किन्तु वह फिर भी विवश रहे, उसके बाद अल्लाह ने उनकी विवशता का ऐलान कर दिया। {(ऐ पैगम्बर!) आप कह दीजिए कि यदि सारे इंसान एवं जिन्नात मिलकर भी इस प्रकार का क़ुरआन लाना चाहें, तो इस जैसा क़ुरआन कदापि नहीं ला सकेंगे, चाहे वे एक-दूसरे के सहयोगी ही क्यों न बन जाएँ।} [सूरा अल-इसरा: 88]

यदि कुरआन मुहम्मद या किसी और की बात होता तो दूसरे अरबी भाषा के ज्ञाता भी

उस जैसी पुस्तक की रचना कर सकते थे। परंतु कुरआन अल्लाह का कलाम (कथन) है और इनसान की तुलना में अल्लाह के कथन की श्रेष्ठता वैसे ही है जैसे मनुष्ट की तुलना में अल्लाह की।

अल्लाह का न कोई तुल्य है और न हो सकता है, इसी प्रकार उसके कथन का भी कोई तुल्य नहीं है | इससे स्पष्ट है कि कुरआन अल्लाह का कलाम है तथा मुहम्मद صلى الله عليه وسلم

अल्लाह के रसूल हैं | क्योंकि अल्लाह का कलाम अल्लाह के पास से अल्लाह के रसूल ही पहुंचाते हैं। {मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं, बल्कि अल्लाह के संदेशवाहक और समस्त नबियों के सिलसिले की अंतिम कड़ी हैं। और अल्लाह तआला हर विषय से अवगत है।} [सूरा अल-अहज़ाब: 40] एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने कहा है: तथा हम ने (ऐ नबी) तुम्हें सारे लोगों के लिए शुभ सूचना देने वाला तथा यातना (अज़ाब) से डराने वाला बना कर भेजा है किन्तु बहुत से लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते। [सूरा सबा: 28] एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने कहा है: हम ने आप को सारे संसार के लिए रहमत बना कर भेजा है | [सूरा अल-अंबिया: 107]

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

1- पहली आयत में अल्लाह तआला सूचना देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ओर से सारे लोगों के रसूल हैं और वह अंतिम नबी हैं उनके बाद कोई नबी नहीं है

तथा अल्लाह तआला फ़रमाता है कि उसने उन्हें अपने वार्ता के लिए चुना है क्योंकि वह जानता है कि उनके अलावा कोई इस के याग्य नहीं है।

2- दूसरी आयत में अल्लाह तआला ने स्पष्ट किया है कि उसने अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काले, गोरे, अरबी और अजमी (जो अरबी न हो) सब के लिए भेजा है लेकिन अकसर लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है इसी लिए वे भटक गए और नबी का अनुसरण छोड़ काफ़िर बन गए।

3- तीसरी आयत में अल्लाह तआला ने अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित करते हुए फ़रमाया है कि उसने उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा है और यह लोगों पर उस का एहसान है। अतः जो उन पर ईमान लाए और उन की बात मानी उन्हों ने अल्लाह की रहमत स्वीकार की और उसे जन्नत मे जगह मिलेगी। और जो मुहम्मद पर ईमान नहीं लाया और उनका अनुसरण नहीं किया उसने अल्लाह की रहमत को ठुकरा दिया तथा नरक एवं कठोर यातना का भागी बन गया।

अल्लाह और उसके नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान लाने की ओर आह्वानः

ऐ बुद्धिमान! हम आपको अल्लाह पर जो ईश्वर है तथा मुहम्मद صلى الله عليه وسلم पर जो उसके रसूल हैं ईमान लाने का निमंत्रण देते हैं, तथा उसके धार्मिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का आमन्त्रण देते हैं और वह धर्म इस्लाम है जिसका स्रोत महान कुरआन है और अंतिम नबी मुहम्मद की हदीसें हैं, अल्लाह ने (गलती से) आप की रक्षा की थी, आप वही आदेश देते जिसका अल्लाह ने आदेश दिया एवं उसी चीज से रोकते जिससे अल्लाह ने रोका है इसलिए विशुद्ध हृदय से इस प्रकार कहिए: मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह मेरा ईश्वर है वही अकेला मेरा पूज्य है, तथा ईमान लाता हूँ कि मुहम्मद صلى الله عليه وسلم अल्लाह के रसूल हैं और उन का अनुसरण करें, इसके अतिरिक्त कहीं मुक्ति नहीं है,

अल्लाह मुझे तथा आप को मुक्ति एवं सौभाग्य का साधन प्रदान करे | आमीन

☆☆☆

तीसरा अध्यायः सत्य धर्म -इसलाम- की पहचानः

ऐ बुद्धिमान! जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि अल्लाह तआला तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जीविका प्रदान किया, वही अकेला पूज्य है जिसका कोई साझेदार नहीं, तुम पर अनिवार्य है कि उसी की आराधना करो, तथा तुम्हें ज्ञान हो गया कि मुहम्मद अल्लाह के दूत (रसूल) हैं सारे लोगों के लिए तो यह भी आप ज्ञात कर लें कि अल्लाह एवं उस के दूत पर आपका ईमान उसी समय सटीक होगा जब आप इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त कर लें, अल्लाह ने इसी धर्म को अपनी प्रसन्नता का कारण बनाया, अपने रसूलों को इसी के प्रचार एवं प्रसार का आदेश दिया तथा अंतिम संदेशवाहक मुहम्मद صلى الله عليه وسلم को भी इसी धर्म के साथ भेजा तथा इसी के अनुसार कार्य करना उन पर अनिवार्य किया।

☆☆☆

इसलाम का परिचय

पूरे संसार के अंतिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः “इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद (पूज्य) नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर काबा का हज करो।" [1]

इस्लाम वह सांसारिक धर्म है जिसे अल्लाह ने सारे लोगों को अपनाने का आदेश दिया है, सारे नबी इसी पर ईमान लाये और अपने इस्लाम का एलान किया | अल्लाह तआला ने यह बात स्पष्ट कर दी कि इस्लाम ही सत्य धर्म है, इस के अतिरिक्त वह किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, अल्लाह का कथन हैः निःसंदेह अल्लाह के निकट धर्म केवल इस्लाम है [सूरा आल-ए-इमरान: 19] एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: {और

[1] मुस्लिम, हदीस नम्बर (8) तथा अबू दाऊद (4695)।

जो भी इस्लाम के सिवा (किसी और धर्म) को अपनाएगा, उसे उसकी तरफ़ से कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह परलोक में घाटा उठाने वालों में से होगा।} [सूरह आल-ए-इमरानः 85]

आयतों का संक्षिप्त भावार्थः

1- अल्लाह तआला सूचित करता है कि उसके निकट धर्म केवल इसलाम ही है।

2- दूसरी आयत में अल्लाह ने फ़रमाया कि वह किसी से इसलाम के अतिरिक्त कोई धर्म स्वीकार नहीं करेगा, मृत्यु के बाद भाग्यवान केवल मुसलमान होंगे और जिनकी मौत इसलाम के अतिरिक्त किसी और धर्म पर होगी आखिरत (परलोक) मैं वे घाटे में होंगे और नरक में डाला जाएगा।

इसीलिए सारे नबियों ने अपने इस्लाम का एलान किया तथा जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया उससे अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन किया, यहूदियों तथा ईसायों में जिसे कल्याण एवं मुक्ति प्रिय हो उसे इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए और मुहम्मद صلى

صلى الله عليه وسلم की पैरवी करनी चाहिए ताकि वह वास्तव में ईसा व मूसा अलैहिमस्सलाम के अनुयायी हो सकें, क्योंकि मूसा एवं ईसा और सारे रसूल अलैहिमस्सलाम मुसलमान थे तथा उन्होंने लोगों को इस्लाम का निमंत्रण दिया था, अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم की ईशदूतता के बाद से महाप्रलय (कियामत) तक किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को मुसलमान कहे और न अल्लाह तआला के निकट यह दावा स्वीकृत होगा जबतक वह अल्लाह के रसूल पर ईमान न लाए, उनकी पैरवी न करे तथा कुरआन के अनुसार कार्य न करे। अल्लाह तआला फरमाते हैं: (ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए यदि तुम अल्लाह से प्रेम रखते हो तो मेरे मार्ग पर चलो अल्लाह भी तुम से प्रेम रखेगा, तुम्हारे गुनाह क्षमा कर देगा और अल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु है। [सूरा आल-ए-इमरान: 31]

आयत का संक्षिप्त भावार्थ:

अल्लाह तआला अपने रसूल मुहम्मद صلى الله عليه وسلم को आदेश दे रहे हैं कि वह लोगों पर यह बात प्रकट कर दें

कि जो कोई अल्लाह से प्रेम का दावेदार है उसे चाहिए कि वह मेरी पैरवी करे फिर अल्लाह उन्हें प्रिय रखेगा, अल्लाह तआला न तुम्हें प्रिय रखेगा और न तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा यदि तुम मुहम्मद صلى الله عليه وسلم पर ईमान न लाए और उनकी पैरवी न करो।

और यह धर्म, जिसे सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तआला ने अपने रसूल मुहम्म्द को भेजा, इस्लाम है जो संपूर्ण एवं सरल है, अल्लाह तआला इससे प्रसन्न है इसके अतिरिक्त किसी और धर्म को वह स्वीकार करने वाला नहीं है। इसी पर सारे नबी ईमान लाए ओर इसी की शुभसूचना दी। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः {मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को संपूर्ण कर दिया तथा तुमपर अपना पुरस्कार पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म स्वरूप चुन लिया है।} [सूरा अल-माइदाः 3]

आयत का संक्षिप्त भावार्थः

यह आयत अंतिम नबी मुहम्मद पर " हज्जतुल वदाअ " के अवसर पर अरफात के मैदान में नाजिल हई जबकि वह और मुसलमान अल्लाह के सामने दुआ एवं अल्लाह की याद में डूबे

हुए थे, यह प्यारे रसूल के जीवन का अंतिम काल था जब इस्लाम फैल चुका था कुरआन का नाजिल होना सम्पूर्ण हो चुका था।

इस आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहे हैं कि उसने मुसलमानों के लिए उनके धर्म को पूर्ण कर दिया तथा उसने प्यारे नबी को भेजकर, कुरआन नाजिल फरमा कर, उनपर अपनी नेमत की पूर्ति कर दी और वह इस्लाम धर्म से सदैव के लिए प्रसन्न हो गया और इसके अतिरिक्त किसी से कोई और धर्म स्वीकार नहीं करेगा।

यह इस्लाम धर्म पूर्ण धर्म है तथा हर समय, हर स्थान एवं हर जाति के लिए उचित है, यह ज्ञान, सरलत, अच्छाई और न्यायपरता का धर्म है, यह वह पूर्ण धर्म है जो जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट पथ प्रदर्शन करता है | यह धर्म भी है और सत्ता का विधान भी है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं न्याय संबंधित सभी मानवीय आवश्यकताओं के लिए सटीक मार्ग है और उसी में मानवता का परलौकिक कल्याण भी है।

☆ ☆ ☆

इस्लाम के स्तम्भ

इस्लाम के पाँच स्तम्भ हैं, सच्चा मुसलमान होने के लिए उनपर ईमान लाना और उनके अनुसार कार्य करना आवश्यक है।

1 . इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजा के योग्य नहीं तथा मुहम्मद अल्लाह के दूत (रसूल) हैं।

2- नमाज़ क़ायम करे।

3- ज़कात दे।

4- रमज़ान के महीने में रोज़े रखे।

5. यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर का हज करे [1]।

पहला स्तम्भ:

---

[1] अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "इसलाम पाँच स्तम्भों पर खड़ा हैः इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई सत्य पूज्य नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, हज्ज करना तथा रमज़ान के रोज़े रखना"। बुखारी (4515), मुसलिम (16) तथा अत्तारीखुल कबीर (4/213), (8/319, 322)। स्तम्भों से संबंधित कुरआन के प्रमाण आगे विस्तार से लिखे जाएंगे।

ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देना|

इस गवाही का एक अर्थ है, एक मुसलिम पर अनिवार्य है कि उसे जाने एवं उस के अनुसार कार्य करे। मगर जो केवल ज़बान से कहता हो, उस का अर्थ न समझता हो और न उस पर अमल करता हो उसे उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा।

"ला इलाहा इल्लल्लाह" का अर्थ यह है कि धरती एवं आकाश में अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। केवल वही अकेला सत्य पूज्य है और उसके अतिरिक्त अन्य सारे पूज्य असत्य हैं।

जो व्यक्ति अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की पूजा करता है वह काफ़िर है तथा अनेकेश्वरवादी (मुश्रिक) है चाहे वह किसी ईशदूत (नबी) या वली (सदाचारी) ही की पूजा करे या इस उद्देश्य से उनकी पूजा करे कि वह अल्लाह के यहाँ निकटता का माध्यम है फिर भी वह काफिर एवं अनेकेश्वरवादी (मुश्रिक) होगा, जिन अनेकेश्वरवादियों से अल्लाह के रसूल ने धार्मिक युद्ध किया था वह भी ईशदूतों एवं वलियों की पूजा इसी तर्क के साथ करते थे और उन्हें माध्यम एवं वसीला कहते थे किन्तु यह तर्क बड़ा बोदा एवं

बहिष्कृत है इसलिए कि निकटता एवं माध्यम अल्लाह तआला के अच्छे नामों और अच्छे गुणों के द्वारा प्राप्त होगा और अच्छे कर्मों के द्वारा हासिल होगा, जैसे नमाज, सदका, खैरात, रोजा, जिक्र, जिहाद एवं माता - पिता के साथ अच्छा व्यवहार आदि तथा जीवित उपस्थित मोमिन की दुआ के द्वारा जो वह अपने मुसलिम भाई के लिए करे|

उपासना (इबादत) की किस्में:

1- दुआ:

दुआ: अर्थात अपनी ऐसी आवश्यकताों का मांगना जिसको प्रदान करने का सामर्थ्य अल्लाह के अतिरिक्त कोई न रखता हो जैसे वर्षा का देना, रोगी का रोग निवारण करना, आपदाओं का दूर करना जो किसी सृष्टि के बस में न हो, स्वर्ग की याचना करना, आग से मुक्ति मांगना तथा संतान, जीविका और सौभाग्य आदि मांगना|

यह सारी चीजें अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से नहीं मांगी जायेंगी, जिस ने किसी जीवित या मृत से यह चीजें मांगीं वह उस की पूजा करने वाला माना जायेगा | अल्लाह तआला अपने

उपासकों (बन्दों) को आदेश दे रहा है कि वे केवल उसी से दुआ करें क्योंकि दुआ उपासना है अतः जिसने किसी गैर से दुआ की वह नरक में होगा, अल्लाह का कथन हैः तथा तुम्हारा रब फरमाता है मुझ से दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ स्वीकार करूंगा, निस्संदेह जो लोग मेरी उपासना करने से कतराते हैं वे अवश्य अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे | [सूरा गाफ़िरः 60] अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी को भी पुकारा जाये तो वह किसी के लिए कण भर लाभ एवं हानि की शक्ति नहीं रखता चाहे वे ईशदूत हों या वली। (ऐ पैगम्बर) कह दो अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिनको (अल्लाह के भागीदार) समझते हो) उन्हें पुकार कर देखो वे तो इतना भी सामर्थ्य नहीं रखते कि कोई दुःख तुम्हारा दूर कर दें या उस को बदल दें (या किसी दूसरे की ओर फेर दें)। (सूरह इस्राः ५६) एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: "और यह कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। अतः अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। सूरा अल-जिन्न:18

उपासना की किस्मों में ज़बह, नज़र और नियाज़ भी है:

इंसान ज़बह करके, खून बहाकर तथा नज़र व नियाज़ के द्वारा अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की निकटता प्राप्त न करे | जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए ज़बह किया - जैसे किसी कब्र या जिन्न के लिए- वह अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा एवं उपासना करने वाला ठहरा और धिक्कार का पात्र हुआ | अल्लाह तआला का फ़रमान हैः आप कह दें कि निश्चय ही मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी तथा मेरा जीवन-मरण, सारे संसारों के पालनहार अल्लाह के लिए है। सूरातुल अनआमः 162-163

और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़बह करे उसपर अल्लाह की लानत हो" [1]।

यदि किसी ने ये कहा हो कि मैं अमुक व्यक्ति के नाम नज़र मानता हूँ, यदि मुझे यह चीज़ मिल जाये तो यह दान करूंगा या यह

[1] मुसलिम (1978), नसाई (4422)।

काम करूंगा, तो यह नज़र शिर्क है, इसलिए कि यह नजर किसी सृष्टि के लिए हुई जबकि नज़र इबादत है जो केवल अल्लाह के लिए होती है। सटीक नज़र का तरीका यह है कि इंसान कहे: अल्लाह के लिए मेरी नजर है यदि मेरा काम हो जाये तो मैं सदका करूंगा या अमुक नेक काम करूंगा |

3- इसतिग़ासह, इसतिआनह तथा इसतिआज़ह [1]

अतः सहायता तथा शरण केवल अल्लाह से मांगी जाएगी। अल्लाह तआला का कथन हैः हम तेरी ही उपासना करते हैं तथा तुझ ही से सहायता मांगते हैं। सूरा फ़ातिहाः 5 एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: "(ऐ नबी!) कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की शरण में आता हूँ। उस चीज़ की बुराई से, जो उसने पैदा की। सूरतुल फ़लक़: 1,2 और अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- का कथन है: " मुझसे सहायता नहीं मांगी

[1] इसतिआनह का अर्थ हैः साधारण परिस्थिति में सहायता मांगना. इसतिग़ासह का अर्थ हैः कठिन परिस्थिति में मदद मांगना। इसतिआज़ह का अर्थ हैः उसकी शरण मांगना जो कष्ट एवं आपदा दूर कर सके।

जायेगी बल्कि अल्लाह से सहायता मांगी जायेगी" [1]। एक अन्य हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "जब मांगो तो केवल अल्लाह से मांगो तथा जव सहायता मांगो तो केवल अल्लाह से मागो" [2]।

जीवित एवं उपस्थित मनुष्य से उन्हीं चीजों में सहायता मांगना उचित है जिनकी वह क्षमता रखता हो, किन्तु पनाह देने की क्षमता केवल अल्लाह ही के पास है अत: किसी और की पनाह चाहना उचित नहीं है, अनुपस्थित मनुष्य से या जिसकी मृत्यु हो चुकी हो उससे सहायता नहीं मांगी जायेगी और न फरियाद की जायेगी, इसलिए कि वह किसी चीज की क्षमता नहीं रखता चाहे नबी, वली या फरिश्ता ही क्यों न हो।

[1] मुसनद अहमद (5/317/22758), तबरानी (10/246) और इमाम अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है।

[2] तिरमिज़ी (2516), मुसनद अहमद (2802), तबरानी (2820, 12989) और इमाम तिरमिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।

परोक्ष की बात अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, यदि किसी ने परोक्ष की बातों का दावा किया तो वह काफिर है उसको झुठलाना आवश्यक है, यदि कोई परोक्ष की चीजों की भविष्यवाणी करे तथा वह वैसी ही हो जाए तो वह एक इत्तिफ़ाक़ मानी जाएगी; अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः " जो शख़्स किसी नुजूमी या ज्योतिषी (गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले) के पास आया और उसे सच्चा माना उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारी गई शरीअ़त का इनकार किया। 20"

उपासना की किस्मों में "अत- तवक्कुल" (भरोसा करना), "अर- रजा" (आशा करना), [1] और विनय एवं नम्रता भी है: इंसान अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे पर भरोसा न करे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी दूसरे से आशा न रखे, अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के सामने विनय प्रकट न करे|

---

[1] अत- तवक्कुल का अर्थ हैः हृदय का किसी पर निर्भर होना। अर- रजा का अर्थ हैः दिल में भविष्य में किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति की आशा होना

बड़े खेद की बात है कि बहुत से इस्लाम से संबन्ध रखने वाले लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं . अल्लाह को छोड़ दूसरे जीवित बुजुर्गों को या मुर्दों को पुकारते हैं, उनकी कब्रों का चक्कर लगाते हैं तथा उनसे मांगते हैं, यह अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे की उपासना है, ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं है चाहे वह मुसलमान होने का दावा करे, " ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुलल्लाह " कहे, नमाज़ रोज़ा की पाबन्दी करे और अल्लाह के घर का हज भी करे; अल्लाह तआला का कथन है: निस्संदेह आप की ओर और आप से पहले जो गुजर चुके हैं (संदेशवाहक) उनकी ओर भी वह्य की गई थी कि यदि तुम ने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो तुम्हारा कर्म • अकारथ चला जायेगा और तुम घाटे वालों में से हो जाओगे | [सूरा अज़-ज़ुमर, आयत संख्या: 65] एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: जो अल्लााह के साथ किसी को साझी ठहराता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है एवं उसको जहन्नम में आश्रय मिलेगा तथा ज़ालिमों (अत्याचारियों) की कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। [सूरा अल-माइदा: 72]

अल्लाह तआला ने अपने नबी से फरमाया कि वह लोगों से कह दें: {आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ (अंतर यह है कि) मेरे पास अल्लाह की ओर से वह्य आती है कि तुम्हारा माबूद (जिस की पूजा की जाए) ही अकेला सच्चा माबूद है, इसलिए जिसे अपने रब से मिलने की इच्छा हो, उसको चाहिए कि वह अच्छा कर्म करे और अपने रब की उपासना में किसी को भागीदार न बनाए।} [सूरा अल-कहफ़: 110]

मूर्ख लोगों को उनके गुमराह और बुरे विद्वानों (आलिमों) ने धोखा में रखा है, यह विद्वान तो कुछ धार्मिक नियमों को जानते हैं किन्तु तौहीद (एक अल्लाह की इबादत) जो इस्लाम धर्म का आधार है उससे अपरचित हैं, शिर्क के अर्थ से अज्ञानता के कारण सिफ़ारिश एवं वसीला (माध्यम) के नाम पर शिर्क का निमंत्रण देते हैं। और इन बातों के लिए उनके तर्क हैं कुछ आयतों और हदीसों की ग़लत व्याख्या, झूठी हदीसें, कथाएं एवं सपने जो शैतान ने उनके सामने सजा कर पेश किए और इसी तरह की दूसरी गुमराहियाँ जो उन्होंने अपनी किताबों में इकट्ठी कर रखी हैं जिनके द्वारा वे गैरुल्लाह की उपासना का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास

करते हैं। इस में वे शैतान, अपनी इच्छाओं तथा अपने बाप दादा का अनुसरण करते हैं जैसाकि पहले के मुश्रिकों का हाल था |

अल्लाह तआला ने सूरा माइदा की आयत नम्बर 35 में हमें जिस वसीले की खोच का आदेश दिया है उससे तात्पर्य नेक कर्म हैं जैसे अल्लाह की तौहीद ' (केवल अल्लाह की इबादत करना) नमाज़, रोज़ा, सदका, खैरात, हज्ज, जिहाद, अम्र बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर (नेक कामों का आदेश और बुराई से रोकना) और सिलह रहमी (रक्त संबंधी रिश्ते निभाना) आदि| मृतकों को पुकारना और कठिन समय में उनसे सहायता मांगना यह सब अल्लाह के अलावा उनकी उपासना है |

नबियों,वलियों और दुसरे मुसलमानों की सिफ़ारिश सत्य है, जिन्हें अल्लाह तआला अनुमति देगा, हम इसपर ईमान रखते हैं, किन्तु यह सिफ़ारिश मृतकों से नहीं मांगी जायेगी, इसलिए कि यह अल्लाह का अधिकार है, अल्लाह की अनुमति के बिना किसी को यह प्राप्त नहीं हो सकती, मोमिन बन्दा इसे अल्लाह ही से मांगता है और यूं कहता है: ऐ अल्लाह तेरे रसूल और तेरे नेक बन्दों को मेरे

लिए सिफ़ारिश करने वाला बना दे, वह यूं नहीं कहताः ऐ बुजुर्ग आप मेरे लिए सिफ़ारिश करें क्योंकि वह मुर्दा है तथा मृतकों से कोई चीज मांगी नहीं जाती। अल्लाह तआला का कथन हैः आप फरमा दीजिए कि सिफारिश तो अल्लाह के हाथ में है, आकाश एवं पृथ्वी में उसी का शासन है, फिर तुम्हें लौटकर उसी के पास जाना है। [सूरतुज़- ज़ुमरः 44]

इस्लाम विरोधी विदअतों में से यह भी है कि कब्रों को सजदा करने का स्थान बनाया जाये, उसपर दीप जलाया जाये, उसपर भवन निर्माण किया जाये, उसपर लिखा जाये, उसे ठोस बनाया जाये, उसपर चादरें चढ़ाई जायें और उसके पास नमाज पढ़ी जाये, इन सारी चीजों से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, इसलिए कि यह चीजें गैरुल्लाह की उपासना का मुख्य कारण बनती हैं।

इससे यह बात स्पष्ट होती है कि बहुत सारे देशों में नादान लोग कब्रों पर जो कुछ कर रहे हैं वह अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, कुछ प्रसिद्ध कबें यह हैंः बदवी और सय्यदा जैनब की कब्र मिश्र में, जीलानी की कब्र इराक में, अहले बैत की ओर संबंधित नजफ

व कर्बला की क़ब्रें, और इसके अतिरिक्त वहुत सारी कब्रें बहुत से देशों में पाई जाती हैं, उन का तवाफ़, उनसे अपनी आवश्यकताओं की मांग, उनसे लाभ एवं हानि की आशा . . . . यह सारी चीजें शिर्क हैं

जो यह काम कर रहे हैं वे मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी) हैं गुमराह हैं, चाहे वह इस्लाम का दावा करें, नमाज़, रोज़ा एवं हज की पाबन्दी करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान से कहते रहें, क्योंकि जुबान से केवल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देने से कोई मुवह्हिद (एक अल्लाह की इबादत करने वाला) नहीं होगा अपितु उसका अर्थ जानना और उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक है, गैर मुस्लिम यदि हो तो केवल कलमा शहादत को अदा करते ही मुसलमान समझा जायेगा यहाँ तक कि उससे कोई ऐसा काम हो जाये जिससे उसका पुराने शिर्क पर स्थिर रहना मालूम हो, या इसलाम के किसी विषय की अनिवार्यता को बताये जाने के बाद भी उस का इंकार करे, या इस्लाम धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म पर भी ईमान ले आये तब वह इस्लाम से निष्कासित माना जायेगा।

और नबी तथा वली [1] उन से मुक्त हैं जो उन्हें पुकारते हैं अथवा उनसे मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने रसूलों को इसलिए भेजा कि वे लोगों को एक अल्लाह की इबादत

---

[1] अल्लाह के औलिया (वली) से तात्पर्य वे लोग हैं जो केवल अल्लाह की उपासना करते हैं, उसके आज्ञाकारी होते हैं तथा अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हैं , उनमें से कुछ अपने ज्ञान और जिहाद (धार्मिक युद्ध) के कारण जाने जाते हैं और कुछ नहीं जाने जाते, उन में जो प्रसिद्ध हैं वह यह पसंद नहीं करते कि लोग उनकी पवित्रता बयान करें , जो वास्तव में औलिया हैं वे अपने औलिया होने का दावा नहीं करते बल्कि वे अपने आप को छोटा ही समझते हैं , उनका न कोई विशेष वस्त्र होता है और न कोई वेश - भूषा विशेष होता है , वह केवल हर चीज़ में अल्लाह के रसूल के तरीका को ही अपनाते हैं , हर मुवहिहद (एक अल्लाह की इबादत करने वाला) मुसलमान जो अल्लाह के रसूल का अनुयायी भी हो उसकी संयमता एवं सदाचारिता के आधार पर उसके अन्दर वली होने का गुण पाया जाता है | इस परिचय से यह बात स्पष्ट होती है कि जो लोग औलिया होने का दावा करते हैं और एक विशेष वस्त्र पहना करते हैं ताकि लोग उनका आदर- सम्मान करें , वह औलिया नहीं हैं बल्कि झूठे हैं।

की ओर बुलाएं और उसके अलावा दुसरों की उपासना छोड़ने का निमंत्रण दें, चाहे वे नबी हों, वली हों या कोई और।

और रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- एवं औलिया जो उनके अनुयायी हैं उनसे प्रेम का प्रमाण यह नहीं कि उन की उपासना की जाए, बल्कि यह उनके साथ दुश्मनी करना है। उनसे प्रेम करने का सटीक अर्थ यह है कि उनके रास्ते पर चला जाए। एक सच्चा मुसलमान नबियों तथा वलियों से प्रेम करता है लेकिन उनकी पूजा नहीं करता।

और हमारा यह ईमान है कि हमपर रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- से स्वयं, अपने परिवार, बच्चों और सारे लोगों से भी अधिक मोहब्बत करना अनिवार्य है।

☆ ☆ ☆

मुक्ति पाने वाला वर्ग

मुसलमान संख्या के अनुसार तो बहुत हैं किन्तु वास्तव में वे कम हैं। इस्लाम की ओर संबन्ध रखने वाले समुदाय बहुत अधिक हैं उनकी संख्या ७३ तक पहुँचती है जिनकी कुल संख्या एक हजार

मिलयन ' से अधिक हैं [1], परन्तु सच्चे मुसलमानों का वर्ग वास्तव में एक ही है, यह वही है जो अल्लाह के एक होने को मानता हो, उसी की इबादत करता हो और अक़ीदा ' (विश्वास) एवं अमल में मुहम्मद صلى الله عليه وسلم तथा उनके सहाबा के रास्ते पर हो, जैसा कि अल्लाह के रसूल का खथन हैः "यहूद (७१) एकहत्तर वर्गों में बट गहे तथा नसारा (७२) बहत्तर वर्गों में बट गये और यह उम्मत तिहत्तर (७३) वर्गों में बट जायेगी | सारे के सारे आग में होंगे सिवाए एक के | सहाबा ने पूछा वह कौन सा वर्ग है ऐ अल्लाह के रसूल ? फरमाया; जो इस तरीका पर हों जिसपर कि मैं और आज मेरे सहाबा हैं " [2]।

---

[1] यह संख्या पुस्तक के संकलन के समय की है, सन 1975 ई।

[2] अबू दाऊद (3842), इब्ने माजह (3226), और इमाम अलबानी ने इस हदीस को "सहीहुल जामे" (1082) तथा "अस-सहीहा" (203) में सहीह क़रार दिया है।

और नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- तथा उन के सहाबा का मार्ग यह है कि "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" के अर्थ को विश्वास हो और कार्य भी उसके अनुसार हो कि केवल अल्लाह को पुकारा जाए, उसी के लिए ज़बह किया जाए, नज़र मानी जाए, उसी से मदद मांगी जाए, उसी की शरण ली जाए, यह विश्वास हो कि नफा-नुकसान मालिक वही है, इखलास के साथ इसलाम के स्तंभों पर अमल किया जाए, अल्लाह के फरिश्तों, किताबों, रसूलों, पुनरुत्थान, हिसाब-किताब, जन्नत-जहन्नम और अच्छे-बुरे भाग्य पर विश्वास हो कि दोनों ही अल्लाह के हाथ में हैं। हर मैदान में कुरआन तथा हदीस ही को जज माना जाए, उन के फैसले से राजी हुआ जाए, अल्लाह के वलियों (नेक बेदों) से प्रम एवं उसके दुश्मनों से दुश्मनी बरती जाए। इसी तरह नबी का रास्ता यह है कि हम एक अल्लाह तथा उसी के रास्ते में जिहाद की ओर बुलाएं और इस बात पर सब एकत्र हो जाएं, जब मुसलिम शासक नेकी का आदेश दे तो हम उसकी बात सुनें एवं उसपर अमल करें, जहां भी रहें हक़ बात कहें, नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की सम्मानित स्त्रियों, आप के परिवार तथा

आपके साथियों (सहाबा) से प्रेम रखें, विशिष्टता के अनुसार सहाबा में एक को दूसरे से आगे रखें, उन सबसे राज़ी हों और अल्लाह उन से राज़ी हो इस की दुआ करें, उनके बीच जो कुछ हुआ उस की चर्चा न करें [1] और मुनाफ़िक़ उन में से कुछ पर जो लांछन लगाते हैं उसे न मानें, जिससे मुनाफ़िक़ों का उद्देश्य है कि मुसलमान बट जाएं और इससे मुसलमानों के कुछ उलमा एवं इतिहासकार धोखा खा गए और अच्छी नीयत से मुनाफ़िक़ों की वह बातें अपनी किताबों में लिख दीं जो कि ग़लत है।

जो लोग अहले बैत (नबी के वंश का हिस्सा) होने का दावा करते हैं तथा अपने आप को सैय्यद कहलवाते हैं उन्हें अपने नसब (गोत्र) से संबंधित जांच पड़ताल कर लेना चाहिए | अल्लाह ने उस व्यक्ति पर धिक्कार किया है जो दूसरे के पिता से अपना नसब जोड़े, फिर यदि उन का गोत्र सिद्ध हो जाये तो उन्हें चाहिए कि वे हर मामले में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- एवं

---

[1] अर्थात सहाबा के बीच जो मतभेद हुए उन के संबंध में कोई ग़लत टिप्पणी न करें।

उनके परिवार का अनुसरण करें, वह इस तरह कि ख़ालिस तौहीद को आवश्यक जानें, बुराइयाँ छोड़ दें, यदि लोग उनके लिए झुकें या उनके पाँव चूमें तो उनसे अप्रसन्नता व्यक्त करें, अपने लिए कोई विशेष वस्त्र न अपनायें, क्योंकि यह सारी चीजें रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की सुन्नत के विरूद्ध हैं | अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- इनसे मुक्त हैं, अल्लाह के निकट अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला ही सबसे अधिक मान्य वाला है। "

दरूद एवं सलामती हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके परिजनों पर।

☆ ☆ ☆

फ़ैसला करना तथा क़ानून बनाना केवल अल्लाह तआला का अधिकार है और जहां अल्लाह का क़ानून होगा वहां न्याय, कृपा और और च्छे व्यवहार होंगे।

ला इलाहा इल्लल्लाहु के अर्थ में इस बात का भी आस्था रखना और उसपर अमल करना आवश्यक है कि: कानून बनाने का

इख्तियार केवल अल्लाह तआला को है, किसी मानव को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसा कानून बनाये जो इस्लामी शास्त्र के विरूद्ध हो, किसी मुसलमान के लिए वैध नहीं है कि अल्लाह के कानून से हट कर फैसला करे और इस्लामी शरीअत के विरूद्ध किसी आदेश से प्रसन्न हो और न किसी को यह अधिकार है कि वह हलाल को हराम करार दे या हराम को हलाल ठहराए, जो कोई यह अवैध कार्य करेगा जान बूझकर धर्म के विरोध की नीयत से या उससे प्रसन्न होगा वह काफिर हो जायेगा, अल्लाह तआला फरमाता हैः तथा जो कोई अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार न्याय न करे तो वह काफिर है। सूरतुल माइदाः 44

☆ ☆ ☆

रसूलों का कर्तव्य यह हैः

कि वे कलमये तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) तथा उस के अर्थ के अनुसार कार्य करने का निमंत्रण दें, यानि एक ही अल्लाह की उपासना की जाये तथा सृष्टि की उपासना एवं उसके बनाए हुए कानून को छोड़ उसी के शास्त्र को आदेश बनाया जाये वह अकेला है, कोईर उस का शरीक नहीं।

जो कुरआन को दूरदर्शिता के साथ पढ़ेगा तथा अंधविश्वास से मुक्त होगा वह यह समझ जाएगा कि हमने जो कुछ बयान किया वही सत्य है और यह बात भी उसपर प्रकट होगी कि अल्लाह तआला ने अपने तथा इनसान के एवं इनसान और दूसरे लोगों के संबंध को सीमित किया है। अल्लाह और मोमिन (अल्लाह पर विश्वास रखने वाले) बंदे का संबंध यह है कि वह केवल एक अल्लाह की उपासना करे, उसका तथा नबियों एवं नेक बंदों का संबंध यह है कि वह उनसे प्रेम एवं मुहब्बत रखे (जो कि अल्लाह की मुहब्बत के अधीन हो) उन की पैरवी करे, मोमिन बन्दे तथा काफिरों का संबंध घृणा एवं शत्रुता पर आधारित होगा इसलिए कि अल्लाह उनसे नफ़रत करता है, इसके बावजूद वह उन्हें इस्लाम का निमंत्रण देता रहेगा, शायद कि उन्हें सटीक मार्ग (हिदायत) मिल जाये, यदि वह इस्लाम का इंकार करे या अल्लाह के आदेश के सामने सिर झुकाने से इंकार करे तो फिर उनसे जिहाद किया जायेगा, ताकि दुनिया से फितना समाप्त हो जाये, और सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो, यह कलमये तौहीद (ला इलाहा

इल्लल्लाह) के अर्थ हैं, सच्चा मुसलमान होने के लिए इन का जानना और इन के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है।

"मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं", इस गवाही का अर्थ:

"मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं", इस गवाही का अर्थ यह है कि आप इस बात का ज्ञान एवं विश्वास रखें कि मुहम्मद सारे लोगों के रसूल हैं और वह बंदा हैं उनकी उपासना न की जाये, रसूल हैं इसलिए झुठलाये न जायें बल्कि उनका अनुसरण किया जाये, जिसने उनकी पैरवी की वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जिसने उनकी अवज्ञा की वह आग में होगा और इस बात का भी ज्ञान एवं विश्वास हो कि विधान चाहे उपासना से संबंधित हो, निर्देश एवं राजनीति या वैध एवं अवैध करने से संबंधित हो, केवल रसूल صلى الله عليه وسلم से लिया जाएगा, क्योंकि वह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की ओर से शरीयत (विधान) पहुंचाते हैं अतः जो कानून अल्लाह के रसूल के माध्यम से न पहुंचा हो वह स्वीकृत नहीं है, अल्लाह तआला फरमाता है: "और रसूल जो प्रदान कर दें, तुम उसे ले लो और जिससे तुम्हें रोक दें, तुम उससे रुक जाओ तथा अल्लाह से

डरते रहो। निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है।" [सूरा अल-हश्र: 7] अल्लाह तआला का फ़रमान है: (ऐ पैगंबर) तुम्हारे रब की कसम वे मोमिन नहीं होंगे जब तक आपसी झगड़ों में आप को पंच एवं निर्णय करने वाला न बना लें, फिर आप के निर्णय से दिलों में कोई संकीर्णता महसूस न करें और प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर लें। सूरतुन-निसाः 65

आयतों का अर्थः

1- पहली आयत में अल्लाह तआला मुसलमानों को हुकम देता है कि वे उसके रसूल मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के हर आदेश का पालन करें एवं हर उस चीज़ से रुक जाएं जिससे वह रोकें क्योंकि आप -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- अपने रबके आदेश से ही ऐसा करते हैं।

2- दूसरी आयत में अल्लाह तआलाने अपने सम्मानित सत्ता की सौगंध खाई है कि अल्लाह तथा उसके रसूल पर किसी इनसान का ईमान उस वक्त तक नहीं माना जाएगा जब तक वह

मतभेदों [1] में रसूल को जज न मान ले और फिर आप का फैसला उस के हक़ में हो या न हो उसे स्वीकार न करले। अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- का फरमान हैः "जिसने कोई ऐसा काम किया, जिसपर हमारा आदेश नहीं है, तो वह काम अमान्य और अस्वीकृत है।" [2]

☆ ☆ ☆

पुकार

ऐ बुद्धिमान! जब आप को " ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह " का अर्थ मालूम हो गया और इससे भी परिचित हो गये कि ' शहादत ' (गवाही) इस्लाम की कुंजी है, उसका आधार है, जिस पर इस्लाम धर्म का भवन स्थित है तो आप को चाहिए कि पवित्र हृदय से " अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह " कहें तथा इस ' शहादत ' के

---

[1] अर्थ स्पष्ट है।

[2] बुखारी (2697), मुसलिम (1718) एवं शब्द बुखारी के हैं।

अनुसार कार्य करें ताकि लोक एवं परलोक में आप को कल्याण प्राप्त हो और परलोक में यातना से मुक्ति भी मिले|

यह भी मालूम होना चाहिए कि " ला इलाहा इल्लल्लाह " की गवाही की मांग है कि इस्लाम के सभी आधारों पर अमल किया जाये, अल्लाह ने इन आधारों को इसीलिए अनिवार्य किया है कि मुसलमान इन्हें सत्यता एवं निर्मलता के साथ अदा करके अल्लाह तआला की उपासना करे, जिसने बिना किसी स्वीकार्य बाधा के किसी भी आधार को छोड़ दिया उसने " ला इलाहा इल्लल्लाह " के अर्थ की मांग पूरी नहीं की इसलिए उसकी गवाही क़बूल नहीं होगी।

☆ ☆ ☆

इस्लाम का दूसरा स्तंभ (आधार): नमाज़ः

इस्लाम का दूसरा आधार नमाज है| दिन रात में पांच नमाजें हैं, अल्लाह तआला ने अपने और बन्दों के बीच संबंध स्थापित रखने के लिए इसे अनिवार्य किया है, जिसमें बंदा अपने अल्लाह से अपने मन की बातें करता है, उससे दुआ मांगता है, यह नमाज

मुसलमानों को निर्लज्जता एवं दुराचार से बचाने का साधन है। इससे उसे शारीरिक एवं हार्दिक सुख मिलता है, आराम एवं संतोष मिलता है और इससे उसकी दुनिया व आखिरत बनती है।

नमाज़ के लिए अल्लाह ने शरीर, वस्त्र और नमाज़ के स्थान की पवित्रता का आदेश दिया है, मुसलमान पवित्र पानी से पवित्रता प्राप्त करता है, मलिनता दूर करता है जैसे पेशाब एवं पैखाना | नमाज के द्वारा वह अपने शरीर को मलिनता से और अपने हृदय को मैलापन से पवित्र करता है।

नमाज़ इस्लाम धर्म का स्तंभ है, " कलमये तौहीद " के बाद सब से मुख्य आधार यही है, मुसलमान पर अनिवार्य है कि युवावस्था में पहुंचने के बाद से मृत्यु तक इसकी पाबन्दी करे, उसपर आवश्यक है कि वह अपने घर के लोगों को इसका आदेश दे और जब बच्चे सात वर्ष के हो जायें तो उन्हें भी इसकी शिक्षा दे ताकि उन्हें इस की आदत हो जाए | अल्लाह तआला फरमाता है: नि:संदेह नमाज मोमिनों पर निश्चित समय में अनिवार्य है। [सूरा अन-निसा: 103] एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का

फ़रमान है: हालांकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि एक अल्लाह की उपासना करें पूर्ण तन्मयता के साथ धर्म को उसके लिए शुद्ध करते हुए तथा नमाज़ को स्थापित करें, ज़कात अदा करें और यही सीधा धर्म है | सूरा अल-बय्यिना: 5

आयतों का संक्षिप्त भावार्थ:

1- पहली आयत में अल्लाह तआला फरमाता है कि नमाज ईमान वालों पर अनिवार्य है और उसे निर्धारित समय ही में पढ़ना है।

2- दूसरी आयत में अल्लाह तआला फरमाता है कि उसने लोगों तथा सारी कायनात को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है कि वे उसी की उपासना करें, नमाज़ें पढ़ें और हक़दारों तक ज़कात पहुंचाएं।

नमाज मुसलमानों पर हर हाल में अनिवार्य है, बीमारी की हालत में भी, सामर्थ्य के अनुसार खड़े हो कर या बैठकर या लेटकर अदा करेगा, यहाँ तक कि यदि हिलने की शक्ति न हो तो आँख एवं दिल के संकेतों ही से नमाज़ पढ़ेगा, रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम- ने सूचित किया है कि नमाज़ छोड़ने वाला मुसलमान नहीं है, पुरूष हो या महिला " आप का कथन है:" हमारे और काफ़िरों के बीच नमाज़ का वचन है जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया | " "हमारे और उन (काफिरों) के बीच वचन नमाज़ है, इसलिए जिस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया"[1]।

पाँच नमाजें निम्नलिखित हैं:

फज्र, जोहर, अस्र, मगरिब और इशा |

फज्र की नमाज़ का समय पूरब में सुबह की लाली प्रकट होने से आरम्भ होता है तथा सूर्य के उदय पर समाप्त होता है, अंतिम समय तक विलम्ब करना जायज (वैध) नहीं है। जोहर का समय ज़वाल (सूर्य के ढलने) से आरम्भ होता है और हर चीज की छाया उसके सामान होने तक रहता है, छाया का हिसाब जवाल की छाया को छोड़कर किया जायेगा, अस्र का समय जोहर के समय के सामप्त

---

[1] तिरमिज़ी (2621), नसाई (463), मुसनद अहमद (5/346), और इमाम अलबानी ने "सहीहुल जामे" में इस हदीस को सहीह क़रार दिया है।

होने के बाद आरम्भ होता है, सूर्य के पीला होने तक रहता है, अंतिम समय तक अस्र की नमाज की अदायगी में विलम्ब करना जायज़ नहीं है, बल्कि जब सूर्य में सफेदी एवं चमक हो उसी समय अदा कर लेनी चाहिए, मग़रिब का समय सूर्य डूबने से आरम्भ हो जाता है तथा आकाश की लाली समाप्त होने तक रहता है, अंतिम समय तक विलम्ब करना सही नहीं है, मग़रिब का समय समाप्त होने के बाद इशा का समय आरम्भ होता है तथा आधी रात तक बाकी रहता है इससे अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता।

यदि किसी मुसलमान ने, बिना किसी धार्मिक स्वीकार्य कारण के जो उसके बस के बाहर हो, नमाज में इतना विलम्ब कर दिया कि उसका समय निकल जाये तो उसने महा अपराध किया, उस पर आवश्यक है कि वह तौबा करे और दोबारा इस प्रकार का अपराध न करे | अल्लाह तआला का कथन हैः कठिन यातना है उन नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ से अचेत हैं। सूरतुल माऊनः 4-5

☆ ☆ ☆

नमाज़ के अहकाम (विधान)

पहलाः तहारत (पवित्रता)

नमाज़ में प्रवेश करने से पहले मुसलमान पर आवश्यक है कि वह पवित्रता प्राप्त करे, अपने गुप्तांग को साफ करे यदि उससे पेशाब या पैखाना निकला हो फिर वज़ू करे|

वज़ू: अपने दिल में पवित्रता प्राप्त करने की नियत करे ज़ुबान से कुछ न कहे इसलिए कि अल्लाह दिल के संकल्प को जानने वाला है, अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم ज़ुबान से नियत को प्रकट नहीं करते थे, फिर बिसमिल्लाह कहे फिर कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और नाक झाड़े, पूरे चेहरे को धोये, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोये, दाहिने हाथ से शुरू करे, दोनों हाथों से पूरे सिर का मसह करे (सिर पर भीगे हाथ फेरे), कानों का मसह करे, दोनों पावों को टखनों तक धोये, दाहिने पाँव से शुरू करे।

वज़ू के बाद यदि हवा, पेशाब, पैखाना निकल जाये या नींद और बेहोशी के कारण बुद्धि जाती रहे तो नमाज के लिए उसे

दोबारा वज़ू करना है। यदि मुसलमान जनाबत (अशौच) की हालत में हो यानी पुरूष महिला के संभोग से मनी (वीर्य) निकली हो अथवा संभोग के बिना ही चाहे नींद ही में क्यों न हो तो वह स्नान (अनिवार्य स्नान जो विशेष रूप से संपन्न होता है) के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा, महिला जब हैज़ (मासिक धर्म या निफ़ास (प्रसव रक्त) से पवित्र हो तो उस पर भी आवश्यक है कि स्नान के द्वारा पवित्रता प्राप्त करे | मासिक धर्म वाली और प्रसव रक्त वाली महिला की नमाज़ सही नहीं है जब तक कि वह पवित्र न हो जाये, उन पर नमाज़ अनिवार्य भी नहीं है। अल्लाह ने उन पर यह आसानी की है कि हैज़ व निफ़ास में जो नमाजें छूट जायें उनकी कजा भी नहीं की जायेगी (दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी), इसके अतिरिक्त जो चीजें छूट जायें उन की कजा की जायेगी पुरूष की तरह।

तयम्मुम: जिसे पानी न मिले या पानी का प्रयोग उसके लिए हानिकारक हो जैसे कोई बीमार हो तो ऐसी अवस्था में वह तयम्मुम के द्वारा पवित्रता प्राप्त करेगा। तयम्मुम का तरीका: दिल में पवित्रता की नियत करे फिर बिसमिल्लाह कहे, मिट्टी पर दोनों हाथों को एक बार मारे, उन्हें चेहरे पर मले फिर बाईं हथेली से दायें हाथ के ऊपरी

भाग पर मसह करे और दायीं हथेली से बायें हाथ के ऊपर मसह करे, इस प्रकार उसे पवित्रता प्राप्त हो जायेगी और यही तयम्मम का तरीका है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिला के लिए जब वह पवित्र हो जाए (जब खून आना बंद हो जाए) तथा ' जुंबी ' (जिस का वीर्य निकला हो) के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी जो वज़ू करना चाहे मगर उसे पानी न मिले या उसके प्रयोग से क्षति का भय हो।

दूसराः नमाज़ का तरीक़ा

1- फज्र की नमाज़ः

इस में दो रकअतें हैं। पुरुष अथवा महिला क़िबला (काबा) के सम्मुख खड़ा होगा, दुल में नीयत करेगा कि अभी फज्र -सुबह- की नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, ज़बान से नहीं बोलेगा फिर कहेगाः "अल्लाहु अकबर" फिर नमाज़ आरंभ करने वाली कोई दुआ पढ़ेगा जैसेः "सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहमदिक, वतबारकसमुक, वतआला जद्दुक, वलाइलाहा ग़ैरुक" (फिर पढ़ेगा) अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम फिर सूरा फ़ातिहा पढ़ेगा, जिनका

अर्थ निम्नलिखित हैः "शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा दयालु एवं अति कृपावान है।" "सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे संसारों का पालनहार है।" जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। बदले (क़ियामत)के दिन का स्वामी है| "हम तेरी ही उपासना करते हैं तथा तुझ ही से सहायता माँगते हैं।" हमें सीधा मार्ग दिखा| उन लोगों का मार्ग जिन पर तेरा अनुग्रह उतरा, उन लोगों का मार्ग नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न उन लोगों का मार्ग जो पथभ्रष्ट हुए । सूरा फ़ातिहाः 1-7 कुरआन अरबी भाषा में पढ़ना अनिवार्य है [1] यदि मुमकिन हो, फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए रुकू करेगा अतएब अपना सिर तथा अपनी पीठ ज़मीन की ओर झुकाएगा और अपनी हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखते हुए कहेगाः "सुबहाना रब्बियल अज़ीम", फि "समिअल्लाहु लिमन हमिदह"

---

[1] क्योंकि दूसरी भाषा में पढ़ेगा तो वह कुरआन नहीं होगा और इसी कारण कुरआन के शब्दों का नहीं केवल उन के अर्थों का अनुवाद होता है, इसलिए कि यदि उसके शब्दों का अनुवाद किया जाए तो उसका सौन्दर्य चला जाएगा और वह मोजेज़ा (चमत्कार) नहीं रहेगा और उसके कुछ अक्षर छूटने हेतु वह अरबी कुरआन के रूप में नहीं होगा।

कहते हुए सिर उठाएगा एवं सीधे खड़ा होने के बाद कहेगाः "रब्बना वलकल हमद" फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए नाक, माथा, हथेलियाँ, घुटने तथा पैरों और हाथों की उंगलियाँ ज़मीन पर रख कर सजदा संपन्न करेगा और सजदा करते हुए पढ़ेगाः "सुबहाना रब्बियल आ'ला" फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए बैठेगा और इस दौरान पढ़ेगाः "रब्बिग़फिर ली" फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए ज़मीन पर दूसरा सजदा करेगा और पढ़ेगाः "सुबहाना रब्बियल आ'ला", फिर "अल्लाहु अकबर" कहते हुए खड़ा होगा, फिर सूरा फ़ातिहा पढ़ेगा, फिर पहली रकअत जैसे तकबीर कहेगा, रुकू करेगा, सिर उठाएगा, सजदा करेगा, बैठेगा फिर दोबारा सजदा करेगा और पिछली दुआएं दोहराएगा।

(दूसरी रकअत के दूसरे सजदे के बाद) बैठ कर यह दुआ पढ़ेगा जिसका अर्थ हैः "हर तरह का सम्मान, समग्र दुआएँ एवं समस्त अच्छे कर्म व अच्छे कथन अल्लाह के लिए हैं। हे नबी! आपके ऊपर सलाम, अल्लाह की कृपा तथा उसकी बरकतों की वर्षा हो, हमारे ऊपर एवं अल्लाह के भले बंदों के ऊपर भी सलाम

(सलामती) की जलधारा बरसे, मैं साक्षी देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई सत्य माबूद (पूज्य) नहीं एवं मुहम्मद अल्लाह के बंदे तथा उसके रसूल हैं। हे अल्लाह! मुहम्मद एवं उनकी संतान-संतति की उसी प्रकार से प्रशंसा कर, जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनकी संतान-संतति की प्रशंसा की है। निस्संदेह तू प्रशंसा योग्य तथा सम्मानित है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद तथा उनकी संतान-संतति पर उसी प्रकार से बरकतों की बारिश कर, जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनकी संतान-संतति पर की है। निस्संदेह तू प्रशंसा योग्य तथा सम्मानित है", फिर दईं ओर मुड़ते हुए कहेगाः "अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह" फिर बाईं ओर मुड़ते हुए कहेगाः "अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह" और इस तरह सुबह की नमाज़ संपन्न हो जाएगी।

२ . जोहर, अस तथा इशा की नमाज़:

चार-चार रकअतें हैं, पहले दो रकअतें उसी प्रकार अदा करेगा जिस प्रकार फज्र की दो रकअतें अदा की थीं किन्तु ' तशहहुद ' में बैठने और उसकी दुआयें पढ़ने के बाद सलाम नहीं

फेरेगा बल्कि खड़ा हो जायेगा तथा तीसरी एवं चौथी रकअत पढ़ेगा जैसाकि पहली दो रकअतें पढ़ी थीं फिर अंतिम रकअत में ' तशहहुद ' के लिए बैठेगा ' अत्तहीयात ' (जो दुआ पहली दो रकअतों के बाद बैठ कर पढ़ी थी) पढ़ेगा, फिर दुरूद पढ़ेगा फिर दायें - बायें सलाम फेरेगा |

३ . मगरिब की नमाज़:

मगरिब की नमाज़ में तीन रकअतें होती हैं दो रकअतें वैसे ही पढ़ेगा जैसाकि ऊपर बयान हो चुका है फिर ' तशहहूद ' में बैठेगा, ' तशहहूद ' पढ़ने के बाद तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जायेगा तीसरी रकअत में वही कुछ करेगा जो इससे पहले कि रकअतों में कर चुका है, दूसरे सजदे के बाद ' तशहहूद ' में बैठेगा, अत्तहीयात, दुरूद और दुआ के बाद दायें बायें सलाम फेरेगा, रुकूअ एवं सुजूद की दुआयें बार - बार दोहरायेगा क्योंकि बार - बार दोहराना ज्यादा अफजल है |

पुरूषों पर आवश्यक है कि वह यह पाँच नमाजें मस्जिद मे जमाअत के साथ अदा करें, इमामत ऐसा व्यक्ति करे जिसकी

किरात (कुरआन पढ़ना) बेहतर हो, नमाज के अहकाम को जानने वाला एवं अधिक दीनदार हो, इमाम फज्र की नमाज और मगरिब व इशा की पहली दो रकअतों में किरात ऊंचे स्वर में करेगा और मुक्तदी (इमाम के पीछे खड़े लोग) उसको ध्यान से सुनेंगे।

महिलायें इन नमाजों को पूरे पर्दा के साथ घर ही में अदा करेंगी, महिला अपने पूरे शरीर को ढाँकेगी अपने हाथ पाँव भी ढाँकेगी, इसलिए कि उसका पूरा शरीर परदा में होना चाहिए सिवाय चेहरा के, पुरुषों की उपस्थिति में चेहरा भी छुपायेगी, इसलिए कि वह फितने का कारण है, इससे उसकी पहचान होगी और उसे (किसी बुरे इनसान से) तकलीफ़ पहुंच सकती है, महिला का मस्जिद में नमाज पढ़ना जायेज है किन्तु शर्त यह है कि वह पूरे परदा में बिना खुश्बू के निकले, पुरुषों के पीछे नमाज पढ़े ताकि न फितने का कारण बने और न स्वयं फितने में पड़े।

और एक मुसलमान पर अनिवार्य है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए विनय नम्रता तथा एकाग्रता के साथ नमाज़ पढ़े, क़ियाम (खड़ा होने की अवस्था), रुकू और सजदा पुरी स्थिरता से

करे, जलदी न करे, कोई फालतू हरकत न करे, आकाश की ओर आँख न उठाए और कुरआन अथवा नमाज़ की दुआओं [1] के अतिरिक्त कुछ न कहे क्योंकि अल्लाह तआला ने नमाज़ का आदेश अपने ज़िक्र (स्मरण) के लिए दिया है।

जुमा के दिन मुसलमान नमाज़ ए जुमा दो रकअत अदा करेंगे, इमाम दोनों रकअतों में फज्र की नमाज की तरह ऊंचे स्वर में क़िरात करेगा, इससे पहले दो खुतबा देगा जिस में वह मुसलमानों को सदुपदेश देगा, उन्हें धार्मिक मसायल (विधान) बतायेगा, पुरुषों पर आवश्यक है कि वह जुमा की नमाज मस्जिद में इमाम के साथ अदा करें, जुमा के दिन यही जोहर की नमाज होती है।

☆ ☆ ☆

इस्लाम का तीसरा स्तम्भः ज़कात

---

[1] मगर जब इमाम कोई ग़लती करे अथवा कुछ कम-ज्यादा करदे तो उसे सचेत करने के लिए या जब नमाज़ पढ़ रहे व्यक्ति को कोई आवाज़ दे तो वह "सुबहानल्लाह" कहेगा। परन्तु औरत ताली बजाएगी, बात नहीं करेगी क्योंकि उस की आवाज़ फितने का कारण है।

अल्लाह तआला ने हर मुसलमान को, जिसके पास निसाब[1] तक धन - दौलत हो (जिस पर जकात अनिवार्य हो), हर वर्ष ज़कात निकालने का आदेश दिया है जिसे वह मिस्कीनों, निर्धनों और सहायता योग्य लोगों को देगा जैसाकि कुरआन में बयान किया गया है।

सोने का निसाब जिसपर ज़कात अनिवार्य है बीस मिस्काल (८७ ग्राम) है, चांदी का निसाब जिसपर जकात अनिवार्य है दो सौ दिरहम है या उसके समान नकद पैसा, व्यापार की वस्तु का मूल्य यदि ज़कात की सीमा को पहुँच जाये तो साल पूरा होने के बाद उसके मालिक पर आवश्यक है कि उसकी ज़कात अदा करे | फल एवं अनाज पर ज़कात की सीमा तीन सौ ' साअ ' है, (८ कुन्टल के समीप) सम्पत्ति यदि बेचने के लिए हो तो उसके मूल्य की ज़कात अदा की जायगी और यदि किराया के लिए रखी हो तो किराये की जकात अदा की जायेगी। सोने, चांदी और व्यापार के वस्तु पर ज़कात की मात्रा चालीसवाँ भाग है उसे हर वर्ष अदा करना होगा,

[1] निसाबः धन का एक निर्धारित परिमाण जिसमें ज़कात अनिवार्य होती है।

फल एवं अनाज बिना मेहनत के हो जैसे नदी, नाला या वर्षा के पानी से उसकी सिंचाई हो तो उसमें दसवाँ भाग ज़कात के रूप में अदा किया जायेगा और यदि उसकी सिंचाई में मेहनत एवं खर्च हो तो उसमें बीसवाँ भाग आदा किया जाएगा।

फल तथा अनाज की ज़कात कटाई के समय निकाली जाएगी अतएब यदि साल में दो अथवा तीन बार कटाई की जाए तो हर बार ज़कात निकाली जाएगी। गाय, ऊंट तथा बकरी में ज़कात का परिमाण इसलाम के विधान किताबों में मौजूद है। अल्लाह तआला का कथन हैः हालांकि उन्हें यही आदेश दिया गया था कि सारे पूज्यों को छोड़ धर्म को केवल अल्लाह के लिए शुद्ध करते हुए उसी की उपासना करें तथा नमाज़ स्थापित करें, ज़कात अदा करें और यही सीधा धर्म है | सूरा अल-बय्यिना: 5 जकात निकालने के बहुत सारे लाभ हैं जैसे इससे निर्धनों को ढारस बंधता है, उनकी आवश्यकतायें पूरी होती हैं, निर्धनों एवं धनवानों के बीच प्रेम एवं मुहब्बत के संबंध दृढ़ होते हैं |

परस्पर सामाजिक तथा आर्थिक सहयोग के संबंध में इस्लाम धर्म ने केवल ज़कात ही पर ठहराव नहीं किया है बल्कि

धनवानों पर अनिवार्य कर दिया है कि अकाल के समय निर्धनों की सहायता करें, मुसलमान पर हराम है कि वह पेट भर खाये जब कि उसका पड़ोसी भूखा हो, मुसलमानों पर जकात ए फितर भी अनिवार्य किया गया जो ईदुल फित्र (रमज़ान के बाद वाली ईद) के दिन अदा करेगा जिसकी मात्रा एक ' साअ ' है जो खाने वाली आम चीजों में से अदा करेगा, फ़ितरा हर व्यक्ति की ओर से अदा की जायेगी, यहाँ तक कि बच्चा एवं नौकर की ओर से भी उसका मालिक अदा करेगा, मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह कसम का कपफारा [1] भी अदा करे यदि उसने कसम खाई हो फिर उसे तोड़ दिया हो। अल्लाह ने मुसलमानों पर सटीक नज़र (मन्नत) को पूरा करना भी अनिवार्य किया है, तथा नफली ' सदक़ा ' व ' खैरात ' पर भी उभारा है, अल्लाह के मार्ग में खर्च करने वालों को बेहतरीन बदले का वादा है, अल्लाह ने उन्हें यह वचन दिया है कि वह उन्हें

---

[1] 'कसम के कपफारा में गुलाम आजाद करने, दस मिस्कीनों को खाना खिलाने या उन्हें कपड़े पहनाने में इख्तियार दिया गया है , यदि यह सब संभव न हो तो तीन रोजे रखेगा'

कई गुना प्रतिदान से सम्मानित करेगा, हर नेकी का बदला दस गुना से सात सौ गुना है बल्कि इससे भी अधिक होता है |

☆ ☆ ☆

इस्लाम का चौथा स्तम्भः रोज़ा

रमज़ान महीने का रोज़ा रखना, जोकि हिजरी वर्ष का नौवाँ महीना है।

रोजे का तरीका:

मुसलमान रोजे की नियत सुबह होने से पहले करता है, फिर खाने - पीने और संभोग करने से सूरज डूबने तक बचा रहता है, फिर इफ्तार करता है, यह कर्म पूरे महीने करता है, इसका उद्देश्य अल्लाह की उपासना एवं प्रसन्नता की प्राप्ति है|

रोजे के अनगिनत लाभ हैं | कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

१ . यह अल्लाह की उपासना एवं उसके आदेश का अनुपालन है, अल्लाह के लिए बन्दा अपना खाना - पीना और संभोग आदि को त्याग देता है इसतरह यह तक़्वा (संयमता) के मुख्य कारणों में से है।

२ . रोज़ा से शारीरिक, आर्थिक एवं सामूहिक स्तर पर बहुत से लाभ हैं, इसका बोध वही लोग कर सकते हैं जो ईमान एवं विश्वास के साथ रोज़ा रखते हैं, "ऐ ईमान वालो! तुम पर रोजे अनिवार्य किए गए, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किए गए थे, आशा है कि तुम संयमी एवं धर्मपरायण बन जाओ।" गिनती के कुछ दिन हैं। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो, तो ये गिनती, दूसरे दिनों से पूरी करे और जो उस रोज़े को सहन न कर सके[1], वह फ़िद्या (प्रायश्चित्त) दे, जो एक निर्धन को खाना खिलाना है और जो स्वेच्छा भलाई करे, वह उसके लिए अच्छी बात है। यदी तुम समझो, तो तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही अच्छा है। रमजान का महीना वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया, लोगों के मार्गदर्शन (हिदायत) के लिए, इसमें हिदायत की

खुली - खुली दलीलें हैं और सत्य को असत्य से पहचानने का तर्क, तुममें से जो इस महीना में उपस्थित रहे (यात्रा) पर न हो) वह रोजा रखे और जो बीमार हो या यात्रा में हो तो वह रोजों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे, अल्लाह तआला तुम्हारे लिए सरलता चाहता है कष्ट देना नहीं चाहता है और यह चाहता है कि तुम रमजान की गिनती पूरी करो तथा अल्लाह की बड़ाई बयान किया करो इस उपकार पर कि तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाया और इसलिए कि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। सूरतुल बक़रहः 183-185

☆ ☆ ☆

रोज़े के कुछ अहकाम (विधान) जिनका वर्णन कुरआन एवं हदीस में हैः

1- बीमार तथा मुसाफिर रोज़ा छोड़ेगा और रमज़ान के बाद दूसरे दिनों में उसे पूरा करेगा। इसी प्रकार हैज़ तथा निफास वाली औरत दूसरे दिनों में अपने रोज़े पूरे करेगी।

३ . गर्भवती महिला या दूध पिलाने वाली महिला भी यदि अपने या अपने बच्चे पर कोई खतरा महसूस करे तो रोज़ा छोड़ देगी बाद में उसकी कज़ा करेगी।

४ . रोज़ेदार भूलकर खा - पी ले तो उसका रोज़ा सही है, अल्लाह ने मुहम्मद صلى الله عليه وسلم की उम्मत की भूल, गलती तथा विवश्ता को क्षमा कर दिया है लेकिन मुंह में जो कुछ हो उसका तुरन्त निकाल फेंकना अनिवार्य है।

☆ ☆ ☆

इस्लाम का पांचवाँ स्तम्भः हज

पूरी आयु में अल्लाह के घर का एक बार हज करना अनिवार्य है, एक से अधिक बार ' नफ़िल ' है, हज के बहुत से लाभ हैं:

१ . आत्मा, शरीर और धन से यह अल्लाह की उपासना है।

२ . इसमें हर स्थान से आए मुसलमानों का सम्मेलन होता है, एक ही स्थान पर मिलते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक ही रब की एक ही समय में उपासना करते हैं, लीडर एवं जनता, निर्धन एवं धनवान, काले एवं गोरे में कोई अंतर नहीं होता | सब अल्लाह की मखलूक़ और उसके बंदे हैं, मुसलमान आपस में परिचय एवं सहयोग प्राप्त करते हैं एवं अंतिम दिन को याद करते हैं जबकि

अल्लाह सबको एक ही मैदान में इकट्ठा करेगा उनका लेखा - जोखा होगा, यूँ वे अल्लाह की आराधना करके मृत्यु के बाद आने वाले दिन की तैयारी करते हैं।

क़िबले (काबा शरीफ़) के तवाफ़ (चक्कर लगाने) हर नमाज़ में हर जगह जिस की ओर चेहरा करने का मुसलमानों को आदेश है एवं हज के दौरान निर्धारित समय में विशेष स्थानों -अरफात, मुज़दलिफ़ा एवं मिना- पर ठहरने का उद्देश्य उन स्थानों में विशेष रूप से अल्लाह की इबादत करना है।

काबा हो या अन्य पवित्र स्थान, बल्कि संपूर्ण जगत में किसी भी सृष्टि की उपासना नहीं की जायेगी, न वे लाभ एवं हानि के मालिक हैं, उपासना केवल एक अल्लाह की की जायेगी, लाभ एवं हानि पहुंचाने की शक्ति केवल अल्लाह के पास है, यदि अल्लाह तआला हज्जे बैतुल्लाह का आदेश नहीं फरमाते तो मुसलमानों का हज करना सहीं नहीं होता, इसलिए कि उपासना अपनी इच्छा या अपनी राय के आधार पर नहीं होती बल्कि केवल अल्लाह के आदेश से होती है जिसकी चर्चा अल्लाह की किताब में हो या फिर

अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم की सुन्नत (हदीस) में हो। {तथा अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज अनिवार्य है, जो उस तक राह पा सकता हो, और जो कुफ्र करेगा तो सुन ले कि अल्लाह समस्त संसार वासियों से निसपृह (बेनियाज़) है।} [सूरा आल-ए-इमरान: 97] [1]

और एक मुसलमान पर, हज के साथ ही या किसी और समय, पूरी ज़िन्दगी में एक बार उमरा करना अनिवार्य है। मसजिद ए नबवी की ज़ियारत अनिवार्य नहीं है, न हज के साथ न किसी और समय बल्कि यह एक सुन्नत है कोई करे तो सवाब मिलेगा और कोई न करे तो उस की कोई सज़ा नहीं। और यह जो हदीस बयान

[1] ' लोग मजारों , दरगाहों एवं कब्रों पे हज (उन के दावे के मुताबिक) के इरादे से जाते हैं जो सरासर गुमराही और अल्लाह एवं रसूल का विरोध है , अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- फरमाते हैं : "यात्रा केवल तीन मस्जिदों के लिए की जायेगी। मस्जिदे हराम ,मेरी यह मस्जिद (मसजिद ए नबवी) और मस्जिदे अकसा'। इसे बुखारी (1189) और मुसलिम (1397) ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है।

की जाती है कि "जिस ने हज किया मगर मेरी ज़ियारत नहीं की तो उस ने मुझ से रिश्ता काटा" सहीह नहीं है बल्कि झूटी है। [1]

हाँ मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना सही है। " ज़ाइर " (ज़ियारत यात्री) जब मस्जिद ए नबवी पहुंच जाये तो " तहिय्यतुल मस्जिद " (मसजिद में प्रवेश करने के बाद पहली नमाज़) अदा करे, उस के बाद नबी अकरम صلى الله عليه وسلم की क़ब्र की ज़ियारत करना जायज़ है, इस प्रकार उन को सलाम करेगा: अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह | " ऐ अल्लाह के रसूल आपपर सलाम हो, पूर्ण शिष्टाचार एवं सम्मान के साथ धीमे स्वर में

---

[1] उसी प्रकार यह हदीस भी झूठी है कि: "मेरे पद को वसीला बनाओ, मेरा पद अल्लाह के निकट बहुत बड़ा है"। यह हदीस भी उसी प्रकार सिद्ध नहीं है कि: "जिसने किसी पत्थर के बारे में भी अच्छा गुमान किया तो वह उसको लाभ पहुंचायेगा ' यह सारी झूठी गढ़ी हुई हदीसें हैं , हदीस की विश्वस्त पुस्तकों में इनका कोई नाम व निशान नहीं है बल्कि यह और इस जैसी हदीसें गुमराह करने वाले विद्वानों की पुस्तकों में मिलती हैं जो शिर्क एवं बिदअत का निमंत्रण देते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता।

सलाम करे, आपसे कोई चीज न मांगे बल्कि केवल सलाम करके वापिस चला आए। आप ने उम्मत को यही आदेश दिया है, सहाबा की भी यही आदत थी,

जो लोग नबी صلى الله عليه وسلم की क़ब्र के पास विनय एवं नम्रता के साथ ठहरते हैं और आप से अपनी जरूरत तलब करते हैं या मदद मांगते हैं या आप को अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाते हैं यह सब अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, नबी صلى الله عليه وسلم इनसे मुक्त हैं, हर मुसलमान ऐसे काम नबी صلى الله عليه وسلم के साथ या किसी और के साथ कदापि न करे, इससे बचा रहे, उसके बाद आप के दोनों साथी (अबू बकर और उमर) रजि अल्लाहु अन्हुमा की क़ब्रों की ज़ियारत करे, फिर अहले ' बकीअ ' तथा शहीदों की कब्रों की जियारत करे, धार्मिक ज़ियारत का तरीका यह है कि मुसलमानों के क़ब्रिस्तान जाये, क़ब्र वालों को सलाम करे उनके लिए अल्लाह से दुआ करे, मृत्यु को याद करे और लौट आए।

हज और उमरे का तरीक़ाः

सब से पहले हाजी (हज का इरादा रखने वाला) हलाल पैसा चुने एवं हराम कमाई से दूर भागे क्योंकि हराम पैसे के कारण उसका हज तथा उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने फ़रमाया है: " हर वह मांस जो हराम से उगा (बना) हो, आग ही उसका ज़्यादा हक़दार है" [1] एवं अच्छे साथी अपनाये जो तौहीद और ईमान के रास्ते पर चलने वाले हों।

☆ ☆ ☆

मीक़ात:

हाजी जब मीक़ात (एहराम बांधने का स्थान) पहुंचे तो एहराम बाँधे यदि गाड़ी आदि में जाये तो मीकात पहुंचने के बाद एहराम बाँधे, यदि हवाई जहाज में हो तो मीकात पहुंचने से पहले एहराम बाँधे ताकि मीकात से आगे न बढ़ जाये, जिन मीकातों से

---

[1] इसे तबरानी ने "अल-मोजमुल औसत" (4480) एवं बैहक़ी ने "शुअबुल ईमान" (2/173/2) में रिवायत किया है और इमाम अलबानी ने "अस-सहीहा" (6/212) सहीह क़रार दिया है।

एहराम बाँधने का आदेश नबी करीम صلى الله عليه وسلم ने दिया वह पांच हैं:

१ . ज़ुल हुलैफा (आबयारे अली) मदीना वालों के लिए|

२ . जुहफा (राबिग के निकट) शाम, मिस्र और पश्चिम वालों के लिए।

३ . क़रन ए मनाजिल (सैल या वादि ए महरम) नज्द, ताइफ, और उस ओर से आने वालों के लिए है।

४ . जाते इरक़, ईराक वालों के लिए|

५ . यलमलम, यमन वालों के लिए|

जो उपरोक्त क्षेत्रों के निवासी न हो किन्तु उसका वहाँ से गुजर हो तो वह वहीं से एहराम बाँध लेगा। मक्का वाले और जिनके घर मीक़ात के अन्दर हों वे अपने घरों से ही एहराम बाँध लेंगे।

☆ ☆ ☆

एहराम का तरीका:

एहराम से पहले पवित्रता प्राप्त करना और खुशबू लगाना मुस्तहब (वह काम जिसे प्यारे रसूल ने पसन्द फरमा कर स्वयं किया हो अथवा उसका पुण्य बयान फरमाया हो लेकिन अनिवार्य न हो) है, फिर मीकात पर एहराम का वस्त्र पहन ले, जहाज से यात्रा करने वाला अपने घर ही से तैयारी कर ले तथा जब मीकात के निकट हो या उस के बराबर पहुंच जाये तो नियत कर ले तथा लब्बैक पढ़ना [1] आरम्भ कर दे, पुरूष के लिए एहराम का वस्त्र इजार (तहबन्द) और चादर है जो सिली न हो वह उन्हें शरीर पर लपेट लेगा और सिर नहीं ढाँकेगा, महिला के लिए एहराम का कोई विशेष वस्त्र नहीं है उसपर केवल इतना अनिवार्य है कि वह हमेशा ढीला - ढाला वस्त्र पहने, जो कभी भी देखने वालों के लिए किसी फ़ितने का कारण न हो, एहराम में प्रवेश कर जाये तो अपना चेहरा और हाथों पर कोई सिली हुई चीज़ न पहने जैसे नकाब या दस्ताने आदि | हाँ यदि पुरूषों का सामना हो तो अपने दोपट्टा से चेहरा ढक ले जैसा कि

---

[1] कहेगाः "लब्बैका हज्जन" अथवा "लब्बैका उमरतन" और इस का अर्थ है सदा अल्लाह का आदेश स्वीकार करना।

उम्माहातुल मोमिनीन (मुसलमानों की मातायें (नबी की पत्नियाँ)) और सहाबा की महिलायें किया करती थीं।

फिर हाजी एहराम पहनने के बाद दिल में उमरे की नियत करेगा और यह तलबिया पढ़ेगाः "अल्लाहुम्मा लब्बैका उमरतन" और तमत्तो [1] करेगा। और तमत्तो ही उत्तम है क्योंकि नबी - सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- अपने साथियों को इसी का आदेश दिया और इसी को उनपर अनिवार्य किया और जिस ने इस आदेश के अनुपालन में विलंब किया उससे नाराज़ हुए मगर जिसके साथ

---

[1] तमत्तो करने वालाः वह व्यक्ति जो हज के मौसम में उमरा करता है फिर पूरी तरह एहराम से हलाल हो जाता है और वह चीज़ें उस के लिए वैध होजाती हैं जो एहराम के कारण अवैध थीं फिर ज़िल-हिज्जा की आठ तारीख को हज का एहराम बांधता है। क़ारिनः वह व्यक्ति है जो हज तथा उमरा एक साथ संपन्न करता है, वह केवल हज के ही कार्य करता है लेकिन उमरा के उस में शामिल होने की नियत कर लेता है। मुफ़रिदः वह व्यक्ति है जो केवल हज की नियत करता है, उमरे को शामिल नहीं करता।

हदि [1] का जानवर हो वह क़ारिन होगा जैसाकि आप -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने किया। क़ारिनः वह व्यक्ति है जो तलबिया पढ़ते समय कहेः "अल्लाहुम्मा लब्बैका उमरतन वहज्जन" और एहराम की पाबंदियों से ईद के दिन क़ुरबानी करने से पहले आज़ाद नहीं होता।

मुफ़रिदः वह व्यक्ति है जो केवल हज की नियत करे और कहेः "अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन"।

☆ ☆ ☆

मुहरिम पर वर्जित कार्य:

मुसलमान जब एहराम की नियत कर लेता है तो उस पर निम्नलिखित चीजें हराम हो जाती हैं:

१ . जिमाअ (संभोग) और उसका कारण बनने वाले कार्य जैसे चुंबन लेना और वासना से छूना तथा वासना से सम्बंधित बातें

---

[1] हदिः ऊंट, गाय अथवा बकरा जिस की हाजी क़ुरबानी करता है और उस में से सदक़ा करता है और खुद भी खाता है।

करना, शादी विवाह का पैगाम देना, निकाह करना, मुहरिम न स्वयं निकाह करेगा न दूसरों का निकाह करायेगा |

२ . बाल मुंडाना या उसकी काट - छांट करना |

3- नाखून काटना।

४ . ऐसी चीज़ से सिर ढांकना जो सिर से चिमटी हो, किसी चीज से छाँव प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, जैसे छतरी, खैमा तथा गाड़ी आदि |

५ . खुश्बू लगाना या सूंघना |

६ . सूखे में शिकार, न स्वयं शिकार करेगा और न शिकार करने वाले को बतायेगा।

7- पुरुष का सिला हुआ वस्त्र पहनना एवं महिला का चेहरे तथा हाथों में सिला हुआ कुछ पहनना। पुरुष जूते (जिन से टखने न ढकें) पहन सकता है और जूते न मिलें तो मोज़े पहन सकता है (टखने से नीचे हों)।

यदि अनजाने में या भूल कर इन में से कुछ कर बैठे तो उसे छोड़ दे या दूर कर दे और उसपर कुछ अनिवार्य नहीं होगा।

जब मुहरिम (एहराम बांधने वाला) काबा के पास पहुंचे तो सबसे पहले तवाफ़ ए क़ुदूम[1] करे, हजर ए असवद (काले पत्थर) की बराबरी से शुरू करे और काबा की चारों ओर सात चक्कर लगाए और यही उसके उमरे का तवाफ़ होगा। तवाफ के दौरान ज़िक्र तथा दुआ में लगा रहे। तवाफ़ की कोई विशेष दुआ नहीं है [2]। फिर दो रकअत नमाज मक़ाम [3] के पीछे अदा करे यदि संभव न हो तो हरम (मसजिद ए हराम, जिस में काबा है) में किसी भी स्थान पर

---

[1] मसजिद ए हराम पहुंचने के बाद पहला तवाफ़।

[2] मगर हजर ए असवद तथा रुक्न ए यमानी (काबा का वह कोना जो हजर ए असवद से पहले आता है) के बीच यह दुआ पढ़ेगाः रब्बना आतिना फिद्दुनया हसनतौं वफ़िल आखिरति हसनतौं वक़िना अज़ाबन्नार।

[3] मक़ाम ए इबराहीं अलैहिस्सलाम।

अदा करे, फिर सई [1] के लिए ' सफा ' (एक पहाड़) की ओर बढ़े, उसपर चढ़े, किबला (काबा) की ओर मुंह करे, तकबीर कहे, " ला इलाहा इल्लल्लाह " पढ़े, फिर ' मरवह ' (एक पहाड़) की ओर जाये, उस पर चढ़े, किबला की ओर होकर तकबीर कहे अल्लाह का जिक्र और दुआ करे, फिर सफ़ा की ओर वापिस आए, इस प्रकार सात चक्कर लगाये, जाना एक चक्कर तथा आना एक चक्कर, फिर अपने बाल कटवाए, महिला अपने बालों के किनारे से ऊंगली के पोर के बराबर बाल कटवाये, उपरोक्त कार्यों की समाप्ति के साथ " हज्जे तमत्तो " करने वाले का उमरा मुकम्मल होता है और वह एहराम से हलाल हो जायेगा अतः वह सारी चीजें उसके लिए हलाल हो जायेंगी जो एहराम के कारण हराम हो गई थीं।

एहराम की नियत करने से पहले या बाद में महिला मासिक धर्म की अवस्था में हो जाये या उसको प्रसव हो जाये तो वह हज्जे

---

[1] इस का अर्थ है दो पहाड़ों, सफा तथा मरवह, के बीच चलना और कभी थोड़ा तेज़ चलना।

क़िरान वाली हो जायेगी, उमरा एवं हज का तलबिया कहेगी, मासिक धर्म (हैज़) एवं प्रसव रक्त (निफास) एहराम या विशेष पवित्र स्थानों (मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात) में ठहरने के लिए बाधक नहीं हैं, वह केवल बैतुल्लाह के तवाफ से रुकी रहेगी, हज के सारे काम अंजाम देगी सिवाये तवाफ के | यदि वह हज के एहराम से पहले तथा मिना जाने से पहले पवित्र हो जाये तो स्नान करेगी अपने बाल कटवा कर उमरा के एहराम से हलाल हो जायेगी, फिर आठ तारीख को लोगों के साथ हज का एहराम बाँधेगी। लेकिन उसके पवित्र होने से पहले लोग यदि हज में प्रवेश कर जायें तो उसका हज ' हज्जे क़िरान ' में परिवर्तित हो जायेगा, वह एहराम में रहेगी, तलबिया कहेगी, हाजियों के साथ सारे कर्मों को अदा करेगी | मिना, अरफात और मुज्दलिफा में क़ियाम करेगी, ' रमी ' एवं ' नहर ' भी करेगी फिर अपने बाल भी कटवायेगी, जब पवित्र हो जाये तो स्नान के बाद हज का तवाफ़ एवं ' सई ' करेगी |

और यह तवाफ और सई उसके उमरे तथा हज दोनों के लिए काफ़ी होंगे जैसा कि आइशा रज़ियल्लाहु अनहा के साथ हुआ, पवित्र होने के बाद उन्हों ने लोगों के साथ तवाफ़ ए इफ़ाज़ा और सई

की और अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने फ़रमाया कि यह उनके उमरे तथा हज दोनों के लिए काफ़ी होंगे क्योंकि क़ारिन तथा मुफ़रिद पर एक ही तवाफ़ [1] और एक ही सई अनिवार्य है क्योंकि अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने स्पष्ट रूप से आइशा रज़ियल्लाहु अनहा को इसी का आदेश दिया एवं एक दूसरी हदीस में फ़रमायाः "क़यामत तक के लिए उमरा हज में शामिल हो गया"। और अल्लाह को अधिक ज्ञान है।

आठ जिलहिज्जा को सारे हाजी मक्का में अपने - अपने स्थान से हज के लिए एहराम बाँधेंगे, पवित्रता के बाद एहराम का वस्त्र पहन लेंगे फिर पुरूष हो या महिला हज की नियत करेंगे तथा यूं तलबिया कहेंगे " अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन " ऐ अल्लाह मैं हज

---

[1] जो वह ईद के दिन या उस के बाद करेगा और उसका तवाफ़ ए क़ुदूम नफिल माना जाएगा। रही बात सई की तो क़ारिन तथा मुफ़रिद पर एक ही सई अनिवार्य है इस लिए यदि उसने क़ुदूम के साथ सई कर ली हो तो काफ़ी हो जाएगी और अगर न की हो तो ईद के दिन या उस के बाद तवाफ़ ए इफ़ाज़ा के साथ करेगा।

के लिए उपस्थित हो रहा है, एहराम की अवस्था में सारे उपरोक्त वर्जित चीजों से बचे रहेंगे, यउमुन नहर [1] को जब मुज्दलिफा से मिना वापस आ जायें तो जमरतुल अक़बा को कंकरी मारेंगे, पुरूष सिर मुंडायेगा और महिला बाल कटवायेगी और इस के बाद ही वे हलाल होंगे|

आठ ज़िलहिज्जा को एहराम बाँधकर हाजी मिना आयेगा, रात वहीं गुज़ारेगा, वहाँ सारी नमाजें अपने - अपने समय में कम अदा करेगा, अरफा के दिन सूर्य उदय होने के बाद ' नमरा ' की ओर प्रस्थान करेगा वह जमाअत के साथ जोहर एवं अस्र की नमाज संयुक्त तौर पर कम्र के साथ अदा करेगा, फिर जवाल के बाद अरफा की सीमाओं में प्रवेश कर जायेगा और यदि मिना से सीधा अरफा चला जाये तो भी कोई आपत्ति नहीं, सारा अरफा ठहरने का स्थान है।

[1] ज़िल हिज्जा की दस तारीख, क़ुरबानी का दिन।

हाजी अरफा में अधिक से अधिक अल्लाह का जिक्र करे, दुआ एवं इस्तेगफार (क्षमा याचना) करे, किबला की ओर मुख हो, पहाड़ी की ओर मुख न करे, पहाड़ी भी अरफा के मैदान का एक भाग है, इबादत की नियत से उसपर चढ़ना ठीक नहीं है, उसके पत्थरों को बरकत के लिए छूना भी जायेज नहीं है बल्कि यह बिदअत तथा हराम है|

हाजी अरफा से सूर्य डूबने से पहले नहीं निकलेंगे, सूर्य डूबने के बाद मुज्दलिफा वापिस आएंगे, जब मुज्दलिफा पहुँच जायें तो मगरिब एवं इशा की नमाज एक साथ इशा के समय में पढ़ेंगे, इशा की नमाज को कस्र (दो रकअत) करेंगे, रात वहीं गुजारेंगे, जब सुबह हो जाये तो फज्र की नमाज़ पढ़ेंगे तथा अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर सूर्य उदय होने से पहले मिना की ओर निकलेंगे, मिना पहुंचकर सूर्य उदय होने के बाद जमरा अक़बा को सात ऐसी कंकरियाँ मारेंगे, जो आकार में अधिक बड़ी न हों और न ही छोटी बल्कि चने के दाने के बराबर हों, चप्पल आदि से मारना जायेज नहीं है इसलिए कि यह खिलवाड़ है। शैतान का अपमान अल्लाह के रसूल صلى

صلى الله عليه وسلم के तरीके पर चलने तथा आप की पैरवी करने और विरोध से बचने में है।

रमी (कंकरी मारने) के बाद हाजी अपनी कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करेगा, फिर अपने बाल मुंडवायेगा, महिला अपने बाल कटवाएगी, पुरुष भी बाल छोटे करवा सकता है लेकिन मुंडवाना तीन गुना उत्तम है, फिर हाजी अपने कपड़े पहन लेगा | अब पत्नी के अतिरिक्त वह सारी चीजें जो हराम थीं हलाल हो जायेंगी, फिर तवाफे इफाजा और सई करेगा, उसके बाद उसके लिए सारी चीजें यहां तक कि पत्नी भी हलाल हो जायेगी । उसके बाद लौटकर मिना आयेगा, ईद के दिन तथा उसके बाद दो दिन रातों के साथ वहाँ विश्राम करेगा, यह दो दिन मिना में ठहरना अनिवार्य है। ग्याहरहवें और बारहवें दिन तीनों जमरात को जवाल (सूरज ढलने) के बाद कंकरी मारेगा | छोटे जमरा से आरम्भ करेगा जो मिना की ओर से पहला है फिर बीच वाले जमरा को फिर जमरये अक़बा को जिसे ईद के दिन मारा था हर जमरा को सात - सात कंकरियाँ मारेगा, हर कंकरी के साथ तकबीर कहेगा, कंकरियाँ मिना में अपने

स्थान से साथ ले ले। जिसे मिना में स्थान न मिले वह जहाँ हाजियों के खेमे समाप्त हों उसके निकट स्थान ग्रहण करे |

बारहवें दिन कंकरियाँ मार कर वह मिना से लौट सकता है और यदि तेरहवें दिन तक ठहर जाये तथा तेरहवें दिन भी सूरज ढलने के बाद कंकरी मार कर जाये तो अधिक अच्छा है | यात्रा करने से पहले तवाफे विदा करना आवश्यक है, मासिक धर्म एवं प्रसव रक्त वाली महिलायें तवाफे इफाज़ा और सई अगर पहले ही कर चुकी हैं तो अब उसे तवाफे विदा से छूट है।

हाजी यदि ग्यारह, बारह अथवा तेरह तारीख तक भी हदि (कुरबानी का जानवर) ज़बह करे तो जाएज़ (वैध) है| हज का तवाफ़ और सई भी मिना से निकलने तक बिलंबित करना जाएज है, . किन्तु उत्तम वही है जो हम ने ऊपर बयान किया है।

और अल्लाह तआला ही सबसे ज़्यादा और बेहतर जानता है। तथा अल्लाह की कृपा और शांति (दुरूद व सलाम) हो (हमारे नबी) मुहम्मद पर और आपके सम्स्त परिजनों एवं सभी सहाबा (साथियों) पर।

☆☆☆

ईमान

अल्लाह तआला ने एक मुसलमान पर अनिवार्य किया है कि अल्लाह, उसके रसूल तथा इसलाम के सभी स्तम्भों पर ईमान रखने के साथ अल्लाह तआला के फ़रिश्तों [1] और उस की किताबों [2] पर भी ईमान लाए जो उसने अपने रसूलों पर उतारी हैं, जिन में

---

[1] फ़रिश्तेः कुछ आत्माएं जिन्हें अल्लाह तआला ने रोशनी से पैदा किया है, वे अनिगनत हैं, उन की संख्या केवल अल्लाह तआला ही जानता है, उन में से कुछ आसमानों में रहते हैं और कुछ आदम संतान पर नियुक्त हैं।

[2] अर्थात इस बात पर ईमान रखे कि जो किताबें अल्लाह तआला ने अपने रसूलों पर उतारी हैं वे सब सत्य हैं, उन में से केवल क़ुरआन सुरक्षित है। रही बात तौरेत और इनजील की जो यहूद एवं ईसाइयों के पास हैं तो यह स्वयं उनका संकलन है और इसके कई प्रमाण हैं, उन में जो मतभेद पाया जाता है, उनका यह कहना कि माबूद तीन हैं और ईसा अल्लाह का संतान है जबकि सच यह है कि माबूद (सत्य पूज्य) केवल अल्लाह तआला है और ईसा अल्लाह के बंदे एवं उसके रसूल हैं जैसा कि कुरआन का वर्णन है। उन में जो अल्लाह का कलाम मौजूद है वह कुरआन द्वारा मनसूख (निरस्त) हो चुका

अंतिम किताब क़ुरआन है जिस से पिछली सारी किताबें मनसूख (निरस्त) हो गईं और जिसे अल्लाह ने उन किताबों की रक्षा करने वाला तथा उन पर नियंत्रण करने वाला बनाया। इसी प्रकार अल्लाह तआला के शुरू से अंतिम रसूल मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- तक समस्त रसूलों पर ईमान लाए क्योंकि उन सबका पैग़ाम और धर्म एक ही है, इसलाम, और उन्हें भेजने वाला भी एक ही है, अल्लाह तआला, सारे संसार का रब। इस लिए एक मुसलमान पर यह विश्वास रखना आवश्यक है कि जिन रसूलों का उल्लेख क़ुरआन में हुआ है वे सब अल्लाह तआला के रसूल हैं जिन्हें अपनी अपनी जाति की ओर भेजा गया था और मुहम्मद -

---

है। नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने उमर रज़ियल्लाहु अनहु के हाथ में तौरेत का एक पन्ना देखा तो सख्त नाराज़ हुए और फ़रमायाः "खत्ताब के बेटे, क्या मेरे बारे में कोई शक है है? अल्लाह की क़सम, यदि मेरे भाई मूसा जीवित होते तो उन्हें भी मेरा ही अनुसरण करना पड़ता", यह सुन कर उमर ने पन्ना फेंक दिया और कहाः अल्लाह के रसूल, मेरे लिए क्षमा याचना करें। इसे इमाम अहमद ने मुसनद (3/387) में रिवायत किया है और इमाम अलबानी ने "अल-इरवा" (1589) में हसन क़रार दिया है।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- अंतिम हैं एवं सारे लोगों के रसूल हैं, आप के आ जाने के बाद यहूद, नसारा और दूसरे सभी धर्मों के मानने वाले आप की उम्मत हैं क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं सब पर आप का अनुसरण अनिवार्य है।

जो मुहम्मद की पैरवी न करे तथा इस्लाम में प्रवेश न करे उससे मूसा, ईसा और सारे नबी मुक्त हैं। इसलिए कि मुसलमान सारे रसूलों पर ईमान लाता है और उनकी पैरवी करता है। जो मुहम्मद पर ईमान न लाये और उनकी पैरवी न करे एवं इस्लाम में प्रवेश न करे तो वह सारे रसूलों को झुठलाने वाला और उनका कुफ्र करने वाला है, यद्यपि उसने किसी एक की पैरवी का दावा भी कर रखा हो, दूसरे अध्याय में इससे संबंधित कुरआन से दिये गये तर्कों की चर्चा हम कर चुके हैं|

तथा अल्लाह के रसूल मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है: "क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरे विषय में इस उम्मत का जो व्यक्ति भी सुने,

चाहे वह यहूदी हो या ईसाई, फिर वह उस चीज़ पर ईमान न लाए जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, तो वह जहन्नमी होगा" [1]।

मुसलमान पर आवश्यक है कि वह मृत्यु के बाद दोबारा जीवन दिये जाने पर ईमान रखे, लेखा - जोखा, स्वर्ग - नरक पर भी ईमान रखे, उस पर यह भी आवश्यक है कि वह अल्लाह की ओर से निर्धारित भाग्य पर ईमान रखे|

भाग्य पर ईमान का अर्थ यह है कि:

मुसलमान इस बात पर विश्वास रखे कि अल्लाह तआला को प्रत्येक चीज़ का ज्ञान है, आकाश एवं पृथ्वी को पैदा करने से पहले वह बन्दों के कामों को जानता था, उसी ज्ञान को अल्लाह ने अपने पास " लौहे महफ़ूज़ " (वह तख्ती जिस पर अल्लाह ने संसार में होने वाली सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया है जिसे कोई बदल नहीं सकता) में लिखा है तथा मुसलमान इस बात को जानता है कि जो अल्लाह की इच्छा होगी वही होगा, जो उसकी इच्छा न

---

[1] मुसलिम (153) एवं मुसनद अहमद (2/317)।

हो वह कभी नहीं होगा, तथा अल्लाह ने बन्दों को अपनी आराधना के लिए पैदा किया, इसका उन्हें आदेश दिया और उसे बयान भी कर दिया, उन्हें अपनी अवज्ञा से रोका, उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया, उन्हें शक्ति एवं संकल्प से भी सम्मानित किया, जिसके द्वारा वह अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं एवं फल पाते हैं और जो पाप करता है वह दंड का भोगी होता है।

बंदा की मर्ज़ी अल्लाह की इच्छा के अधीन है, भाग्य के वह मामलात जिसमें बन्दा की मर्ज़ी एवं इख्तियार का हस्तक्षेप न हो बल्कि अल्लाह बन्दा की मर्ज़ी के विरूद्ध उसको लागू करते हैं जैसे ग़लती, भूल या ऐसे काम जिस पर कि वह विवश किये जायें, और जैसे दरिद्रता, रोग एवं दुःख एवं कष्ट आदि इन चीज़ों पर अल्लाह तआला न तो बन्दा की पकड़ करता है और न उसे दंड देता है बल्कि रोग एवं दरिद्रता और आपदाओं में बंदा सब्र करे और अल्लाह के निर्णय से प्रसन्न रहे तो अल्लाह तआला उसे महा विनिमय से सम्मानित करता है|

उपरोक्त सारी बातों पर मोमिन बंदे का ईमान लाना अनिवार्य है,

मुसलमानों में सबसे बड़े ईमान वाले जो अल्लाह के सबसे निकट और स्वर्ग में उच्च श्रेणियों में होंगे, वे ऐसे मुहसिन बंदे होंगे जो अल्लाह की ऐसी उपासना करते हैं, उसका ऐसे सम्मान करते हैं तथा उसके सामने इस प्रकार विनय प्रकट करते हैं जैसे वे उसे देख रहे हों, वे अल्लाह की अवज्ञा न छुप कर करते हैं न दिखाकर | उन का यह विश्वास है कि वह उन्हें हमेशा देख रहा है, चाहे वह जहाँ भी रहें, अल्लाह से उनकी नियतें उनके कार्य और उनकी बातें कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, इस लिए वे उसके आदेशों का अनुपालन करते हैं, उसकी अवज्ञा से बचते हैं और यदि कभी कोई भूल हो जाये तो तुरन्त तौबा करते हैं अपनी भूल पर लज्जित होते हैं, अल्लाह से क्षमा चाहते हैं तथा दोबारा उसके निकट नहीं जाते | अल्लाह तआला ने फ़रमायाः अल्लाह संयमी और भला काम करने वालों के साथ है। सूरा अन्-नह़्लः 128

☆ ☆ ☆

इस्लाम एक सम्पूर्ण धर्मः

अल्लाह तआला कुरआन ए करीम में फरमाता है: {मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को संपूर्ण कर दिया तथा तुमपर अपना पुरस्कार पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म स्वरूप चुन लिया है।} [सूरा अल-माइदा: 3] एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: {नि:संदेह, यह क़ुरआन सबसे सही मार्ग का अनुदेश देता है तथा नेक काम करने वाले मोमिनों को शुभ सूचना देता है कि उन्हें महान प्रतिकार मिलेगा।} [सूरा अल-इसरा: 9] कुरआन के संबंध में अल्लाह तआला का कथन है: हम ने यह किताब तुमपर उतारी (यानी क़ुरआन) जिसमें हर चीज का अच्छा बयान है तथा मुसलमानों के लिए वह अनुदेश, कृपा और शुभ सूचना है। [सूरा अन-नहल: 89]

सही हदीस में नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: " मैंने तुम्हें बिल्कुल प्रकाशमय मार्ग पर छोड़ा है जिसकी रात भी दिन की तरह है इससे जो भी भटकता है वही हलाक होता

है" [1]। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ता हूँ जब तक इन्हें थामे रहोगे गुमराह नहीं होगेः अल्लाह की किताब (क़ुरआन) एवं उसके नबी की सुन्नत (हदीस)" [2]।

उपरोक्त आयतों में सेः

पहली आयत में अल्लाह तआला सूचित कर रहा है कि उसने मुसलमानों के लिए इसलाम धर्म को पूरा कर दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है और न इसमें किसी बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है, वह हरेक स्थान एवं काल तथा कौम के लिए बिल्कुल उचित है। अल्लाह ने इस महान, सरल एवं संपूर्ण धर्म के माध्यम से

[1] इसे अबू दाऊद (4607) और तिरमिज़ी ने (2676) लगभग एक जैसे शब्दों के साथ, इब्ने माजह (43) ने इसी शब्द के साथ और इमाम अहमद (17142) ने कुछ अलग रिवायत किया है एवं इमाम अलबानी ने "सहीह इब्ने माजह" (41) में सहीह क़रार दिया है।

[2] मुअत्ता इमाम मालिक (3338), और इमाम अलबानी ने "सहीहुल जामे" (2937) में इसे सहीह क़रार दिया है।

मुसलमानों पर अपनी नेमत पूरी की है एवं उसने मुसलमानों पर मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की रिसालत के माध्यम से, इस्लाम को शक्ति प्रदान करके तथा इस्लाम के मानने वालों की उनके शत्रुओं के विरुद्ध सहायता कर बड़ा उपकार किया है। कभी भी वह इस धर्म से अप्रसन्न नहीं होगा और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करेगा |

दूसरी आयत में फरमाया है कि कुरआन दीन - दुनिया की सारी समस्याओं के लिए पूर्णतः पर्याप्त है, इसमें हर भलाई एवं कल्याण की सुचना है तथा हर बुराई से बचने की चेतावनी है, हर काल की पुरानी तथा नई सभी समस्याओं का इसमें सही एवं न्यायपूर्ण समाधान मौजूद है, हर वह समाधान जो कुरआन से टकराता हो उसमें अन्याय और मूर्खता है |

ज्ञान, विश्वास (आस्था), शासन, न्यायतंत्र, मनोविज्ञान (psychology), समाज विज्ञान (sociology) अर्थव्यवस्था एवं दंड के नियमों से संबंधित जो भी चीज़ मानव जाति के लिए आवश्यक है उसका कुरआन में स्पष्ट विवरण है फिर नबी صلى الله

عليه وسلم के माध्यम से भी अल्लाह तआला ने उसकी पूर्ण व्याख्या फरमा दी है जैसाकि उपरोक्त आयत में है: कुरआन में हर चीज़ का विस्तृत वर्णन है।

और अगले अध्याय में इसलाम धर्म की संपूर्णता एवं उसकी सटीक संपूर्ण विधि का संक्षिप्त वर्णन आएगा।

☆ ☆ ☆

चौथा अध्याय - इस्लाम की विधि

1- ज्ञान के संबंध में:

अल्लाह तआला ने इंसान पर सबसे पहले विद्या ग्रहण करने को अनिवार्य किया है, अल्लाह तआला ने फरमायाः इसलिए आप (जान लीजिए) कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा माबूद नहीं तथा अपने पापों की क्षमा मांगा करें और ईमानदार पुरूषों एवं ईमानदार महिलाओं के लिए भी और अल्लाह जानता है तुम्हारे आने- जाने एवं रहने सहने के स्थान को | सूरा मुहम्मदः 19 एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: {अल्लाह तआला तुममें ईमान वालों को तथा जिन्हें ज्ञान से सम्मानित किया गया, उनके पदों को ऊँचा कर देगा। [सूरा अल-मुजादिलाः 11] एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने कहा है: और आप कहियेः ऐ मेरे रब, मेरे ज्ञान में और अधिकता कर | [सूरा ता-हाः 114] एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने कहा है: यदि तुम्हें ज्ञान न हो तो ज्ञानियों से पूछो | सूरतुल अम्बियाः 7 और मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने सहीह हदीस में फरमाया: " विद्या का प्राप्त

करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है" [1], एक अन्य हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: " आलिम (इसलामी शरीयत का ज्ञाता) की प्रधानता आबिद (उपासक) पर ऐसे ही है जैसे पूनम के चाँद की प्रधानता दूसरे सितारों पर है" [2]।

इस्लाम में विद्या को उसके आवश्यक एवं अनावश्यक होने को देखते हुए दो भागों में विभाजित किया गया है:

1- फर्जे ऐन (मूल कर्तव्य), यानी हर इंसान पर इस का ग्रहण करना चाहे पुरूष हो या महिला, आवश्यक है | इसके न जानने का बहाना स्वीकार्य नहीं है, इस भाग के अंतर्गत है अल्लाह की पहचान, प्यारे रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की पहचान

---

[1] इसे इब्ने माजह ने (224) और तबरानी ने "मोजम सग़ीर" (22) में रिवायत किया है और इमाम अलबानी ने "सहीहुल जामे" (3808), (3809) में सहीह क़रार दिया है।

[2] इसे तिरमिज़ी ने (2322) और इब्ने माजह ने (4112) रिवायत किया है और इमाम अलबानी ने "सहीहुल जामे" (1609) में सहीह क़रार दिया है।

और इस्लाम धर्म के आवश्यक अहकाम (विधानों) का ज्ञान प्राप्त करना [1]।

2- फर्ज ए किफाया, (वह फर्ज जो एक आदमी के अदा करने से सब की ओर से अदा हो जाये), यानी यदि कुछ लोगों ने उसको अदा किया तो सारे लोगों पर से ज़िम्मेदारी एवं गुनाह टल जाता है, दूसरों के लिए मुस्तहब (जिस पर पुण्य मिले लेकिन छोड़ने पर कोई गुनाह न हो) होजाता है अनिवार्य नहीं रहता, इस भाग के अंतर्गत इस्लामी शास्त्र के आदेशों का विस्तृत ज्ञान आता है जिससे इंसान पठन - पाठन, न्याय करने एवं धर्माज्ञा के योग्य बनता है। और इसी प्रकार ऐसे शिल्पों तथा पेशाओं का सीखना (भी फर्ज ए किफाया है) जिनकी दैनिक जीवन में मुसलमानों को आवश्यकता होती है, इसलिए मुसलिम शासक पर अनिवार्य है कि, ऐसे उलमा (विद्वान) तैयार करे जिनसे मुसलमानों की आवश्यकता पूरी हो |

2- अक़ीदे (आस्था, विश्वास) के संबंध मेंः

---

[1] इसका विवरण विगत तीन अध्यायों में दिया जा चुका है।

अल्लाह तआला ने प्यारे रसूल صلی اللہ علیہ وسلم को आदेश दिया है कि आप ऐलान कर दें कि तमाम लोग अल्लाह के बन्दे हैं, उनपर उसी की उपासना करना आवश्यक है और उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी इबादतों (उपासनाओं) में बिना किसी माध्यम के सीधे अल्लाह से जुड़े रहें, इस बात का बयान " ला इलाहा इल्लल्लाह " की व्याख्या में हो चुका है। उन्हें आदेश दिया कि वे केवल एक अल्लाह पर भरोसा करें, उसके अतिरिक्त किसी से भयभीत न हों और उसी से आशायें रखें [1] इसलिए कि वही लाभ एवं हानि का मालिक है। और उन्हें आदिश दिया कि वे अल्लाह तआला को संपूर्णता के गुणों से विशेषित करें जिनसे अल्लाह तआला ने स्वयं को विशेषित किया है और उसके रसूल ने भी, इसका विवरण गुज़र चुका है।

---

[1] इस का तात्पर्य यह है कि सृष्टि जैसे मुर्दों तथा मूर्तियों से न डरा जाए न उम्मीद रखी जाए, जो अल्लाह की तरह क्षमता नहीं रखते। लेकिन एसी चीज़ से डरना जो सृष्टि की क्षमता के बाहर न हो जैसे शेर तथा चोर से डरना और ऐसे व्यक्ति से आशा रखना, जो मदद कर सकता हो और दे सकता हो, स्वाभाविक है, इस में कोई हर्ज नहीं।

3- सामाजिक संबंधों के बारे में:

अल्लाह ने मुसलमान को आदेश दिया है कि वह एक सदाचारी इंसान बने, इंसानियत को कुफ्र के अंधकार से निकालने और इसलाम के प्रकाश में लाने का प्रयास करता रहे। इसी उद्देश्य के लिए मैं ने यह पुस्तक लिखी ताकि मेरी कुछ जिम्मेदारी अदा हो सके।

अल्लाह ने मुसलमान को यह आदेश दिया कि दूसरों से उसका संपर्क अल्लाह तआला पर ईमान के आधार पर हो, वह नेक एवं सदाचारी, अल्लाह एवं रसूल के आज्ञापालन करने वाले बन्दों से मैत्री रखेगा, चाहे उनसे कितनी ही दूर का संबंध क्यों न हो एवं काफिरों और अल्लाह एवं रसूल के अवज्ञाकारियों से बैर एवं शत्रुता रखेगा चाहे वह निकटवर्ती ही क्यों न हों। यही वह संबंध है जो विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाता है और नाना प्रकार के लोगों से संबंध स्थापित कराता है, इसके विपरीत देश, परिवार एवं व्यक्तिगत लाभों का सम्बन्ध है जो शीघ्र ही टूट जाता है।

अल्लाह तआला ने फरमाया: जो लोग अल्लाह एवं अंतिम दिन पर विश्वास रखते हैं उन्हें आप नहीं पायेंगे कि वे उन लोगों से

मैत्री रखते हों जो अल्लाह एवं रसूल के शत्रु हैं चाहे वे उनके बाप - दादा हों या बेटे हों या भाई हों या परिवार वाले हों । सूरतुल मुजादिला: 22 एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: अल्लाह के निकट तुम में सबसे अधिक सम्मानित सब से अधिक तक़वा (अल्लाह के आदेश- निषेध के अनुसार जीवन बिताने) वाला है | [सूरा अल-हुजुरात: 13]

पहली आयत में अल्लाह तआला सूचित करता है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाला अल्लाह के शत्रुओं से प्रेम नहीं रखता चाहे वे सबसे निकटवर्ती ही क्यों न हों।

और दूसरी आयत में फरमाता है कि उसके निकट सबसे प्रिय एवं सम्मानित उस का आज्ञाकारी है, वह किसी बी रंग व नसल का हो।

और अल्लाह तआला ने बंधु तथा शत्रु दोनों के साथ न्याय करने का आदेश दिया है एवं अन्याय को स्वयं पर भी तथा बंदों के बीच भी हराम (अवैध) ठहराया है, आमानतदारी और सच्चाई का हुक्म दिया है, बेईमानी से रोका है, माता-पिता के साथ अच्छा

सलूक करने, रिश्ते निभाने, गरीबों का खयाल रखने, समाज सेवा के कामों में अंश लेने और हर चीज यहाँ तक कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है और जानवरों को कष्ट देने से रोका है [1], मगर हानिकारक जानवर, जैसे काटने वाला कुत्ता [2], साँप, बिच्छू, चुहिया, चील, छिपकली, इन्हें क्षति से बचने के लिए मारा जाएगा लेकिन यातना नहीं दी जाएगी।

4- अल्लाह के संरक्षण का अनुभव और मोमिन के दिल की चेतावनी:

---

[1] यहाँ तक कि हलाल जानवर को ज़बह करने की हालत में भी,अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने आदेश दिया है कि छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया जाए ताकि जानवर को अधिक कष्ट न हो। ज़बह का स्थान कंठ है इस लिए भोजन नली तथा खून की दो नसें काटी जाएंगी और ऊंट को ज़बह करते समय उस की गर्दन के नीचे सीने के ऊपरी भाग में छुरा भौंका जाएगा। परन्तु इलेक्ट्रिक शा ॅक दे कर अथवा सिर पर चोट दे कर जानवर को मारना हराम है एवं ऐसे जानवर का मांस खाना भी अवैध है।

[2] जंगली कुत्ता जो लोगों को तकलीफ़ देता है और दूसरे सारे हानिकारक जंगली जानवर उस के अंतर्गत आऐंगे।

कुरआन में बहुत सी आयतें इसकी स्पष्टता करती हैं कि अल्लाह तआला बन्दों को देख रहा है वे जहाँ कहीं भी रहें, वह उनके कर्मों एवं नियतों को जानता है, उनके कर्मों एवं कथनों की गणना करता है, फरिश्ते हमेशा उनके साथ रहते हैं, खुले - छिपे हर काम को लिखते हैं, अल्लाह तआला उनके हर काम एवं कथन का निकट ही में हिसाब करेगा, उन्हें कष्टदायक यातना से धमकाया है यदि वे अल्लाह की अवज्ञा करें, उसका विरोध करें। यह चीजें मोमिनों को पापों से बचाने का मुख्य कारण हैं, वे अल्लाह के भय से विरोधों एवं अपराधों से बचे रहते हैं।

मगर जो अल्लाह तआला से नहीं डरता बल्कि जब भी अवसर मिलता है गुनाह करता है ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तआला ने रुकावट बनाई है। वह इस तरह कि मुसलमानों को आदेश दिया है कि भले काम का हुक्म दें एवं बुराई से रोकें, अतः हर मुसलमान को यह एहसास होना चाहिए कि जब भी किसी को कोई गलती करते देखे उसे रोकना उस का कर्तव्य है, यदि हाथ से न रोक सके तो ज़ुबान से ही सही। एवं अल्लाह तआला ने मुसलिम शासक को आदेश दिया है कि विरोध करने वालों के ऊपर

अल्लाह की हदें (जुर्म के अनुसार निर्धारित दंड जिन का वर्णन कुरआन तथा हदीस में है) लागू करे। इसके बाद ही न्याय, शांति तथा खुशहाली आएगी।

5- सामाजिक सहयोग:

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आपस में आंतरिक तथा आर्थिक सहयोग का आदेश दिया है जिसकी चर्चा सदक़ात एवं जकात के अध्याय में की जा चुकी है, अल्लाह ने मुसलमानों पर किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना हराम कर रखा है, यहाँ तक कि रास्ते में कोई कष्टदायक चीज़ हो तो अल्लाह ने मुसलमानों को उसे भी हटाने का आदेश दिया है चाहे वह कष्टदायक चीज़ किसी दूसरे ने ही रखी हो एवं इस काम पर सवाब (पुण्य) का वादा किया गया है जिस प्रकार कष्ट का कारण बनने वालों को यातना से डराया गया है|

मुसलमान पर यह अनिवार्य है कि वह अपने भाई के लिए वही चीज पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता है तथा उसके लिए वही चीज नापसन्द करे जो अपने लिए नापसन्द करता है | अल्लाह तआला ने फरमायाः नेकी और तक़वा में एक दूसरे की

सहायता करते रहो और गुनाह तथा अन्याय में मदद न करो ओर अल्लाह तआला से डरते रहो निस्संदेह अल्लाह तआला कठिन यातना देने वाला है। [सूरा अल-माइदा: 2] एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने फरमाया है: नि:संदेह मोमिन आपस में भाई हैं, इसलिए तुम दो भाइयों के बीच सुधार किया करो | सूरतुल हुजुरातः 10 एक अन्य स्थान में अल्लाह तआला ने फरमाया है: बहुत सी काना फूसियों में कोई भलाई नहीं है, हाँ (भलाई यह है कि) इनसान सदक़ा का या किसी नेक काम का या लोगों में सुधार का आदेश दे एवं जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ऐसा करेगा हम उसे महा प्रतिकार से सम्मानित करेंगे। (सूरतुन-निसा: 114) तथा अल्लाह के रसूल मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है: " कोई व्यक्ति उस समय तक मुकम्मल (संपूर्ण) मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही चीज न चाहे जो अपने लिए चाहता है " [1], और अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु

---

[1] बुखारी (13), मुसलिम (45) और शब्द मुसलिम के हैं।

अलैहि वसल्लम- ने अपने महान संबोधन [1] में जो जीवन के अंतिम समय में " हज्जतुल वदाअ " के अवसर पर किया था, विगत आदेशों पर ज़ोर देते हुए फ़रमायाः "लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा पिता एक है, सुनो, तक़वा (अल्लाह के आदेश -निषेध के अनुसार जीवन बीताने) के अलावा किसी और आधार पर किसी अरबी को अजमी (जो अरबी न हो) पर, अजमी को अरबी पर, लाल को काले अथवा काले को लाल पर कोई प्रधानता नहीं, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया?", लोगों ने कहाः जी, बिल्कुल, ए अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-। [2] आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने और फ़रमायाः "तुम्हारा खून, माल और इज्जत तुम पर उस दिन तक हराम है जब तुम अपने रब से मिलोगे जैसे आज का दिन इस शहर (मक्के) में इस महीने में हराम है, क्या

---

[1] यह महान एवं व्यापक संबोधन हदीस की विभिन्न किताबों में लिखित है।

[2] मुसनद अहमद (22978), और इमाम अलबानी ने इसे "अस-सहीहा" (6/199) में सहीह क़रार दिया है।

मैंने पैगाम पहुंचा दिया?", लोगों ने कहाः जी, हाँ, ए अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-, अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने अपनी उंगली से आकाश की ओर इंगित करते हुए फरमायाः "ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना" [1]।

आंतरिक शासन:

अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आदेश दिया कि अपने आप पर किसी इमाम (शासक) को नियुक्त करें तथा उससे उसके शासन अनुसार चलने की बैअत (वचन देना) करें और यह भी आदेश दिया कि मिल - जुलकर रहें, टुकड़ियों में विभाजित न हों, एक उम्मत बन कर रहें। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने शासक एवं सरदारों का आज्ञापालन करें, इस शर्त पर कि वे अल्लाह की अवज्ञा का आदेश न दें क्योंकि अल्लाह तआला की अवज्ञा करते हुए किसी इनसान का आज्ञापालन नहीं किया जाएगा।

---

[1] बुखारी (105), मुसलिम (1679) एवं शब्द बुखारी के हैं।

अल्लाह ने उस मुसलमान को जो किसी ऐसे देश में हो जहाँ वह अपने दीन (धर्म) को जाहिर न कर सकता हो, उसका निमंत्रण न दे सकता हो वहां से उसे इस्लामी देश की ओर हिजरत (प्रवास) करने का आदेश दिया है [1], इससे तात्पर्य ऐसे देश हैं जहाँ सारे मामलात में इस्लामी शास्त्र की पाबन्दी की जाती है, तथा मुसलमान शासक अल्लाह के आदेशों के अनुसार हुक्म देता हो।

इस्लाम राष्ट्रीय एवं जातिगत सीमाबन्दी को स्वीकार नहीं करता, मुसलमान की राष्ट्रीयता केवल इस्लाम है, बन्दे अल्लाह के बन्दे हैं, पृथ्वी अल्लाह की ज़मीन है जिसमें मुसलमान किसी आपत्ति के बिना चल फिर सकता है शर्त केवल यह है कि वह अल्लाह की शरीअत का पाबन्द रहे, यदि किसी मामला में विरोध करे तो उसपर अल्लाह का आदेश लागू होगा, अल्लाह ने जो दंड निर्धारित कर दिया है उसको लागू करने में ही अमन व शाँति है, लोगों का सुधार है, प्राणों, सम्पत्तियों एवं प्रतिष्ठाओं की रक्षा है,

---

[1] यदि सामर्थ्य हो।

इसमें नितांत कल्याण एवं भलाई है जबकि इसको छोड़ने में हानि एवं क्षति है।

अल्लाह तआला ने नशा वाली और बेहोश करने वाली चीजों को हराम करके बुद्धि को सुरक्षित किया है, शराब पीने वालों की सजा चालीस से अस्सी कोड़ों तक तै की है, इसका उद्देश्य उसे सचेत करना, उसकी बुद्धि की सुरक्षा और लोगों को उसकी हानि से सुरक्षित रखना है।

मुसलमानों के खून की रक्षा, इस्लामी शास्त्र क़िसास (खून, ज़ख़्म आदि का बदला) के द्वारा की गई है, हत्यारे को क़त्ल किया जाएगा, इस्लामी शास्त्र के अनुसार ज़ख़्मों में भी क़िसास है, इसी प्रकार मुसलमान को अपने नफ्स, अपनी इज्जत और सम्पत्ति की रक्षा करने की आज्ञा दी गई है, अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ऐ बुद्धिमानों तुम्हारे लिए क़िसास में जीवन है ताकि तुम मुत्तकी (अल्लाह से डरने वाले) बन जाओ | तथा अल्लाह के रसूल - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है: " जो अपने धन की रक्षा करते हुए मारा जाए वह शहीद है, जो अपने धर्म की रक्षा (जैसे

कोई उसे काफ़िर होने पर मजबूर करे मगर वह न माने) करते हुए मारा जाए वह शहीद है, जो अपनी जान की रक्षा करते हुए मारा जाए वह शहीद है एवं जो अपने परिवार की रक्षा करते हुए मारा जाए वह भी शहीद है" [1]।

अल्लाह ने मुसलमानों की इज्जतों को भी सुरक्षा प्रदान की है इस लिए किसी मुसलमान की अनुपस्थिति में उसके संबंध में एसी बात करने से मना फरमाया जो उसको पसन्द न हो, उस व्यक्ति पर धार्मिक दंड निश्चित किया जो किसी मुसलमान पर अपराधिक या नैतिक आरोप लगाता है, जैसे बलात्कार तथा बाल मैथुन (लिवातत) आदि का आरोप यदि वह इसे धार्मिक स्तर पर सिद्ध न करे |

---

[1] अबू दाऊद (2/275), नसाई (2/316), मुसनद अहमद (1652), और इमाम अलबानी ने इस हदीस को "सहीहुत तरग़ीब" (1411) तथा "सहीहुल जामे" (4172) में सहीह क़रार दिया है

* अल्लाह ने उस मिश्रण से परिवारों को सुरक्षित किया है जो शास्त्र के अनुकूल न हो [1], जिना (व्यभिचार) को कठोरता से हराम ठहरा कर तथा उसे सबसे बड़े पापों में शामिल कर अल्लाह तआला ने इज़्ज़तों की भी रक्षा की है और यदि ऐसा महा पाप करने वालों में दंड की शर्तें पूरी हो जाएं तो उन पर कठोर दंड निश्चित किया है|

एवं अल्लाह तआला ने चोरी, धोखा, जुआ, रिश्वत और दूसरी हराम कमाईयों को हराम ठहरा कर सम्पत्तियों की भी रक्षा की है, चोर और डाकुओं पर अल्लाह ने कठोर दंड निश्चित किया है, अतएव चोर का हाथ काटा जायेगा और यदि चोरी साबित हो तथा चोरी के दंड की दूसरी शर्तें पूरी न हों तो उसे केवल कोई एसा दंड दिया जायेगा जो उसे चोरी से रोके|

इन दंडों को निश्चित करने वाला अल्लाह तआला जानने वाला और हिकमत वाला है, वह अधिक जानता है कि बन्दों की

[1] और अल्लाह तआला ने वंश को मिश्रित तथा लुप्त होने से बचाया है, जैसे ज़िना के कारण किसी व्यक्ति का संबंध किसी ग़ैर से जोड़ा जाए|

हालत कैसे सही होगी, वह उन पर सबसे अधिक दया करने वाला भी है, मुसलमान अपराधियों के लिए अल्लाह ने इन दंडों को ' कफ्फारा ' (प्रायश्चित) बनाया है, जिन का उद्देश्य इस्लामी समाज की सुरक्षा है। इसलाम के शत्रुओं एवं उसके दावेदारों में जो लोग हत्यारे की हत्या और चोर के हाथ काटे जाने पर आपत्तियाँ व्यक्त करते हैं वास्तव में उनकी आपत्ति शरीर के एक ऐसे बीमार अंग के काटने पर है कि यदि न काटा जाये तो पूरे समाज में उसकी बीमारी फैल सकती है [1], जबकि यही आपत्ति करने वाले अपने अत्याचारी स्वार्थों के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या को अच्छा समझते हैं।

बाहरी राजनीति के संबंध में (इसलाम की विधी):

अल्लाह तआला ने मुसलमानों एवं उनके शासकों को आदेश दिया है कि ग़ैर मुसलिमों को इसलाम की ओर आमंत्रित करें ताकि उन्हें कुफ्र (काफ़िर होने की अवस्था) के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की ओर लाएं और वे इस जीवन की

---

[1] और इस प्रकार का दंड किसी बीमार के किसी सदोष अंग के काट फेंकने से बेहतर है जो मरीज़ और उस के परिवार खुशी से करवाते हैं ता कि उसका शरीर स्वस्थ रहे।

भौतिक वस्तुओं में मगन हो कर उस आत्मिक सुख से वंचित न हों जो वास्तव में मुसलमानों को प्राप्त होता है। इस प्रकार अल्लाह तआला ने एक मुसलिम को यह आदेश दिया है कि वह एक ऐसा नेक इनसान बने जो समस्त संसार वासियों को लाभ पहुंचाए और उन सबको मुक्ति दिलाने का प्रयास करे। परन्तु इसलाम के विपरीत मानव रचित नियम केवल यह मांग करते हैं कि इनसान सदाचारी बने और यह इन नियमों के असंपूर्ण तथा सदोष होने का एक प्रमाण है।

और अल्लाह तआला ने मुसलमानों को आदेश दिया है कि वे अल्लाह तआला के शत्रुओं (काफ़िरों) के विरुद्ध जितनी हो सके शक्ति अर्जित करें ताकि वे इसलाम तथा मुसलमानों की रक्षा कर सकें एवं अपने तथा अल्लाह के दुश्मनों को भयभीत कर सकें। इसी प्रकार से अल्लाह तआला ने आवश्यकता अनुसार इसलामी क़ानून की रोशनी में गैर मुस्लिमों के साथ समझौता करने की भी आज्ञा दी है एवं मुसलमानों पर वचन तोड़ने को हराम ठहराया है, हाँ यदि शत्रु ने वचन तोड़ने में पहल की तो फिर उनके लिए भी वचन भंग करना उचित है।

मुसलमानों पर आवश्यक है कि वह गैर मुस्लिमों से युद्ध करने से पहले उन्हें इस्लाम का निमंत्रण दें, यदि न मानें तो कर एवं अल्लाह के आदेश के आगे अधीनता स्वीकार करने का अभियाचन किया जायेगा [1], यदि इसे भी न मानें तो युद्ध किया

---

[1] इसलामी शासन की छत्र-छाया में मुसलमान ज़कात अदा करते हैं और ग़ैर मुसलिम जिज़या देते हैं। (जिज़याः कुछ पैसे जो बालिग़ मर्दों से लिए जाते हैं, औरतों, बच्चों, पागलों, बूढ़ों और ग़रीबों से नहीं, जिज़या बहुत मामूली सी रक़म होता है जो हर अमीर आदमी साल में एक बार आदा करता है, नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के जीवन काल में साल में एक दीनार से अधिक नहीं था। इस के बदले वे इसलामी राष्ट्र की रक्षा के साया तले शांति से जीवन बिताते हैं, सारे काम करते हैं, इसलामी शास्त्र के अनुसार कमाई के जितने वैध तरीके हैं उन सबका लाभ उठाते हैं और मुसलमानों की ओर से उनकी जान, माल और इज़्ज़त की भी हिफ़ाज़त की जाती है इसके अलावा उन्हें अपने धर्म तथा उपासनालयों के संबंध में भी सुरक्षा प्राप्त होती है। और जब मुसलमान उनके हक़ अदा नहीं कर पाते और शत्रुओं के विरुद्ध उन का बचाव नहीं कर पाते तो जिज़या की रक़म शर्त -सुरक्षा- न पाए जाने के कारण लौटा देते हैं और यदि वे देश की रक्षा में भाग लें तो उनसे ज़िज़या नहहीं वसूल किया जाता एवं हुकूमत उनके ग़रीबों कि मदद और मरीज़ों का इलाज करते हैं।

जाएगा ताकि कोई उपद्रव बाकी न रहे [1] तथा सारा धर्म अल्लाह ही के लिए हो जाए।

युद्ध की परिस्थिति में अल्लाह तआला ने बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और वैरागियों की हत्या करने से मना किया है परन्तु यह कि इन में से कोई कथनी अथवा करनी के द्वारा युद्ध करने वालों की सहायता करे एवं कैदियों के साथ शिष्ट व्यवहार का आदेश दिया है, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम में युद्ध प्रभुत्व और गलत फायदा के लिए नहीं बल्कि सत्य को फैलाने, बन्दों पर दया करने और लोगों को किसी मनुष्य की उपासना करने से हटा कर केवल अल्लाह की उपासना की ओर ले जाने के लिए है।

8- आज़ादी के बारे मेंः

(क) अक़ीदा (आस्था) की आज़ादीः

---

[1] उपद्रव से तात्पर्य यह है कि लोगों तक इसलाम का पैग़ाम पहुंचने न दिया जाए और यदि वे स्वेच्छा इसलाम में प्रवेश करना चाहें तो उन्हें इसकी आज़ादी न मिले।

अल्लाह तआला ने इस्लाम में गैर मुस्लिमों को अकीदा की आज़ादी दे रखी है, जो इसलामी शासन के अधीन हो उसे इस्लाम समझाया जायेगा और उसे स्वीकार करने के लिए निमंत्रण भी दिया जायेगा, यदि इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसमें उसकी भलाई एवं मुक्ति है, और यदि अपने धर्म पर अटल रहना चाहे तो उसने अपने लिए कुफ्र, दुर्भाग्य तथा यातना को अपनाया, इस तरह उसपर हुज्जत क़ायम (विषय तथा उस का प्रमाण स्पष्ट होजाना) हो जाएगी, अल्लाह के सामने उसके लिए कोई बहाना नहीं बचेगा, तब मुसलमान उसके विश्वास (अक़ीदा) पर उसको छोड़ देंगे शर्त यह है कि वह अपमानित होकर कर दे, इस्लामी आदेशों की अधीनता स्वीकार करे एवं मुसलमानों के सामने खुले आम कुफ्र वाले काम न करे।

इस्लाम में प्रवेश करने के बाद मुसलमान को दोबारा मुर्तद्द (अधर्मी) बनने की आज्ञा नहीं है, यदि धर्म भ्रष्ट कर ले तो उसका दंड हत्या है, इसलिए कि वह सत्य को जानने के बाद उसे छोड़ने के

कारण जीवित रहने के योग्य नहीं रहा सिवाय इसके कि तौबा कर ले तथा इस्लाम की ओर दोबारा लौट आए [1],

---

[1] मुर्तद्द होने से तात्पर्य है इसलाम को छोड़ कुफ़्र को गले लगाना और जो व्यक्ति अपनी संतुष्टि से इसलाम को अपनाता है वह ऐसा नहीं करता, उसे दुसरा कोई भी धर्म अथवा सभ्यता इसलाम से फेर नहीं सकती क्योंकि वह इसलाम की संपूर्णता और एजाज़ (इसलाम के विधानों का इस प्रकार निराला होना कि कोई उन जैसे विधान पेश नहीं कर सकता) तक नहीं पहुंच सकती। इसलामी समाज में फ़ितना (ऐसी चीज़े जो इनसान को पापों की ओर ले जाऐं) फैलाना एवं उसे कुफ़्र, वासना अथवा भौतिक तथा सामाजिक स्वार्थों की ओर ढकेलना मुर्तद्द होने के कुछ कारण हैं। इस प्रकार इसलाम से निकलना अल्लाह तआला के सबसे बड़े तथा महत्वपूर्ण वचन को तोड़ देनेहै। और यह लगभग वैसा ही जुर्म है जिसे वर्तमान में अकसर देशों में 'वतन के साथ महा विश्वासघात' का नाम देते हैं और उस की सज़ा मौत होती है। मुर्तद्द बिगाड़ की ऐसी स्थिति को पहुंच जाता है कि उसका वध करके उसे मुसलिम समाज से निकाल बाहर करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसलाम में किसी को मुर्तद्द ठहराना और उसे उसकी सज़ा देना हाकिम (मुसलिम जज) के हाथ में होता है और यह फैसले कई सूक्ष्म न्यायालयिक कार्रवाइयों से गुज़रते हैं ताकि मुसलिम समाज के धर्म की रक्षा भी हो और आरोपी पर अन्याय भी न हो।

और यदि उसका धर्म भ्रष्ट इस्लाम को तोड़ने वाली किसी चीज़ के करने के कारण हो तो वह उसे छोड़ कर तथा नापसंद कर उससे तौबा करेगा और अल्लाह तआला से माफ़ी मांगेगा।

इस्लाम को तोड़ने वाली (यानी इस्लाम की सीमा से बाहर करने वाली) कुछ प्रसिद्ध चीजें निम्नांकित हैंः

१: अल्लाह के साथ शिर्क करना | अर्थात बन्दा अल्लाह के साथ किसी और को भी पूजित बनाये, वह अपने और अल्लाह के बीच माध्यम बनाकर उसे पुकारे, उससे दुआ करे, तथा उससे निकटता प्राप्त करने का प्रयास करे तब भी वह शिर्क है, वह पूजित तथा उपासना का अर्थ समझकर उस (माध्यम) की पूज्यता को स्वीकार करे जैसाकि मक्का के मुश्रिक करते थे कि नेक लोगों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते थे ताकि वह उन के लिए अभिस्ताव करें, या उनकी पूज्यता को स्वीकार न करे जैसाकि उन मुश्रिकों का दावा है जो इस्लाम से अपने आप को संबंधित करते हैं और जो लोग उन्हें तौहीद की ओर बुलाते हैं उन की बात क़बूल नहीं करते, वे यह समझते हैं कि शिर्क केवल मूर्ति को सजदा करने

का नाम है, या बन्दा अल्लाह के अतिरिक्त किसी और चीज के बारे में कहे कि 'ये मेरा पूजित है' केवल यही शिर्क है।

इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कई लोग शराब पीते हैं किन्तु उसका नाम दूसरा रखते हैं | अल्लाह तआला ने फरमायाः "अतः अल्लाह की इबादत करो, उसके लिए धर्म को शुद्ध करते हुए। {सुन लो! शुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए (योग्य) है, तथा जिन्होंने अल्लाह के सिवा संरक्षक बना रखा है, वे कहते हैं कि हम तो उनकी वंदना इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह से समीप कर देंगें। जिस विषय में वे विभेद कर रहे हैं, अल्लाह तआला उसका निर्णय करेगा। अल्लाह तआला उसे सुपथ नहीं दर्शाता जो बड़ा मिथ्यावादी, कृतघ्न हो।} [अज़-ज़ुमरः 2-3] एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला का फ़रमान है: "यही अल्लाह तुम सब का रब (प्रभु,पालनहार) है,उसी का राज्य और शासन है,और जिन्हें तुम उसक के अतिरिक्त पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके पर भी अधिकार नहीं रखते"| (यदि तुम उन्हें पुकारो, तो वे तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि सुन भी लें, तो तुम्हें उत्तर नहीं दे

सकते, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क को वे नकार देंगे और आपको सर्वसूचित की तरह कोई सूचना नहीं देगा।) सूरतु फ़ातिरः 13-14

1 . मुश्रिकीन और दूसरे कुफ्फार को काफिर न ठहराना: जैसे यहूद, नसारा, मुलहिदीन (धर्म भ्रष्ट), मजूस (पारसी), और ऐसे अवज्ञाकारी लोग जो कुरआन एवं हदीस से हट कर न्याय करते हैं, अल्लाह के आदेश तथा निर्णय से प्रसन्न नहीं होते, जिसने ऐसे लोगों को काफ़िर नहीं समझा यद्यपि उसको ज्ञान हो कि अल्लाह ने उनको काफिर ठहरा दिया है तो वह काफ़िर होगा।

2 . जो ऐसी जादूगरी करे जिसमें बड़ा शिर्क विद्दमान हो या इस बात का ज्ञान होने के बावजूद कि ऐसा करने वाला काफ़िर है, उससे प्रसन्न रहे तो वह काफ़िर होगा|

3 . इस्लाम के अलावा किसी अन्य व्यवस्था या शास्त्र को बेहतर समझना या नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के आदेश की तुलना में किसी और के आदेश को अच्छा समझना, या अल्लाह के आदेश से हटकर न्याय करने को उचित समझना।

4 . अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- या किसी ऐसी चीज से, जिसके बारे में मालूम हो कि यह आप की शरीयत (इसलाम) का हिस्सा है, अप्रसन्न होना।

5. इस्लाम धर्म से संबंधित किसी चीज़ का मजाक उड़ाना[1]।

७ . इस्लाम की विजय से अप्रसन्न होना या इस्लाम के पतन से प्रसन्न होना।

८ . कुफ्फार से प्रेम एवं सहायता के द्वारा मित्रता रखना जबकि उसे मालूम हो कि उनसे मित्रता रखने वाला उन्हीं में से माना जायेगा।

९ . यह विश्वास रखना कि रसूल صلى الله عليه وسلم के धर्म विधान से निकलने की गुंजाइश है, हालाँकि उसे मालूम हो कि किसी भी मामले में धर्म विधान से निकलना ठीक नहीं है।

---

[1] अल्लाह तआला, उसके किसी रसूल, जैसे मुहम्मद, मूसा या ईसा -अलैहिमुस्सलाम- अथवा इस्लाम धर्म से संबंधित किसी चीज़ का मजाक उड़ाना।

१० . इस्लाम धर्म से विमुखता, सदुपदेश के बाद भी कोई इस्लाम धर्म से मुंह मोड़ता है, न उसको सीखता है और न उसको व्यवहार में लाता है तो ऐसा व्यक्ति कुफ़्र करने वालों में से होगा।

११ . इस्लाम धर्म के किसी निर्विवाद आदेश का इंकार करना, जबकि वह आदेश उससे गुप्त नहीं रह सकता। एवं क़ुरआन व हदीस में इन इसलाम से बाहर करने वाली चीज़ों के बहुत से प्रमाण हैं।

(ख) विचार - विमर्श की आज़ादी:

अल्लाह तआला ने विचार - विमर्श की आज़ादी दे रखी है इस शर्त के साथ कि वह इस्लामी शिक्षा से न टकराती हो, मुसलमान को उसने आदेश दिया है कि वह हरेक के सामने सत्य बोले, वह अल्लाह के मामला में किसी की परवाह न करे और इसे (सत्य बोलने को) भी सर्वश्रेष्ठ जिहाद करार दिया है, उन्हें आदेश दिया कि मुसलमान शासकों को भी सदुपदेश दिया करें, उन्हें इस्लाम के विरोध से बचने का उपदेश दें, जो किसी झूठी - बात का निमंत्रण दे उसका विरोध करे तथा उसे रोके और विचार - विमर्श के

सम्मान का यह सबसे अच्छा नियम है। लेकिन यदि कोई विचार अल्लाह की शरीयत (इसलाम) का विरोध करने वाला हो तो उसे व्यक्त करने की अनुमति नहीं, क्योंकि यह सत्य का विरोध तथा उसे मिटाने का प्रयास है।

(ग) व्यक्तिगत आज़ादी:

अल्लाह तआला ने व्यक्तिगत आजादी को इस्लामी शास्त्र से सीमित किया है, अतः पुरुष हो या महिला दोनों को अपने कार्यों में अधिकार की आजादी दी गई है जैसे क्रय - विक्रय, दान, उपहार, क्षमा करना आदि | महिला एवं पुरूष हरेक को अपना जीवनसाथी चुनने की आज्ञा है, जिसे वह पसन्द न करते हों उससे विवाह पर विवश नहीं किया जायेगा, लेकिन यदि महिला ने अपने धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के मानने वाले पुरूष को अपनाया तो उसे इस की अनुमति नहीं दी जायेगी और वास्तव में इसका उद्देश्य भी उसी के अक़ीदा (विश्वास) एवं प्रतिष्ठा की रक्षा करना है अतः यह रोक उसकी और उसके परिवार वालों की अच्छाई ही के लिए है।

महिला का अभिभावक (यानी ऐसा पुरूष जो रिश्ते में उससे सबसे अधिक निकटवर्ती हो या उसका प्रतिनिधि) ही उसके निकाह़ का फ़र्ज़ निभाएगा, महिला स्वयं अपना विवाह नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रकार का काम व्यभिचारिणी (ज़ानिया) महिलायें करती हैं, अभिभावक महिला के (होने वाले) पति से कहेगा: मैंने अमुक महिला को तुम्हारे निकाह में दिया, पति उत्तर देगाः मैंने इस विवाह को स्वीकार किया और निकाह़ के समय दो गवाह भी होंगे।

इस्लाम मुसलमानों को धर्म की सीमा को लांघने की आज्ञा नहीं देता इसलिए कि इंसान एवं जो चीजें उसके पास हैं सब वास्तव में अल्लाह की सम्पत्ति हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनसा न के सारे काम धर्म विधान के अनुसार हों, जो अल्लाह तआला ने अपने बंदों पर दया करते हुए तै किया है, जिसने उसे (अल्लाह के विधान को) थाम लिया उसे सौभाग्य तथा हिदायत मिली और जिसने विरोध किया वह बरबाद हो गया और अपनी क़िस्मत खराब कर ली, इसीलिए अल्लाह ने व्याभिचार (ज़िना) एवं बाल मैथुन (लिवातत) को प्रबलता के साथ हराम किया है और मुसलमान पर

आत्महत्या एवं अल्लाह तआला की प्रदत्त आकृति (जैसे दाढ़ी) के साथ छेड़-छाड़ को हराम ठहराया है।

रही बात मुँछ काटने, नाखून तराशने, नाभि के नीचे के बाल साफ करने, बगल के बाल उखाड़ने और खतना करवाने की तो अल्लाह तआला ने इस का आदेश दिया है।

अल्लाह के शत्रुओं का सादृश्य अपनाना भी अल्लाह ने मुसलमानों पर हराम किया है, ऐसी चीजों में समानता न करें जो उनकी विशेषतायें हों, इसलिए कि ज़ाहिरी चीजों में उनकी समानता हृदय में उनके लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करती है,

अल्लाह तआला मुसलमानों से यह चाहता है कि वे सही इस्लामी विचार धारा का स्रोत बनें, लोगों के सोच - विचार को एकत्र करने वाले न बनें। अल्लाह तआला मुसलमान से चाहता है कि वह एक अच्छा आदर्श व्यक्ति हो न कि किसी दूसरे का अंधभक्त हो।

इस्लाम दस्तकारी तथा अन्य वैध कलाओं को सीखने और अपनाने का आदेश देता है, चाहे उसका आविष्कारक कोई गैर

मुस्लिम ही क्यों न हो क्योंकि वास्तव में ज्ञान प्रदान करने वाला अल्लाह तआला ही है, अल्लाह तआला ने फ़रमायाः हम ने इंसान को सिखाया जबकि वह कुछ नहीं जानता था सूरतुल अ़लक़ः 5

यह सदुपदेश एवं सुधार की उच्च श्रेणी है कि इंसान विचार - विमर्श की आजादी का लाभ उठा सके और उसका सम्मान भी अपने अनिष्ट एवं दूसरों के अनिष्ट से सुरक्षित हो।

(घ) निवास की आजादी:

अल्लाह ने मुसलमान को निवास की भी पूरी आजादी दी है, किसी के लिए यह जायेज नहीं है कि बिना आज्ञा के उसके घर में प्रवेश करे यहाँ तक कि उसकी आज्ञा के बिना अंदर झांकना भी जायेज़ नहीं है।

(ङ) जीविका की आज़ादी:

अल्लाह ने इस्लामी धर्म - विधान की सीमाओं में रहकर जीविका अर्जित करने और व्यय करने की आज़ादी दी है, उसे काम करने एवं कमाने का आदेश दिया है ताकि अपने और अपने परिवार वालों का पालन - पोषण कर सके, नेक कामों में व्यय कर

सके, लेकिन साथ ही गलत तरीका से कमाई को अल्लाह ने हराम ठहरा दिया है जैसे सूद, जुआ, रिश्वत, चोरी, भविष्यवाणी, जादू, व्यभिचार (ज़िना) और बाल मैथुन (लिवातत) आदि से प्राप्त किया गया माल एवं हराम चीजों के मूल्यों को भी हराम ठहरा दिया है जैसे जीवधारियों के चित्रों का मूल्य [1], शराब, सूअर, गाने - बजाने के सामान, नाचने और गाने की मज़दूरी आदि सब हराम हैं और जिस प्रकार इन साधनों से कमाना हराम है उसी प्रकार इनमें खर्च करना भी हराम है | मुसलमान के लिए जायेज़ नहीं है कि वह जो धर्म विधान के अनुकूल न हो उस में व्यय करे, यह धर्मोपदेश एवं सदुपदेश का उच्च स्थान है कि इंसान का कमाई एवं व्यय के संबंध में पथ प्रदर्शन किया गया है ताकि हलाल कमाई से संपन्नता के साथ आनंदमय जीवन बिताए।

(च) पारिवारिक व्यवस्था:

---

[1] ऐसे चित्र जो हाथ से बनाए गए हों, लकड़ी आदि पर खोद कर बनाए गए हों अथवा मिट्टी आदि की मूर्तियाँ हों। यह सारे प्रकार क़ुरआन व हदीस के उन प्रमाणों के अंतर्गत आते हैं जिन में चित्रकार को सख्त चेतावनी दी गई है।

इसलाम में अल्लाह तआला ने परिवार को सबसे संपूर्ण नियम से नियमित किया है, जो यह नियम स्वीकार करते हैं वे भाग्यशाली हो जाते हैं। अतएव माता - पिता के साथ अच्छे बरताव का आदेश दिया है, उनसे अच्छी बात करे, यदि दूर हो तो बराबर उनसे मिलने को आया करे, उनकी सेवा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और यदि वे गरीब हों तो उन पर व्यय करे एवं उनके रहने - सहने की व्यवस्था करे और जो उनकी देख - रेख न करे उसे यातना की धमकी दी गई है और जो उनसे अच्छा बरताव करे उसके सौभाग्य होने की ज़मानत दी गई है। एवं विवाह को मशरू (इसलीमी शास्त्र के अंतर्गत) किया गया है क्योंकि इस के बहुत से लाभ हैं जिनका विस्तृत विवरण कुरआन एवं हदीस में मौजूद है।

☆ ☆ ☆

विवाह को मशरू'अ (इसलीमी शास्त्र के अंतर्गत) करने की हिकमत (कारण, राज़)

१ . विवाह सदाचारिता एवं गुप्तांग तथा दृष्टि के व्यभिचार तथा अवैध वस्तु (जिसे देखना उचित न हो) से सुरक्षित होने का एक मुख्य कारण है।

२ . विवाह से पति - पत्नी को संतोष एवं सुख प्राप्त होता है, इसलिए कि अल्लाह ने उनके बीच प्रेम एवं दया रख दी है।

३ . विवाह के द्वारा धार्मिक एवं पवित्र तरीका से मुसलमानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है।

४ . विवाह के द्वारा पति - पत्नी एक - दूसरे की सेवा करते हैं जब दोनों अपने - अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं,

अतः पुरूष घर से बाहर काम करता है, रूपया पैसा अर्जित करता है ताकि पत्नी एवं बच्चों पर व्यय कर सके एवं महिला घर में काम करती है, वह गर्भवती होती है, बच्चा को दूध पिलाती है, बच्चों को प्रशिक्षण देती है, पति के लिए खाने - पीने एवं सोने की व्यवस्था करती है, वह जब थका हारा घर में प्रवेश करता है तो पत्नी एवं बच्चों में घुल मिल कर अपनी थकान एवं परेशानी भूल

जाता है, सब मिल जुल कर आनंदमय जीवन बिताते हैं, यदि आपसी सहमती से महिला कुछ काम करके अपने लिए कुछ अर्जित करना चाहे या उससे पति की सहायता करना चाहे तो यह जायेज़ है, किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा काम करे जिसमें किसी दूसरे पुरुष के साथ मेल - जोल न हो, जैसे अपने घर में या अपने खेत में, या पति के खेत में। लेकिन ऐसा काम जिसमें महिला का पुरूषों के साथ सम्पर्क हो जैसे फैक्ट्री, कार्यालय या व्यापार के स्थान में, तो ऐसा काम जायेज़ नहीं है, न महिला उसको करे और न पति और परिवार वालों को अनुमति है कि वह उसे आज्ञा दें, इसमें उसकी और समाज की ख़राबी है, महिला जब तक घर में सुरक्षित है पुरूषों से दूर है तो अत्याचारी हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ते, तथा अपभोगी दृष्टियाँ उसकी ओर नहीं उठतीं, लेकिन जब वह लोगों में निकल पड़े तो नष्ट हो सकती है, भेड़ियों के बीच एक बकरी की तरह हो सकती है और शायद कुछ समय के बाद ही यह दुश्चरित्र उसकी सुशीलता के दामन को दाग - दाग कर डालें|

यदि पुरूष की एक महिला से जरूरत पूरी न हो तो अल्लाह ने उसके लिए चार पत्नियों तक की आज्ञा दी है, शर्त यह है कि वह खाने - पीने और रहने - सहने में चारों के साथ न्याय करे, हृदय से प्रेम करने में न्याय शर्त नहीं क्योंकि वह इंसान के बस से बाहर की चीज है, इसी न्याय के संबंध में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे अंदर इस की क्षमता नहीं है: तुम से यह हो ही नहीं सकता कि तुम पत्नियों के बीच (पूरा - पूरा) न्याय करो चाहे उसकी इच्छा भी रखते हो | सूरतुन निसा: 129 इस हार्दिक प्रेम में न्याय न कर सकना एक से अधिक विवाह के लिए बाधक नहीं है इसलिए कि यह शक्ति से बाहर की चीज है, अल्लाह ने अपने रसूलों के लिए और जो संसारिक चीजों में न्याय कर सकता है उसके लिए एक से अधिक विवाह की आज्ञा दी है, क्योंकि अल्लाह तआला को इंसानों के हितों का अधिक ज्ञान है और इस (अज्ञा) में पुरूषों तथा महिलाओं, दोनों की भलाई है, इसलिए कि स्वस्थ पुरुष में काम वेग की शक्ति इतनी होती है कि वह चार पत्नियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और इस प्रकार वह चार महिलाओं की सदाचारिता का कराण बन सकता है अतः जब उसे केवल एक ही

की अनुमति हो, -जैसा कि ईसाइयों [1] आदि के यहाँ है, और कुछ इसलाम के दावेदार इस का नारा लगाते हैं- तो निम्नांकित हानियों का भय हैः

1- यदि मोमिन हो, अल्लाह का आज्ञाकारी हो तो जीवन में कुछ कमी महसूस करेगा और अपनी हलाल इच्छा को भी दबाना पड़ेगा, इसलिए कि एक पत्नी हो तो गर्भ के अंतिम महीनों में, निफास (प्रसव रक्त), हैज़ (मासिक धर्म) और बीमारी की हालत में पति की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, यह उस अवस्था में जबकि दोनों एक - दूसरे से प्रेम रखते हों, और यदि आपस में प्रेम न हो तो समस्या इस से भी अधिक हानिकारक हो जाती है।

2- यदि पुरूष अल्लाह का अवज्ञाकारी एवं अपभोगी हो तो वह हरामकारी एवं जिनाकारी में लिप्त हो जाता है तथा अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लेता है, अधिकतर लोग जो पत्नी की बहुलता को नाजायेज़ समझते हैं हरामकारी में लिप्त हो जाते हैं, और इस भी

[1] अल्लाह के नबी ईसा -अलैहिस सलाम- ने एक से अधिक विवाह को हराम नहीं किया था यह तो ईसाइयों की अपनी आकांक्षाओं की उपज है।

बड़ा विषय यह है कि यदि ज्ञान होने के बावजूद वह पत्नियों की बहुलता का विरोध करे तो काफिर माना जायेगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे जायेज क़रार दिया है।

3 . यदि एक से अधिक विवाह से रोक दिया जाये तो बहुत सी महिलायें विवाह एवं संतान से वंचित रह जायेंगी, अतः नेक एवं पवित्र महिला निराशा एवं परेशानी में बिना विवाह के जीवन व्यतीत करेगी और यदि वह नेक न हो तो व्यभिचारिणी (ज़ानिया) बन कर जीवन व्यतीत करेगी तथा अपराधी उसकी इज्जत से खेलते रहेंगे,

और यह मालूम है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है कभी जंगों में तो कभी दूसरे खतरनाक कामों में और यह भी मालूम है कि महिला बालिग़ होने के बाद से ही विवाह के लिए तैयार होती है जब की पुरुषों की यह हालत नहीं होती क्योंकि बहुतों के पास महर तथा दांपत्य जीवन के दूसरे खर्च उठाने की क्षमता नहीं होती और इस के अलावा भी कई रुकावटें होती हैं। इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसलाम ने महिला के साथ न्याय किया है एवं उस पर दया की है। जो लोग इस वैध बहुलता का विरोध करते हैं वे महिला के शत्रु हैं

एवं सदाचारिता तथा नबियों के भी दुश्मन हैं क्योंकि बहुलता अल्लाह तआला के नबियों -अलैहिमुस्सलाम- का तरीक़ा है, वे अल्लाह की शरीयत की सीमा में रहते हुए एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे।

पति जब दूसरी शादी करता है तो पत्नी को जो ग़म और ग़ैरत (क्रोध की भावना जो पति के किसी दूसरी औरत के पास जाने के कारण उतपन्न होती है) का एहसास होता है तो यह एक भावनात्मक विषय है और कभी भी भावना शरीयत से आगे नहीं हो सकती। परन्तु महिला को यह अनुमति है कि निकाह़ से पहले यह शर्त रखे कि उस के रहते हुऐ पति दूसरा विवाह न करे। यदि पति यह शर्त मान ले तो उसपर लागू हो जाएगी, फिर यदि दूसरा विवाह करे तो पत्नि को यह अधिकार है कि यह संबंध तोड़ दे और पति ने उसे जो कुछ दिया हो उस में से कुछ भी वापस ले नहीं सकता।

और अल्लाह तआलाने तलाक़ को मशरू'अ (इसलीमी शास्त्र के अंतर्गत) किया है, विशेष रूप से जब आपस में अन-बन हो जाए एवं प्रेम बाक़ी न रहे ताकि दोनों का जीवन नष्ट होने से बच जाए और हरेक को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल जाए और

वह जीवन के शेष दिन आनंद में बिताए एवं उस की आखिरत (परलोक) का जीवन भी सुखमय हो [1] यदि उसकी मौत इसलाम की हालत में हुई हो।

10- स्वस्थ के संबंध मेंः

इस्लाम धर्म में उपचार के सारे मुख्य नियम मौजूद हैं अतः कुरआन और हदीस में बहुत सारी शारीरिक एवं मनो विज्ञानिक रोगों की चर्चा है और उनकै आध्यात्मिक एवं भौतिक उपचार का वर्णन भी है, अल्लाह तआला ने फरमायाः तथा कुरआन में हम ऐसी चीजें उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए रोग निवारक तथा कृपा का साधन हैं । सूरतुल इसराः 82 तथा अल्लाह के रसूल मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है: "अल्लाह

[1] जब अल्लाह तआला मुसलिम सदाचारी महिलाओं (जिन की शादी नहीं हुई या तलाक़ हो गई) को जन्नत में प्रवेश देगा तो उन्हें यह इख्तियार देगा कि जन्नत वासियों में से जिन से चाहें शादी कर लें। एवं किसी मुसलिम महिला ने यदि दुनिया में एक से अधिक विवाह किया हो तो जन्नत में अपने उस पति का चयन करेगी जो दुनिया में सबसे प्रिय था यदि वह भी जन्नत वासी हुआ हो।

ने जितने भी रोग उतारे हैं, उनकी दवा भी उतारी है। यह और बात है कि किसी को मालूम हो गई और किसी को मालूम न हो सकी"[1]।

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "तुम इलाज करो लेकिन किसी हराम दवा का इस्तेमाल न करो" [2]। इमाम इब्ने क़य्यम ने अपनी किताब " ज़ादुल मआद फ़ी हदये खैरिल इबाद " में इस की चर्चा विस्तार के साथ की है उसकी ओर प्रवृत्ति की जाये। यह किताब सबसे अधिक लाभदायक और सही एवं ठोस किताबों में से एक है जिसमें इसलाम की विस्तृत व्याख्या और अंतिम नबी मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की जीवनी का वर्णन है।

---

[1] मुसनद अह़मद (1/377, 413, 453), इब्ने माजह (2/340), इब्ने ह़िब्बान (1394), मुसतदरक ह़ाकिम (4/196) और इमाम अलबानी ने इसे "अस-सहीहा" (451) में सहीह क़रार दिया है।

[2] अबू दाऊद (3874), इमाम अलबानी ने "सहीहुल जामे" (1762) में इसे सहीह कहा है।

11- अर्थव्यवस्था, व्यापार, कला, कृषि और इनके अतिरिक्त जिन चीजों की मानवीय जीवन में आवश्यकता होती है जैसे खाना, पानी, आम ज़रूरतें, शहरों एवं गांवों का नियंत्रण, उनकी सफाई, उनके मार्गों का नियंत्रण और झूठ तथा जालसाजी की रोक - थाम आदि, इसलाम में इन सारे विषयों का पूर्णरूपेण विस्तृत वर्णन मौजूद है|

12- छुपे हुए शत्रुओं का बयान और उनसे मुक्ति पाने का तरीका: अल्लाह ने कुरआन में बयान कर दिया है कि मुसलमानों का शत्रु भी हैं जो लोक एवं परलोक में बरबादी की ओर उसे ढकेलते हैं, यदि वह उनकी बात माने और उनका अनुसरण करे, उनसे बचने का तरीका भी बयान किया जिसका विवरण निम्नलिखित में दिया जा रहा हैः

पहलाः धिक्कृत शैतान: शैतान जो दूसरे शत्रुओं को भी मुसलमान के विरूद्ध भड़काता है, वह हमारे पिता आदम और माता हव्वा का शत्रु है, जिस ने उन्हें जन्नत से निकाला, वह आदम की संतान का महा प्रलय तक स्थायी शत्रु है, सदैव जान तोड़ प्रयास

में लगा रहता है कि उन्हें कुफ्र में फंसा दे ताकि उसके साथ सदैव के लिए जहन्नम में रहें | अल्लाह की पनाह | जिसे कुफ्र में ग्रस्त नहीं कर सकता उसे बुराइयों में फंसाने का प्रयास करता रहता है ताकि वह अल्लाह की यातना एवं प्रकोप का पात्र बन जाये।

और शैतान एक आत्मा है जो इनसान की नसों में दौड़ता है, उस के सीने में वसवसा डालता है और बुराई को उसके सामने सजा कर पेश करता है ताकि वह उस में लिप्त हो जाए। और उससे बचने का रास्ता जैसा कि अल्लाह तआला ने बयान किया है, यह है कि जब इनसान को ग़ुस्सा आए या दिल में किसी गुनाह का खयाल आए तो कहेः "आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम" (मैं धिक्कृत शैतान से अल्लाह की शरण मांगता हूँ), अपने गुस्से को रोके और गुनाह की ओर न बढ़े और यह समझ ले कि उस के दिल में बुराई का जो खयाल आया है वह शैतान की ओर से है। शैतान उसे बरबादी की खाई में गिरा कर उस से मुक्त हो जाएगा। अल्लाह तआला ने फरमायाः निःसंदेह शैतान तुम्हारा शत्रु है, तुम उसे अपना शत्रु बनाये रखो, वह अपने गिरोह को केवल इसलिए बुलाता है कि वह नरक वालों में हो जाये | फातिरः 6

दूसरा शत्रुः आकांक्षाः इस का एक प्रकार यह है कि जब इनसान के पास कोई सत्य ले कर आए तो वह उसे ठुकरा दे और जब अल्लाह तआला का कोई आदेश स्पष्ट हो जाए तो उसे इस लिए स्वीकार न करे कि वह उस की चाहत के ख़िलाफ़ है। इस का एक प्रकार यह भी है कि जज़बा को सत्य तथा न्याय से आगे रखा जाए। इस शत्रु से मुक्ति का रास्ता यह है कि बंदा स्वच्छंदता से अल्लाह की शरण मांगे एवं अपनी आकांक्षाओं का अनुसरण न करे बल्कि सत्य बोले और उसे स्वीकार करे चाहे वह कितना ही कड़वा हो और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे।

तीसरा शत्रुः बुराई पर उकसाने वाली आत्माः यह आत्मा जब इनसान को बुराई पर उकसाती है उस के मन में अवैध वासनाओं की इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे ज़िना, शराब पीना, रमज़ान में बिना किसी शरई (जो इसलाम में स्वीकार्य हो) उज़्र (न करने का कारण, बहाना आदि) के रोज़ा न रखना आदि। इस शत्रु से बचने का उपाय यह है कि इनसान अपनी आत्मा की बुराई तथा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे एवं अल्लाह की खुशी की ख़ातिर इन अवैध कामों से दूर रहे और धैर्य रखे जिस प्रकार वह खाने पीने की ऐसी वस्तुओं से खुद को रोकता है जो उस के लिए

हानिकारक हों, एवं याद रखे कि यह अवैध वासना पल भर की है जिस के बाद लम्बे समय तक उसे अफ़सोस होगा एवं लज्जित होना पड़ेगा।

चौथा शैतान: इनसानी शैतानः यह वह पापी इंसान है जिस पर शैतान ने अपना दाव चला दिया है, स्वयं बुराई करते हैं और लोगों के सामने उसकी अच्छाई बयान करते हैं, इससे बचने का उपाय यह है कि उससे दूर रहें उसके साथ न बैठें एवं उससे बचे रहें।

13- ऊंचा लक्ष्य तथा आनंदमय जीवनः अल्लाह तआला ने अपने मुसलिम बंदों को जिस ऊंचे लक्ष्य का मार्ग दिखाया है वह दुनिया की यह ज़िंदगी नहीं है जिस में लुभाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वह सब नाशवान हैं बल्कि वास्तविक स्थायी भविष्य तथा एक ऐसे जीवन की तैयारी करना है जिस का आरंभ मृत्यु के पश्चात होगा। इसलिए एक सच्चा मुसलमान दुनिया में रहते समय उसे केवल आखिरत के जीवन का माध्यम तथा उस की खेती समझता है, मुख्य लक्ष्य नहीं.

उसे अल्लाह तआला का यह कथन याद होता हैः मैंने इंसानों और जिन्नों को केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया

है। [सूरा अज़-ज़ारियात: 56] तथा अल्लाह तआला का यह कथन भी उसके सामने होता है: हे लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह से डरो और देखना चाहिये प्रत्येक को कि उसने क्या भेजा है कल के लिए तथा डरते रहो अल्लाह से, निश्चय अल्लाह सूचित है उससे, जो तुम करते हो। और न हो जाओ उनके समान, जो भूल गये अल्लाह को, तो भुला दिया (अल्लाह ने) उन्हें अपने आपसे, यही अवज्ञाकारी हैं। नहीं बराबर हो सकते नरकी तथा स्वर्गी। स्वार्गी ही वास्तव में सफल होने वाले हैं। अल- हश्रः 18-20 एवं अल्लाह तआला का यह फ़रमान भी: "तो जिसने कण के बराबर भी पुण्य किया होगा, वह उसे देख लेगा। और जिसने एक कण के बराबर भी बुरा कर्म किया होगा, उसे देख लेगा।} [सूरा अज़-ज़लज़ला: 7- 8]

सच्चा मुसलमान इन जैसी महान आयतों को याद करता जिन में अल्लाह तआला ने बंदों का उन की रचना के उद्देश्य तथा उस भविष्य की ओर मार्ग दर्शन किया है जो उन की प्रतीक्षा कर रहा है। अतः वह उस वास्तविक स्थायी भविष्य की प्रस्तुति के तौर पर इखलास के साथ केवल अल्लाह तआला की इबादत करता है एवं ऐसे कर्म करता है जिन से अल्लाह तआला राज़ी हो जाए और

उसे इस जीवन में इबादत की तौफ़ीक़ दे कर और मौत के बाद जन्नत में प्रवेश प्रदान कर सम्मानित करे। अतएव अल्लाह तआला उसे इस दुनिया में सम्मानित करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी देता है, वह अल्लाह की निगरानी और उस की हिफ़ाज़त में रहता है, अल्लाह की रोशनी से देखता है, इबादतें करता है एवं अल्लाह से चुपके चुपके बातचीत करने का आनंद लेता है और अपने मन तथा अपनी ज़ुबान से अल्लाह तआला को याद करता है जिससे उसे संतोष प्राप्त होता है।

एवं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे लोग इस का इकरार करते हैं और उसे दुआएं देते हैं जिससे उसे खुशी होती है और उसका सीना प्रकाशित हो जाता है और हिंसक कमीने इसे नकार देते हैं मगर फिर भी वह उन के साथ अच्छा सलूक करता है क्योंकि उस का उद्देश्य अल्लाह की संतुष्टि तथा उस का पुण्य होता है और कुछ ऐसे नीच भी होते हैं जो इसलाम और मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते हैं और उन्हें कष्ट देते हैं तो उसे (मुसलमान को) अल्लाह के रसूलों की बात याद आती है और वह समझ जाता है कि यह तकलीफ़ उसे अल्लाह की राह में मिली है जिसके कारण इसलाम के लिए उसका प्रेम और बढ़ जाता है और वह इसलाम पे

अधिक अटल हो जाता है। एवं कार्यालय, खेत या किसी फ़ैक्टरी में काम करता है अथवा कोई व्यापार करता है ताकि अपनी उतपत्ति के द्वारा इसलाम तथा मुसलमानों का भला करे, क़यामत के दिन उसे अल्लाह तआला के यहाँ अपने इखलास और अच्छी नीयत के कारण पुण्य मिले, इस कमाई से अपनी तथा अपने परिवार की रोज़ी का इन्तज़ाम कर सके और सदक़ा (दान) में भी हिस्सा ले सके। इस प्रकार वह मन का धनी होता है, राज़ी हो कर शराफ़त की ज़िंदगी गुज़ारता है एवं अल्लाह तआला से पुण्य की आशा रखता है -क्योंकि अल्लाह तआला काम करने वाले ताक़तवर मोमिन से प्रेम करता है-, खाता, पीता है और आराम करता है, फिजूलखर्ची नहीं करता, ताकि उसे इबादत (उपासना) की क्षमता प्राप्त हो। और अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है ताकि दोनों पावनता का जीवन बिताएं, उन को औलाद हो जो अल्लाह की इबादत करे, अपने माता-पिता के लिए हमेशा दुआ करे और इस प्रकार उसका नेक काम जारी रहे और मुसलमानों की जन संख्या बढ़े जिस के कारण अल्लाह तआला के यहाँ उसे पुण्य प्राप्त हो। हर नेमत (अल्लाह का अनुग्रह, कृपा आदि) पर वह अल्लाह तआला का

शुक्र अदा करता है और वह इस तरह कि वह यह इकरार करता है कि हर नेमत अल्लाह तआला ही की ओर से आती है और अल्लाह की उपासना में उस (नेमत जैसे धन, स्वस्थ आदि) का उपयोग करता है और इस के कारण उसे अल्लाह तआला की तरफ़ से नेकी मिलती है। उस का यह विश्वास होता है कि कभी कभी अल्लाह तआला भुक, डर, बीमारी और आपदाओं से उस की परीक्षा लेता है ता कि अल्लाह तआला देखे -जब कि अल्लाह को इस का ज्ञान पहले से होता है[1]- कि वह तकदीर पर कितना धैर्य रखता है और उससे कितना राज़ी होता है अतः वह उस पुण्य की आशा में जो अल्लाह तआला ने सब्र करने वालों के लिए तैयार

---

[1] अल्लाह तआला अपने बंदों को आदेश देता है और मना करता है और उसे पहले से ही ज्ञात होता है कि कौन उस का आज्ञापालन करेगा और कौन अवज्ञा करेगा, ऐसा वह इस लिए करता है कि यह ज्ञान प्रकट हो जाए ताकि जब बदला दिया जाए तो पापी यह न कह सकेः "मेरे रब ने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे उस गुनाह की सज़ा दी जो मैं ने किया ही नहीं", अल्लाह तआला ने फरमायाः (और आप का रब बंदों पर अन्याय करने वाला नहीं है)। सूरा फुस्सिलतः 46

कर रखा है, सब्र करता है, राज़ी होता है और हर हाल में अल्लाह तआला की सराहना करता है इस प्रकार आपदा उस के लिए आसान हो जाती है और वह उसे स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार एक बीमार स्वस्थ की आशा में दवा की कड़वहट को स्वीकार कर लेता है।

यदि मुस्लिम इस उच्च मनोभाव के साथ जीवन निर्वाह करे और हमेशा रहने वाले भविष्य काल के लिए कर्म करता रहे ताकि इस प्रकार स्थायी सौभाग्य से आलिंगित हो कि न इस दुनिया की मज़ा खराब करने वाली चीज़ें उसे निः स्वाद करें और न मृत्यु ही उसे समाप्त कर सके, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली होता है, इस दुनिया में भी और परलोक के जीवन में भी, अल्लाह तआला ने फरमायाः यह परलोक का घर हम उन लोगों को देंगे जो दुनिया में बड़ाई और फसाद करना नहीं चाहते तथा उन्हीं का परिणाम भला होगा जो संयमी हैं | अल क़ससः 83 अल्लाह तआला ने सच फरमाया: {जिस पुरुष अथवा स्त्री ने भी पुण्यकार्य किया और वह मोमिन हो, तो हम उसे शुभ जीवन प्रदान करेंगे और जो कुछ वह करते थे, हम उन्हें उसका उत्तम प्रतिफल देंगे।} सूरा अन-नह्ल: 97]

उपरोक्त आयत और इस प्रकार की दूसरी आयतों में अल्लाह तआला सूचित करता है कि अल्लाह तआला नेक पुरूष और महिला को जो अल्लाह की खातिर नेक काम करते हैं, इस दुनिया ही में अच्छा प्रतिकार प्रदान कर देते हैं, और वह (प्रतिफल) आनंदमय अच्छा जीवन है जिस की हम ने पहले चर्चा की है, इसके अतिरिक्त मृत्यु के बाद भी अच्छा प्रतिकार है और वह स्वर्ग का स्थायी सुख - चैन है, इस संबंध में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- फरमाते हैंः "मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। उसके हर काम में उसके लिए भलाई है। जबकि यह बात मोमिन के सिवा किसी और के साथ नहीं है। यदि उसे ख़ुशहाली प्राप्त होती है और वह शुक्र करता है, तो यह भी उसके लिए बेहतर है और अगर उसे तकलीफ़ पहुंचती है और सब्र करता है तो यह भी उसके लिए बेहतर है।

इससे स्पष्ट होता है कि केवल इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसमें सटीक विचार है, अच्छे बुरे की सही पहचान है और पूर्णतः न्यायिक व्यवस्था है, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान प्रशिक्षण, राजनीति, अर्थ व्यवस्था एवं दूसरी मानव रचित नियमों तथा

विधियों में जो मत तथा सिद्धांत पाए जाते हैं उन सबकी इस्लाम के प्रकाश में शुद्धि करनी चाहिए और उनका आधार इसलाम होना ही अनिवार्य है। वरना यह असंभव है कि इसलाम का विरोध कर किसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो, बल्कि इस का परिणाम लोक - परलोक का दुर्भाग्य ही है।

☆ ☆ ☆

पाँचवाँ अध्यायः कुछ शंकाओं का उत्तर

पहले नम्बर परः जो इस्लाम पर धब्बा लगाते हैं उनमें से अकसर लोगों की दो किस्में हैंः

पहली क़िस्मः ऐसे लोग जो अपने आप को इसलाम से संबंधित करते हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं किन्तु वह अपने कथनों एवं कर्मों के द्वारा इस्लाम का विरोध करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जैसे लगता है कि इस्लाम से कोई नाता ही नहीं है, वे इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं हैं, अत: उनके कार्यों को इसलाम से जोड़ना उचित नहीं है, ऐसे लोगों की सूची निम्नलिखित में दी जा रही हैः

१ . अकीदा के विषय में भटके हुए लोग: जैसे वे लोग जो कब्रों का तवाफ़ करते हैं क़ब्र वालों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें

मांगते हैं, उन में लाभ तथा हानि पहुंचाने की क्षमता होने का विश्वास रखते हैं[1] ... |

२ . असभ्य, धर्म से दूर रहने वाले लोग:

अल्लाह के आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, और हराम कामों में मगन रहते हैं जैसे शराब, हरामकारी आदि में लिप्त रहते हैं, अल्लाह के शत्रुओं से प्रेम रखते हैं और उन्हीं जैसा बनने का प्रयास करते हैं |

३ . कुछ लोग जो इस्लाम पर भद्दा धब्बा लगाते हैं वह मुसलमान होते हैं, परन्तु इन का ईमान कमजोर होता है तथा ये इस्लामी शिक्षा पर अमल करने में आलस्य करते हैं, कुछ अनिवार्य कामों में आलस्य करते हैं किन्तु उन्हें छोड़ते नहीं, कुछ हराम काम भी करते हैं जो शिर्क एवं कुफ्र की सीमा तक नहीं पहुंचते, इन के बहुत से बुरे स्वभाव भी होते हैं, जिन से इस्लाम मुक्त है, बल्कि

---

[1] और खवारिज जो इसलाम के नाम पर मासूमों का खून करते हैं और अकसर ऐसे लोग इसलाम के शत्रुओं की चाल का शिकार होते हैं।

इसलाम में उन की गणना बड़े गुनाहों में होती है, जैसे झूठ, धोखा, वादा ख़िलाफ़ी और हिंसा आदि | ऐसे सारे लोग इस्लाम की बदनामी का कारण बनते हैं क्योंकि इस्लाम से अपरिचित गैर मुस्लिम समझते हैं कि इस्लाम इन चीजों की आज्ञा देता है।

दूसरी क़िस्मः इसलाम के कुछ शत्रु जो हमेशा मौके की तलाश में होते हैं जिन में मुसतशरिक़ (पश्चिमी दोशों के वे लोग जो इसलाम, अरबी भाषा तथा मुसलमानों की सभ्यता आदि के ज्ञाता हों, प्राच्यविद), यहूदी तथा क्रिस्चन मिशनरी आदि शामिल हैं। इन के क्रोध का कारण यह है कि इसलाम संपूर्ण तथा सरल धर्म होने की वजह से तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि यह धर्म इनसान की फितरत से मेल खाता है [1] इस लिए जैसे ही उसे पेश किया जाता है

[1] मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने फरमायाः "हर बच्चे का जन्म फितरत पर होता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई अथवा मजूसी बनाते हैं"। [बुखारी (1292), मुसलिम (2658) शब्द मुसलिम के हैं], इस हदीस में अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने फरमाया कि हर बच्चे का जन्म इसलाम की फितरत पर होता है, यदि उसे चयन करने की

फितरत उसे क़बूल कर लेती है। हर गैर मुसलिम बे चैन है, अपने धर्म से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उस का धर्म उस की फितरत के खिलाफ़ है मगर एक सच्चा मुसलमान चैन की ज़िंदगी गुज़ारता है, अपने दीन (धर्म) से राज़ी होता है क्योंकि यही सत्य धर्म है जिस की रचना स्वयं अल्लाह तआला ने की है और वह फितरत के मुआफ़िक है। इस लिए हम हर ईसाई, यहूदी और गैर मुसलिम से कहते हैंः आप के बच्चों का जन्म इसलाम की फितरत पर हुआ है परन्तु आप तथा उन की माँएं उन्हें इसलाम से निकालते हैं औऱ कुफ्र (हर वह धर्म जो इसलाम के विरुद्ध हो) की गलत तालीम (शिक्षा) देते हैं।

इस्लाम के शत्रुओं ने जैसे मुसतशरिकों और ईसाई मिश्नरियों ने इस्लाम और अंतिम रसूल पर बहुत से आरोप लगाये हैं।

१ . कभी तो आप की रिसालत को झुठलाया |

छूट दी जाए तो वह निस्संदेह इसलाम ही चुनेगा मगर गलत परवरिश की वजह से वह यहूदी, ईसाई और मजूसी आदि बन जाता है।

२ . कभी तो आपपर दोष लगाया हालांकि आप संपूर्ण हैं एवं हर प्रकार के दोष तथा कमी से मुक्त हैं और यह अल्लाह तआला की गवाही है।

३ . कभी तो इस्लाम के न्यायिक आदेशों की सूरत बिगाड़ी ताकि लोग इससे घृणा करने लगें |

परन्तु अल्लाह तआला उनकी चालों को मात देता है, क्योंकि वे सत्य के विरुद्ध लड़ाई करते हैं और जीत हमेशा सत्य ही की होती है| अल्लाह तआला ने फरमायाः वे चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह के प्रकाश को अपने मुखों से तथा अल्लाह पूरा करने वाला है अपने प्रकाश को, यद्यपि बुरा लगे काफ़िरों को। "वही अल्लाह है जिसने अपने संदेशवाहक को मार्गदर्शन और सच्चा धर्म देकर भेजा, ताकि उसे समस्त धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, यद्यपि अनेकेश्वरवादी अप्रसन्न हों।" सूरतुस सफ़ः 8-9

दूसरे नम्बर परः इसलाम के स्रोतः

ऐ बुद्धिमान व्यक्ति, जब आप इसलाम के संबंध में सटीक जानकारी अर्जित करना चाहें तो क़ुरआन पढ़ें एवं नबी -

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की सहीह (जो झूठी अथवा संदेह युक्त न हों) हदीसों को सामने रखें जो आप को निम्नांकित पुस्तकों में मिलेंगीः सहीह बुख़ारी, सहीह मुसलिम, मुअत्ता इमाम मालिक, मुसनद अहमद, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजह तथा सुनन दारिमी (आदि), एवं सीरत इब्ने हिशाम, तफ़सीर इब्ने कसीर तथा इब्नुल क़ैइम की ज़ादुल मआद जैसी पुसतकों का अध्ययन करें जिन के लेखक इसलाम के इमाम (इसलाम का सब से अधिक ज्ञान रखने वाले) तथा तौहीद (एक अल्लाह की उपासना) के प्रचारक हैं जैसे शैखुल इसलाम इब्ने तैमीया तथा इमाम मुजद्दिद मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब जिन के तथा तौहीदवादियों (जो केवल अल्लाह की उपासना की ओर आवाहन करते हैं) के शासक मुहम्मद बिन सऊद के द्वारा बारहवीं शताब्दी हिजरी से अब तक अल्लाह तआला ने अरब द्वीप तथा कुछ दूसरे स्थानों में शिर्क फैल जाने के बाद इसलाम धर्म तथा अक़ीदा तौहीद को बल प्रदान किया।

सारी प्रशंसाएं अल्लाह तआला ही के लिए उचित हैं जो सारे संसार का रब है। रही बात प्राच्यविदों (orientalists) की

किताबों तथा ऐसे लोगों की किताबों की जो इस्लाम से अपना संबंध स्थापित करते हैं किन्तु बहुत सी चीजों में वे इस्लाम का विरोध करते नज़र आते हैं, सारे सहाबा ए किराम या कुछ सहाबा ए किराम की प्रतिष्ठाओं पर कटाक्ष करते हैं, या तौहीद के ध्वजावाहक इमामों को बुरा - भला कहते हैं, जैसे इमाम इब्ने तैमिया, इमाम इबनुल कैइम और मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब आदि, इन पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हैं, तो यह पथभ्रष्ट करने वाली पुस्तकें हैं, इन से धोखा न खाएं और इन के पठन-पाठन से बचें।अल्लाह के तमाम रसूलों परः

तीसरा; इसलामी मज़हबः

तमाम मुसलमानों का मज़हब एक है, इसलाम। एवं सब का आधार क़ुरआन तथा अल्लाह के रसूल -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की हदीस है। और यह जो कहा जाता है कि इसलाम में चार मज़हब हैं, ह़नफी, शाफई, मालिकी तथा हंबली तो वास्तव में यह इसलामी फ़िक्ह (इसलामी विधान का ज्ञान) के चार विद्यालय हैं, इन चार इमामों ने इसलाम के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी और

इन चारों मज़हबों का आधार कुरआन व हदीस ही है एवं इन के बीच जो कुछ मतभेद नज़र आते हैं तो वे कुछ ही अमुख्य विषयों में पाए जाते हैं और प्रत्येक इमाम ने अपने छात्रों को यही शिक्षा दी है कि वे उसी मत को स्वीकार करे जो कुरआन व हदीस पर आधारित हो चाहे कहने वाला कोई और ही क्यों न हो।

मुसलमान किसी एक मजहब को अपनाने का पाबन्द नहीं है, वह तो केवल कुरआन और हदीस का पाबन्द है। इन मज़ाहिब से संबन्ध रखने वाले बहुत से लोग बुरे अक़ीदा के शिकार हो जाते हैं जैसे कब्रों का तवाफ करना, क़ब्र वासियों से सहायता मांगना, अल्लाह की विशेषताओं का गलत अर्थ बताना आदि, ऐसे लोग अपने इमामों के अकीदे का विरोध करते हैं इसलिए कि इमामों का अक़ीदा सलफ सालेहीन का अकीदा था।

चौथा: इस्लाम से निष्कासित दल:

इस्लामी दुनिया में इस्लाम से निष्कासित फिर्के (दल) भी पाये जाते हैं, उनका दावा है कि वह मुसलमान हैं और अपने आप का इस्लाम से संबन्ध स्थापित करते हैं, परन्तु वास्तव में वह मुसलमान नहीं हैं इसलिए कि उनका विश्वास कुफ्रिया (कुफ्र से

संबंधित) विश्वासों में है, अल्लाह का, उसकी आयतों का, उसकी तौहीद का इंकार उनके विश्वास का आधार है, उनमें से कुछ दलों का उल्लेख निम्नांकित में किया जाता हैः

1- बातिनी दलः

यह दल अवतारवाद तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और इन का मानना है कि कुरआन व हदीस की बातों का एक आंतरीक अर्थ होता है, वह अर्थ नहीं जो नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- ने बयान किया और जिस पर मुसलमान एकमत हैं। और यह आंतरिक अर्थ वे खुद अपनी आकांक्षाओं के अनुसार गढ़ लेते हैं [1], इस दल का आविर्भाव ऐसे हुआ कि पर्शिया में जब इसलाम

[1] इस आंतरिक दल के कई और नाम हैं, इस दल के अंतर्गत कई और गिरोह हैं जो इंडिया, सीरिया, ईरान, इराक़ तथा कई अन्य दोशों में फैले हुए हैं, पूर्व के कई उलमा ने इनके संबंध में विस्तार से लिखा है जैसे शहरिस्तानी ने "अल मिलल वन्निहल" में और उन के बाद भी कई उलमा ने लिखा है, और उनके कुछ और गिरोहों के नाम बताए हैं जैसे क़ादियानी, बहाई आदि। एवं मुहम्मद सईद कैलानी ने "ज़ैलुल मिलल वन्निहल" में तथा शैख़ अब्दुल

तेज़ी से फैलने लगा तो कुछ यहूदी, मजूसी तथा नास्तिक दार्शनिक परेशान हो गए, वे एक जगह जमा हो कर एक मज़हब की रचना के संबंध में विचार-विमर्श करने लगे, जिस का उद्देश्य था मुसलमानों की एकता को तोड़ना एवं कुरआन ए अज़ीम के संबंध में उनके बीच मतभेद पैदा करना, अतः उन्हों ने इस नष्ट-भ्रष्ट करने वाले मज़हब की रचना की और इस की ओर आवाहन करने लेगे, अपना संबंध आल ए बैत (नबी के परिवार) से जोड़ा और यह दावा कर बैठे कि वे उन के शीआ (उन के प्रेमी तथा समर्थक) हैं ताकि आम जनता को अधिक भ्रमित कर सकें, इस प्रकार उन्हों ने मूर्ख व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को सत्य से विचलित कर दिया।

2- उन्हीं पथभ्रष्ट फ़िर्कों में से " कादयानी " भी है जिसका संबंध गुलाम अहमद कादयानी से है, उसने नबूवत का दावा किया और लोगों को उस पर ईमान लाने का निमंत्रण दिया, अंग्रेजों ने अपने शासन काल (जो उसने भारत पर काबिज होकर उसको

क़ादिर शैबा अल हमद ने "अल अदयान वल फ़िरक़ वल मज़ाहिबिल मुआसिरा" में भी इस फिर्कों के बारे में लिखा है।

गुलाम बना रखा था) में उसका प्रयोग किया और उसके मानने वालों को अधिक पुरस्कार से सम्मानित किया जिसके कारण बहुतों ने उसकी पैरवी करनी शुरू कर दी, इस प्रकार कादयानियत अस्तित्व में आई जो इस्लाम का दावा करती है हालांकि वास्तव में वह इस्लाम को समाप्त करने के प्रयास में जुटी हुई है। और यह प्रसिद्ध है कि उसने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम " तस्दीके बराहीन अहमादिया " है जिसमें नबूअत का दावा किया, इस्लाम के नुसूस का उलट - फेर किया उन्हीं उलट फेरों में से कुछ निम्नलिखित में दिया जा रहा है: उस ने दावा किया कि इस्लाम में जिहाद

निरस्त हो चुका है, हर मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह अंग्रेज से मित्रता करे, उसी समय एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम " तिरयाकुल कुलूब " है | बहुत सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट कर यह लेखक सन 1908 में मर गया और उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठा एक और पथभ्रष्ट जिसका नाम है हकीम नूरुद्दीन।

3- आंतरिक फिर्कों में " बहाई " फिर्का भी है जिसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, ईरान में उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में इसकी आधारशिला अली मुहम्मद ने रखी, कुछ ने इस का नाम मुहम्मद अली शीराजी बताया है, वो शिया के इस्ना अशरी फिर्का से संबंध रखता था, उसने -जैसा कि प्रसिद्ध है- शीआ से हट कर एक नये मजहब की नींव रखी और दावा किया कि वो " महदी मुंतज़र " है, फिर दावा किया कि अल्लाह तआला उसके अंदर प्रवेश कर गया है इसलिए वह स्वयं लोगों के लिए अल्लाह है, - अल्लाह तआला ऐसे मुलहिद (नास्तिक) व काफिर की बातों से पवित्र एवं ऊंचा है-, उसने लेखा जोखा, मृत्यु के पश्चात जीवन, स्वर्ग - नरक का इंकार किया, ब्राह्मण और बुद्ध मत के तरीके को अपना लिया, यहूद, ईसाई और मुसलमानों को एक समान ठहरा दिया और कहा कि इन में कोई अंतर नहीं है, फिर अंतिम नबी मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- की नबूवत का इंकार किया, बहुत से इस्लामी आदेशों का भी इंकार किया। इसके बाद एक व्यक्ति उसका सहायक उसका मंत्री बना जिसने अपना नाम '

अलबहा ' बताया, उसने इस निमंत्रण को अधिक फैलाया एवं इसके मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। इस फिर्का को इसी व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया और इसका नाम ' बहाईया ' पड़ गया।

इस्लाम से निष्कासित फ़िर्क़ों में यद्यपि वे इस्लाम का दावा करते हैं, नमाज़, रोज़ा और हज अदा करते हैं, कई बड़े फिर्क़े है जिन का दावा है कि जिब्रील ने रिसालत को पहुंचाने में बेईमानी की, अल्लाह ने उन्हें अली -रज़ियल्लाहु अनहु- के पास भेजा था . किन्तु उन्होंने मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के पास पैगाम पहुंचा दिया, बल्कि इन में से कुछ कहते हैं कि अली ही अल्लाह हैं एवं उनके, उनके संतान, उनकी पत्नी फातिमा एवं उनकी माता ख़दीजा -रज़ियल्लाहु अन्हुम- के सम्मान में अतिशयोक्ति करते हैं, बल्कि अल्लाह के साथ उन्हें भी पूजित बना रखा है, आवश्यकता के समय उन्हें पुकारते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि वे निर्दोष थे और उनका पद अल्लाह के निकट रसूलों -अलैहिमुस सलातु वस्सलाम- से भी ऊंचा है,

इनका यह भी विश्वास है कि जो कुरआन आज कल मुसलमानों के पास है उसमें कमी और बढ़ोत्तरी हो चुकी है, अपने लिए उन्होंने एक विशेष कुरआन बना लिया है, अपनी ओर से उसमें सूरे और आयतें बढ़ाई हैं, नबी करीम -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ अबू बकर और उमर -रज़ियल्लाहु अन्हुमा- को यह लोग गाली देते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आईशा रजि अल्लाहु अन्हा को भी गाली देते हैं, अली -रज़ियल्लाहु अनहु- और उनकी संतान से अच्छे बुरे समय में सहायता मांगते हैं, अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारते हैं और उनकी उपासना करते हैं, अपने आप को शिया कहते हैं | (यानी अहले बैत की जमाअत) अली -रज़ियल्लाहु अनहु- और उनकी संतान इनसे बिल्कुल मुक्त हैं इसलिए कि इन्होंने उन्हें पूजित की श्रेणी में रख दिया है, अल्लाह पर झूठ गढ़ा और अल्लाह के कलाम में हेरा - फेरी की है, अल्लाह तआला उच्च है इन सारी बातों से जो यह कह रहे हैं [1]।

---

[1] इन के कुछ और कर्म भी हैं जिन से यह इसलाम की तस्वीर बिगाड़ते हैं

यह कुछ काफिर फ़िर्क़े हैं जिनका हम ने वर्णन किया, इसके अतिरिक्त और भी काफ़िर फ़िर्क़े हैं जो इस्लाम को बरबाद करने में लगे हुए हैं, ऐ बुद्धिमान और ऐ मुसलमान, जहाँ कहीं भी हो तुम्हें हमेशा इस बात का खयाल होना चाहिए कि इस्लाम केवल दावा करने का नाम नहीं है बल्कि कुरआन और हदीस को जानने और उसके अनुसार कर्म करने का नाम है, क़ुरआन और हदीस में गौर करें, इसमें आप निर्देश (हिदायत) प्रकाश और सीधा मार्ग पायेंगे, ऐसा सीधा मार्ग जिस पर चलने वाला स्वर्ग में पहुंच कर नेमत एवं कल्याण से आलिंगित होगा।

☆ ☆ ☆

मुक्ति का निमंत्रण

ऐ बुद्धिमान इंसान चाहे आप पुरूष हों या महिला जो अभी इस्लाम के प्रकाश से अनभिज्ञ हैं, मैं आप को मुक्ति तथा कल्याण की ओर बुलाता हूँ और कहता हूँः

जैसे अपने चेहरे पे मारना, सीना पीटना एवं ज़ंजीरों तथा छुरियों से अपने शरीर पर आघात करना।

* अपने आप को अल्लाह की यातना से बचा लो जो मृत्यु के पश्चात कब्र में होगा फिर नरक की आग में होगा।

अल्लाह पर ईमान लाकर अपने आप को बचा लो, नबी - सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- पर ईमान लाकर कि वह रसूल हैं और इस्लाम को सत्य धर्म स्वीकार कर के और सच्चे दिल से यह कहो: " ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह " अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं | पांच नमाज़ अदा करो, अपने धन की ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो तथा अल्लाह के घर का हज करो यदि उसकी शक्ति रखते हो।

अपने इसलाम (अल्लाह के आज्ञापालन) का एलान करो इसके बिना न कोई उपकार एवं कल्याण है और न कोई मुक्ति [1]।

* मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अल्लाह की कसम खाता हूँ कि जिसके अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं, इस्लाम ही सत्य धर्म

---

[1] दुनिया में अच्छी ज़िंदगी और परलोक में स्वर्ग।

है अल्लाह तआला किसी से इस धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म स्वीकार करने वाला नहीं है, मैं अल्लाह को फरिश्तों को और सारे मानव जाति को गवाह बनाता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूजित नहीं और मुहम्मद صلى الله عليه وسلم अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं तथा इस्लाम ही सत्य धर्म है और मैं मुसलमान हूँ।

मैं अल्लाह की दानशीलता एवं उपकार के माध्यम से सवाल करता हूँ कि वह मुझे, मेरी संतान और सारे मुसलमान भाइयों को सच्चे मुसलमान की दशा में मृत्यु दे तथा हमें स्वर्ग में हमारे सच्चे ईमानदार नबी मुहम्मद -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- और सारे अंबिया तथा हमारे नबी के घर वालों और सहाबा की संगति से सम्मानित करे | अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस पुस्तक से हर सुनने एवं पढ़ने वाले को लाभ पहुंचे... क्या मैं ने मैं ने बात पहुंचा दी? ऐ अल्लाह तू इसका गवाह रहना।

अल्लाह बेहतर जानता है। दुरूद व सलाम की धारा बरसे हमारे नबी मुहम्मद पर एवं आपके परिवार-परिजन और तमाम

सहाबा (साथियों) पर। सारी प्रशंसाएं अल्लाह तआला ही के लिए उचित हैं जो सारे संसार का रब है।

☆ ☆ ☆

विषय सूची

भूमिका और समर्पण 3

पहला अध्यायः अल्लाह(1) की जानकारी जो महान सृष्टा है। 6

दूसरा अध्याय: अपने नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पहचानना 33

तीसरा अध्यायः सत्य धर्म -इसलाम- की पहचानः 45

चौथा अध्याय - इस्लाम की विधि 124

पाँचवाँ अध्यायः कुछ शंकाओं का उत्तर............................... 176

विषय सूची 194

موسوعة المصطلحات الإسلامية
TerminologyEnc.com
موسوعة تضم ترجمات المصطلحات الإسلامية وشروحها بعدة لغات

موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com
موسوعة تضم ترجمات للأحاديث النبوية وشروحها بعدة لغات

موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com
موسوعة تضم تفاسير وتراجم موثوقة لمعاني القرآن الكريم

IslamHouse.com
مرجعية مجانية إلكترونية موثوقة للتعريف بالإسلام

منتقى المحتوى الإسلامي
موسوعة تضم المنتقى من المحتوى الإسلامي باللغات

ننشر الإسلام بأكثر من 100 لغة

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات

جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
Rabwah

دين الحق

सत्य धर्म

अब्दुर्रहमान बिन हम्माद आलु उमर